



राजस्थान सरकार

जिला आपदा प्रबन्धन योजना भीलवाड़ा



भीलवाड़ा — बनेड़ा फोर्ट

वर्ष—2025

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं
नागरिक सुरक्षा विभाग
जिला भीलवाड़ा (राज.)

आपदा प्रबंधन से संबंधित ऑनलाइन प्लेटफार्म / पोर्टल

प्लेटफार्म / पोर्टल	विवरण
NDMA (National Disaster Management Authority, Government Of India)	The National Disaster Management Authority (NDMA), headed by the Prime Minister of India, is the apex body for Disaster Management in India. Setting up of NDMA and the creation of an enabling environment for institutional mechanisms at the State and District levels is mandated by the Disaster Management Act, 2005. NDMA is mandated to lay down the policies, plans and guidelines for Disaster Management. India envisions the development of an ethos of Prevention, Mitigation, Preparedness and Response.
 idrn.nidm.gov.in India Disaster Resource Network	India Disaster Resource Network (IDRN) is a web based platform, for managing the inventory of equipment, skilled human resources and critical supplies for emergency response. Primary focus of IDRN portal is to enable the decision makers to find answers on availability of equipment and human resources required to combat any emergency situation. This database will also enable them to assess the level of preparedness for specific disasters.
National Disaster Management Information System (NDMIS) (https://ndmis.mha.gov.in)	The National Disaster Management Information System (NDMIS) is a comprehensive online application, being developed to capture disaster damages and the losses effectively and also for monitoring of funds disbursement under State Disaster Response Fund (SDRF) and National Disaster Response Fund (NDRF) to States for relief activities in case of disasters. The online System will track the impacts of hazards for the entire country upto district level.
DMIS (Disaster Management Information System)	Through this portal, by applying online from the SSO ID of the concerned, the assistance amount is paid from SDRF as per the rules.
SACHET (Disaster Alert) Mobile App Released By NDMA, MHA	SACHET, pan-India based mobile application implemented by NDMA (National Disaster Management Authority), and is part of CAP (<u>Common Alerting Protocol</u>) project implemented in India. The application acts as alert dissemination media for the common people before, during & after any disaster.

आपदाओं के प्रबन्धन एवं उनसे बचाव के लिये राज्य-नीति



आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

जिला आपदा प्रबंधन योजना

वर्ष 2025

जिला-भीलवाड़ा



(Map Not To Scale)

Digital Map Source : LRC Division
Designed By : NIC-RSU

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
भीलवाड़ा, राजस्थान – 311001

District Disaster Management Plan 2025

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
अध्याय—1	जिला भीलवाड़ा सामान्य जानकारी	1—12
1.1	ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि	1
1.2	सिंचाई के प्रमुख स्रोत	2
1.3	भौगोलिक क्षेत्रफल	4
1.4	वर्षा की स्थिति	7
1.5	स्वास्थ्य सेवा	7
1.6	शिक्षा	8
अध्याय—2	आपदाओं के प्रबन्धन एवं उनसे बचाव के लिए राज्य—नीति	13—32
2.1	राजस्थान की भौगोलिक स्थिति	13
2.2	आपदा प्रबन्धन की पारम्परिक व्यवस्था	15
2.3	आपदाओं के रोकथाम की प्रशासनिक व्यवस्था	17
2.4	आपदा प्रबन्धन के तीन चरण	19
2.5	रोकथाम व नियंत्रण के कार्य एवं विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी	26
2.6	संस्थागत सहयोग	31
2.7	वित्तीय व्यवस्था	32
अध्याय—3	जिला आपदा प्रबन्धन	33
3.1	विकास और आपदा	33
3.2	जिला आपदा प्रबन्ध कार्य योजना के उद्देश्य	33
3.3	नीतिगत कथन	33
अध्याय—4	जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन	34—37
4.1	संभावित विपदाओं की पहचान	34
4.2	संवेदनशीलता	35
4.3	खतरा	35
अध्याय—5	आपदा के दौरान प्रबन्धन हेतु सामान्य कार्य योजना	38—41
5.1	कलक्टर की भूमिका	39
5.2	जिला प्रशासन	39
5.3	पुलिस विभाग	39
5.4	नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स तथा एन.सी.सी.	40
5.5	चिकित्सा विभाग की भूमिका	40
5.6	सिंचाई विभाग	40
5.7	सार्वजनिक निर्माण विभाग	40
5.8	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलदाय विभाग	41
5.9	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	41
5.10	दूर—संचार विभाग	41
5.11	नगर पालिका/परिषद/निगम	41

5.12	परिवहन विभाग	41
5.13	खाद्य एवं रसद विभाग	41
5.14	पशु पालन विभाग	41
5.15	स्वयंसेवी संगठन	41
अध्याय—6	जिले में सम्भावित आपदाएं व कार्य योजना	42—71
6.1	सूखा	42
6.2	बाढ़	47
6.3	दुर्घटना	54
6.4	आग	59
6.5	भूकम्प	62
6.6	साम्प्रदायिक तनाव	66
6.7	ओलावृष्टि	67
6.8	बांध टूटना	67
6.9	रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटना	68
6.10	ताप (लू) एवं शीतघात	68
अध्याय—7	आपदा के समय मीडिया प्रबंधन	72—77
7.1	उद्देश्य	71
7.2	जिला प्रशासन और नोडल विभाग के दायित्व	71
7.3	प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सूचना का प्रसारण	72
7.4	प्रेस ब्रिफिंग	73
7.5	रेलवे टाईम टेबल	74—75
अध्याय—8	कोविड—19 आपदा के समय जिले में उपलब्ध संसाधनों का विवरण	76—106
8.1	COVID - 19 Incident Commanders District Bhilwara SDMs / TDRs	77—78
8.2	कोविड—19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम जिले में उपलब्ध संसाधनों का विवरण	79
8.3	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विवरण	80—84
8.4	जिले में उपलब्ध एम्बुलेंसों 108 / 104 का विवरण	85—86
8.5	शहर / उपखण्डों के निजी हॉस्पिटलो की सूची मय फोन नम्बर	87—90
8.6	जिले में उपलब्ध खोज एवं बचाव उपकरणों की सूची	91—99
8.7	जिले में अनाज / सब्जी / फल / दालें इत्यादि खाद्य सामग्री की निर्बाध सप्लाई के लिये सूची	100—103
8.8	कोविड—19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु डेडिकेटेड अस्पतालों का विवरण	104
अध्याय—9	टिड्डी दल नियंत्रण से संबंधित संसाधनों का विवरण	105

अध्याय—01

जिला भीलवाड़ा – सामान्य जानकारी

1.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भीलवाड़ा जिले के क्षेत्र की पुरातनता सुविख्यात है। बागोर में हुई खुदाई से पाषाण युगीय सभ्यता का पता चलता है। बागोर भारत का सबसे सम्पन्न पाषाणीय सभ्यता वाला स्थान है। यह ऐतिहासिक टीलों से आच्छादित है। पुरानी नदियों कोठारी व खारी इसके किनारे स्थित है। बलि का प्रतीक उत्कीर्ण किया हुआ “पूष स्तम्भ” नांदशा में पाया गया है। इस क्षेत्र के प्राचीन अभिलेख गौरवशाली इतिहास के प्रतीक हैं। बिजौलिया से प्राप्त शिलालेख चौथी-पांचवी शताब्दी के गुप्त काल का है।

जिले में नौवीं से बारहवीं शताब्दी के प्राचीन मन्दिर हैं जो सुन्दर कला एवं स्थापत्य कला के अनूठे नमूने हैं।

यह क्षेत्र गुहिल एवं चौहानों के राज्य का एक भाग भी रहा है। मुगलकाल में भीलवाड़ा जिले के अन्तर्गत शामिल क्षेत्र मेवाड़ राज्य एवं शाहपुरा ठिकाने का एक भाग रहा। मेवाड़ राज्य एवं शाहपुरा ठिकाने के संयुक्त राजस्थान में मिल जाने के बाद सन् 1949 में एक अलग “जिला भीलवाड़ा” अस्तित्व में आया।

1.2 भौगोलिक स्थिति

यह जिला 25°1' एवं 27°50' उत्तरी अक्षांश एवं 74°1' एवं 75°28' पूर्वी देशान्तर के मध्य राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में अजमेर, उत्तर-पश्चिम में राजसमन्द, दक्षिण व दक्षिण-पूर्व में चित्तौड़गढ़ तथा पूर्व व उत्तर-पूर्व में बूंदी व टोंक जिले हैं।

1.3 टोपोग्राफी

जिले के पश्चिम भाग को छोड़कर सामान्यतः जिला आयताकार है। पूर्वी भाग के मुकाबले पश्चिम भाग अधिक चौड़ा तथा उत्तरी व दक्षिणी-पूर्वी भाग एक खुला मैदान है। कहीं इक्की-दुक्की पहाड़ियाँ नजर आती हैं, जबकि दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भाग में रेतीली भूमि व पहाड़ियाँ हैं। जिले का भू-भाग एक सामान्यतः एक उठा हुआ पठार है जिसके पूर्व में कहीं-कहीं पहाड़ियाँ हैं। एक अलग सी पहाड़ी उत्तरी-पूर्वी भाग में जहाजपुर कस्बे तक फैली हुई है। अरावली श्रेणियाँ जिले के कई स्थानों पर दृष्टिगोचर होती हैं, जो अधिकांशतः दक्षिणी-पूर्वी भाग में माण्डलगढ़ तहसील में हैं। जिले का बिजौलिया-माण्डलगढ़ क्षेत्र “ऊपरमाल” कहलाता है।

भूरी-पीली मिट्टी जहाजपुर, कोटडी, माण्डलगढ़ व शाहपुरा क्षेत्रों में भूरी मिट्टी सहाड़ा, माण्डल, आसीन्द, हुरड़ा, शाहपुरा, कोटडी, सुवाणा, बनेड़ा व रायपुर क्षेत्रों में तथा पहाड़ी मिट्टी, माण्डल, आसीन्द, कोटडी, रायपुर, बनेड़ा व माण्डलगढ़ तहसीलों में पाई जाती है।

1.4 प्रशासनिक ढाँचा

क्र. स.	उपखण्ड	तहसील	विकास खण्ड	नगर निगम/परिषद्	नगर पालिका	ग्राम पंचायत (संख्या)	राजस्व ग्रामों की संख्या
1	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	सुवाणा	भीलवाड़ा	—	26	130
		सवाईपुर	सुवाणा	—	—	12	57
2	हमीरगढ़	हमीरगढ़	सुवाणा	—	हमीरगढ़	12	51
3	माण्डल	माण्डल	माण्डल	—	—	25	124
4	करेड़ा	करेड़ा	माण्डल	—	—	24	146
5	गंगापुर	सहाड़ा	सहाड़ा	—	गंगापुर	28	117
6	रायपुर	रायपुर	रायपुर	—	—	22	102
7	बनेड़ा	बनेड़ा	बनेड़ा	—	बनेड़ा	25	97
8	गुलाबपुरा	हुरड़ा	हुरड़ा	—	गुलाबपुरा	7	31
		अंटाली	हुरड़ा	—	—	25	100
9	आसीन्द	आसीन्द	आसीन्द	—	आसीन्द	23	128
10	जहाजपुर	जहाजपुर	जहाजपुर	—	जहाजपुर	38	247
		काछोला	जहाजपुर	—	—	8	50
11	कोटड़ी	कोटड़ी	कोटड़ी	—	—	21	125
12	माण्डलगढ़	माण्डलगढ़	माण्डलगढ़		माण्डलगढ़ एवं बिगोद	23	149
13	बिजौलिया	बिजौलिया	बिजौलिया	—	बिजौलिया	21	124
14	शाहपुरा	शाहपुरा	शाहपुरा	शाहपुरा	—	23	103
15	फुलियाकलॉ	फुलियाकलॉ	फुलियाकलॉ	—	—	16	67
योग						379	1948

1.2.1 सिंचाई के मुख्य स्रोत (2025-26)

जिले में सिंचाई के मुख्य साधन बांध, तालाब, कुएँ एवं नलकूप हैं। जिले में सिंचाई विभाग के 60 बांध, 1966 तालाब, 93152 कुएँ एवं 4747 नलकूप हैं। वर्ष 2018-19 में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल तालाबों से 3154 हैक्टेयर, कुओं से 175971 हैक्टेयर है, नलकूपों से 26360 हैक्टेयर, नहरों से 17208 हैक्टेयर है एवं अन्य साधनों से 2286 हैक्टेयर रहा है।

1.2.2 पशुधन सम्पदा एवं डेयरी

वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार जिले में कुल पशुधन का विवरण निम्नानुसार है:-

1. गौ वंश	—	717894	5. ऊंट	—	4655
2. भैंस वंश	—	452320	6. सुअर	—	14542
3. भैड़ वंश	—	405505			
4. बकरी वंश	—	846696			

1.2.3 खनिज सम्पदा

खनिज सम्पदा की दृष्टि से भीलवाड़ा जिले का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। भीलवाड़ा जिले में प्रधान खनिजों के अन्तर्गत माईका, सोपस्टोन, चायनाकले, फेल्सपार, क्वार्टज, गारनेट, सिलिकासेट आदि का उत्पादन होता है। इस खनिजों में सोपस्टोन की अच्छी किस्म की दृष्टि से भीलवाड़ा जिला देश में अग्रणी है। इसके अतिरिक्त भीलवाड़ा जिले में ग्राम आगूचा के पास जिंक, लेड व सिल्वर, अभ्रक का करीब 6.30 करोड़ टन भण्डार उपलब्ध है जिसमें धातु की मात्रा लगभग 15.40 प्रतिशत है। इसके अलावा पुर, दरीबा, बनेड़ा बेल्ट में भी सीसा, जिंक, ताम्बा का कम प्रतिशत तथा अभ्रक उपलब्ध है, वर्तमान में जिन्दल शॉ लिमिटेड द्वारा पुर की तिरंगा पहाड़ियों पर लौह अयस्क का उत्खनन किया जा रहा है।

क्रमांक	मद	इकाई	विवरण
1.	कुल खनिज पट्टे	संख्या	1131
2.	कुल आय	रुपये में (करोड़)	824.07
3.	कुल खनिज उत्पादन	मैट्रिक टन	—
	● लेड जिंक		49270.35
	● सोफ्ट स्टोन		495967.32
	● चाईनाक्ले		464517.28
	● फैल्सपार		13456122.73
	● क्वार्ट्ज		268860.44
	● रेड आर्क		220932.92
	● बजरी		92904.72
	● चुनाई पत्थर		1864862.35
	● साधारण मिट्टी		14051.33
	● अभ्रक		15844.90
	● केल साईट		8.17
	● आयरन		914567.93
	● गारनेट		1016.78
	● मार्बल		4330.24
	● ग्रेनाईट		1040548.99

1.2.4 वन सम्पदा

जिले में वन मण्डल की स्थापना मई 1983 में हुई थी इस वन मण्डल में 6 रेंज कार्यालय हैं। जिले में कुल वन क्षेत्रफल 795.27 वर्ग किमी. है जिसमें आरक्षित वन क्षेत्र 435.96 वर्ग किमी., संरक्षित वन क्षेत्र 292.06 वर्ग किमी तथा अवर्गीकृत क्षेत्र 67.26 वर्ग किमी. हैं, जो कि जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.60 प्रतिशत है।

जिले में मुख्य वनस्पति खैर, धोक, सालर, टीमरु, रोंझ, देशी बबूल, बेर आदि हैं तथा पेन्थर, जरख, नील गाय, भालू, खरगोश, लोमड़ी, सियार, सारस, मोर, बन्दर आदि वन्य जीव पाये जाते हैं।

1.2.5 पर्यटन

जिले में ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से माण्डलगढ़ दुर्ग, बनेड़ा, हमीरगढ़ दुर्ग, बदनोर महल, बिजौलिया के मदांकिनी मन्दिर, त्रिवेणी संगम, आसीन्द का सवाई भोज मन्दिर, 32 खम्भों की छतरी एवं मिनारा माण्डल, मेजा बांध, चंवलेश्वर जैन तीर्थ स्थल, जहाजपुर, शाहपुरा महल एवं रामद्वारा, बारहट हवेली आदि अनेक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं। भीलवाड़ा-उदयपुर सड़क मार्ग पर भीलवाड़ा से 45 किलोमीटर दूर गंगापुर में ग्वालियर स्टेट के अधीन गंगाबाई का मंदिर प्रसिद्ध है। मंदिर के आकर्षण में वृद्धि हेतु सौन्दर्यकरण की काफी संभावनाएं मौजूद है।

1.2.6 मत्स्य 2024–2025

वर्तमान में जिले में करीब 1700 बांध जलाशय है जिनमें से 426 तालाब सिंचाई विभाग के हैं तथा शेष तालाब पंचायत/समिति/ निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। जिले में उपलब्ध कुल जलाशयों में से 50 जलाशय ही बारामासी है तथा शेष जलाशय मौसमी हैं। जिसमें “क” श्रेणी के 27 जलाशय, “ख” श्रेणी के 49 जिला परिषद व 2 विभाग के, “ग” एवं “घ” श्रेणी के 439 एवं 4 नदिया है इस प्रकार कुल जलाशय 521 है।

1.3.1 भौगोलिक क्षेत्रफल

भीलवाड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल 10508 वर्ग किलोमीटर है जो राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर का लगभग 3.07 प्रतिशत भाग है।

1.3.2 भीलवाड़ा जिले की जनसंख्या

भीलवाड़ा जिले का कुल क्षेत्रफल 10508 वर्ग किमी. है। 2011 की जनगणना के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 2408523 है, जिनमें से 1220736 (50.68%) पुरुष तथा 1187787 (49.31%) स्त्रियाँ हैं। जिले की कुल जनसंख्या में से 1895869 जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र (78.71%) तथा शहरी क्षेत्र में 512654 (21.28%) निवास करती है अर्थात् जिले में अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है।

जिले में कुल 407947 अनुसूचित जाति के व्यक्ति जिनमें से 206332 पुरुष तथा 201615 स्त्रियाँ हैं। जो कुल अनुसूचित जनसंख्या का 16.93 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 229273 हैं जिसमें से 117026 पुरुष तथा 112247 महिलाएँ हैं इस प्रकार जिले में अनुसूचित जनजाति के 9.51 प्रतिशत निवास करते हैं। जिले में अनु. जाति की सर्वाधिक जनसंख्या 20.68% तहसील भीलवाड़ा में हैं तथा सबसे कम 3.64% बिजौलियां में है। इसी प्रकार अनु. जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या 33.18% जहाजपुर में तथा सबसे कम 3.04% तहसील रायपुर में हैं।

जिले में कुल 1256126 व्यक्ति साक्षर हैं जिन में से 777582 पुरुष तथा 478544 स्त्रियाँ हैं इस प्रकार जिले में कुल 52.15% व्यक्ति साक्षर है तथा 47.85% निरक्षर हैं।

भीलवाड़ा जिले का घनत्व 203 प्रति वर्ग कि.मी. है जिले में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 973 स्त्रियाँ हैं। जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान 10 वर्षीय जनसंख्या की वृद्धि 18.05 प्रतिशत रही। जिले में जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता प्रतिशत 61.40% रहा। इसमें से पुरुषों का 75.30% तथा स्त्रियों का 47.20% है।

जिले में मुख्य कार्य करने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या 883329 हैं जो कि कुल जनसंख्या का 36.67 प्रतिशत है तथा सीमान्त कार्य करने वालों की संख्या 2 लाख 64 हजार 836 है। जो कि कुल जनसंख्या का 10.99 प्रतिशत है तथा अकार्यशील व्यक्तियों की संख्या 1260358 है। जो कुल जनसंख्या का 52.32 प्रतिशत है। जिले में व्यवसाय अनुसार 5 लाख 32 हजार 453 काश्तकार, 69311 खेतीहर मजदूर, 25653 पारिवारिक उद्योगों तथा अन्य कार्यों में 310761 व्यक्ति लगे हुए हैं। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जिले में अकार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत अधिक है।

कार्यशील, सीमान्त एवं अकार्यशील जनसंख्या का वितरण

	कार्यशील			सीमान्त			अकार्यशील		
	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
ग्रामीण	531307	435159	722541	448804	273737	243925	82503	161422	929403
शहरी	143282	38417	160788	132235	28553	20911	11047	9864	330955
योग	674589	473576	883329	581039	302290	264836	93550	171286	1260358

व्यवसाय अनुसार जनसंख्या का विवरण

व्यवसाय	
काश्तकार	532453
खेतीहर मजदूर	69311
पारिवारिक उद्योग	25653
अन्य कार्य करने वाले	310761

जनसंख्या (जिले की समेकित जनगणना वर्ष 2011)

क्र. सं.	तहसील	योग		
		पुरुष	स्त्री	योग
1	आसीन्द	127206	126924	254130
2	हुरडा / अंटाली	71122	67521	138643
3	शाहपुरा	105147	101873	207020
4	जहाजपुर / काछोला	112051	105722	217773
5	माण्डल	115728	119912	235640
6	सहाडा	66847	68239	135086
7	भीलवाड़ा / सवाईपुर	287332	270429	557761
8	मांडलगढ़	90276	86427	176703
9	बनेडा	62298	61416	123714
10	रायपुर	48256	49613	97869
11	कोटडी	88901	85800	174701
12	बिजोलिया	45572	43911	89483
योग		1220736	1187787	2408523

जिले में सर्वाधिक जनसंख्या भीलवाड़ा तहसील में निवास करती है जो कि कुल जनसंख्या का 22.05 प्रतिशत है तथा सबसे कम जनसंख्या 4.18 प्रतिशत रायपुर तहसील में निवास करती है। जनसंख्या में अन्तर का मुख्य कारण उसका क्षेत्रफल है एवं रायपुर तहसील पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कम विकसित है।

2011 की जनसंख्या के आधार पर तहसीलवार जनसंख्या

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्रामीण			शहरी		
		पुरुष	स्त्री	योग	पुरुष	स्त्री	योग
1	आसीन्द	118766	118753	237519	8440	8171	16611
2	हुरडा / अंटाली	56836	54592	111428	14286	12929	27215
3	शाहपुरा	89868	86832	176700	15279	15041	30320
4	जहाजपुर / काछोला	101513	95674	197187	10538	10048	20586
5	माण्डल	115728	119912	235640	0	0	0
6	सहाडा	57267	59042	116309	9580	9197	18777
7	भीलवाड़ा / सवाईपुर	94360	92240	186600	192972	178189	371161
8	मांडलगढ़	83228	79631	162859	7048	6796	13844
9	बनेडा	62298	61416	123714	0	0	0
10	रायपुर	48256	49613	97869	0	0	0
11	कोटडी	88901	85800	174701	0	0	0
12	बिजोलिया	38357	36986	75343	7215	6925	14140
योग		955378	940491	1795869	265358	247296	512654

1.3.3 जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर

भीलवाड़ा जिले में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.85 प्रतिशत है जो राजस्थान राज्य की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.08 प्रतिशत के मुकाबले कम है।

1.3.4 जनसंख्या का घनत्व

भीलवाड़ा जिले में जनसंख्या घनत्व 230 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व 200 के मुकाबले 15.00 प्रतिशत अधिक है।

1.3.5 अनुसूचित जाति एवं जनजाति अनुपात

2011 की जनगणना के अनुसार भीलवाड़ा जिले की कुल जनसंख्या 24.08 लाख में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 4.07 लाख तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या लगभग 2.29 लाख है जो कुल जनसंख्या का क्रमशः 16.93 प्रतिशत तथा 9.50 प्रतिशत भाग है तथा राज्य के अनुपात क्रमशः 17.8 प्रतिशत तथा 13.5 प्रतिशत के मुकाबले कम है। समग्र रूप से जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कुल जनसंख्या में अनुपात 26.41 प्रतिशत है।

1.3.6 साक्षरता दर

2011 की जनगणना के अनुसार भीलवाड़ा जिले में साक्षरता की दर 61.4 प्रतिशत है जो समूचे राज्य की साक्षरता दर 66.1 प्रतिशत के मुकाबले काफी कम है। तुलनात्मक स्थिति इस प्रकार है:-

विषय	पुरुषों में	महिलाओं में	औसत
भीलवाड़ा जिले में	75.3%	47.2%	61.4%
राजस्थान में	79.2%	52.1%	66.1%

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भीलवाड़ा जिले में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों में साक्षरता दर राज्य के औसत के मुकाबले काफी कम है। अतः अधिक प्रयास की जरूरत है।

1.3.7 खाद्यान्न उत्पादन फसले एवं क्षेत्रफल

जिले में दोमट, काली एवं भूरी मिट्टी पाई जाती है। जिले में मुख्य खाद्यान्न फसलें गेहूँ, जौ, मक्का आदि हैं जबकि दालों में उड़द, मूंग एवं चना प्रमुख है एवं व्यावसायिक फसलों में गन्ना, मूंगफली, कपास मुख्य है।

मानसूनी वर्षा पर अधिक आश्रित रहने के कारण खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन जिले में वर्षा की मात्रा के अनुसार प्रायः घटता बढ़ता रहता है। वर्ष 2019-20 में विभिन्न फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन की स्थिति निम्नानुसार है:-

जिले में विभिन्न जिनसों के उत्पादन की स्थिति वर्ष 2024-25

क्र०स०	नाम फसल	वर्ष	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	उत्पादन (मै. टन)
1	ज्वार	2024-25	12686	54458
2	मक्का	2024-25	195613	405769
3	गेहूँ	2024-25	183066	682811
4	जौ	2024-25	28589	88166
5	चना	2024-25	94506	119259
6	गन्ना	2024-25	8	73
7	मूंगफली	2024-25	21677	29828
8	तिल	2024-25	5615	2387
9	बाजरा	2024-25	2895	2530
10	कपास	2024-25	21219	128642 (गाठों में)

1.3.8 वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र से अनुपात

भीलवाड़ा जिले में कुल वन क्षेत्र 795.27 वर्ग किलोमीटर है जो जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 10455 वर्ग किलोमीटर का लगभग 7.60 प्रतिशत ही है। इसमें 435.96 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन क्षेत्र, 292.06 वर्ग किलोमीटर अनाधिकृत वन क्षेत्र की श्रेणी में है। इस प्रकार जिले में वन क्षेत्र काफी कम है।

1. कुल वन क्षेत्र	795.27 वर्ग कि.मी.
2. आरक्षित क्षेत्र	435.96 वर्ग कि.मी.
3. संरक्षित क्षेत्र	292.06 वर्ग कि.मी.
4. अवर्गीकृत क्षेत्र	67.26 वर्ग कि.मी.

1.3.9 विद्युतीकृत गाँव

भीलवाड़ा जिले के सभी 1834 गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

1.3.10 उद्योग

भीलवाड़ा औद्योगिक विकास की दृष्टि से विशेषकर सिन्थेटिक एवं काटन वस्त्र तथा सिन्थेटिक यार्न उद्योग के क्षेत्र में न केवल राज्य अपितु देश-विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। जिले में 24 प्रोसेस हाऊस स्थापित हैं जिनमें से 18 कार्यरत हैं। वर्तमान में जिले में उद्योगों की स्थिति, विनियोजन एवं प्राप्त नियोजन की स्थिति निम्नानुसार है:- (दिनांक 31.03.2016 तक की स्थिति)

क्र०स०	उद्योग	संख्या	विनियोजन (करोड़ों में)	नियोजन
1.	अति लघु एवं लघु मध्यम उद्योग	25611	3832.12	122089

1.4 वर्षा की स्थिति 2024-2025

जिले में मौसम के अनुसार सर्दी व गर्मी तापमान बना रहता है जिले का अधिकतम तापमान 47.5⁰° तथा न्यूनतम 5.0⁰° रहता है, जिले में वर्षा सामान्यता जुलाई के प्रथम सप्ताह में आरम्भ हो जाती है। जिले में 26 रेनगेज स्टेशन हैं। पिछले 10 वर्षों की वार्षिक औसत वर्षा 672.16 मि.मी. है, वर्ष 2024 में सबसे अधिक तहसील बिजौलिया क्षेत्र में तथा सबसे कम वर्षा मोखुन्दा (रायपुर) में हुई।

1.5 स्वास्थ्य सेवा

जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति निम्न प्रकार है :-

Health Facility in District			
S.No.	संस्थान का प्रकार	Total No In Bhilwara Dist.	वि.वि.
	कुल ब्लॉक की संख्या	13	New Block – (Kareda&Bijoliya)
1	मेडिकल कॉलेज	1	
2	जिला चिकित्सालय	1+1	Dh Shahpura& MGH bhl
3	उप जिला चिकित्सालय	05	SDH Mandal Bijoliya, Hamirgarh, Jahazpur and Mandalgarh
4	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	26	New CHC – UPHC Pur
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	83	
6	उपस्वास्थ्य केन्द्र	537	
7	अरबन यू पी एच सी पी एच सी/सिटी डिस्पेंसरी	9 & 2 (City Disp.)	Bhilwara – 8 Gulabpuar -1(Sajanbad)
8	Urban AyushmanArogyaMandir (Janta Clinic)	14	Bhilwara – 7, Gangapur -1 Mandalgarh-1, Jahazpur -1, Shahapura-1 Suwana -1, Asind- 1,Gulabpura-1

9	कुलचिकित्सासंस्थान की संख्या	674	
10	108	32	फोर व्हीलर-30 बाईक एम्बुलेंस-2
11	104	20	

1.6. शिक्षा

जिले में विद्यालयों की संख्या निम्न प्रकार है -

क्र०स०	विद्यालय (राजकीय+ निजी)	संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय (राजकीय+ निजी)	1617
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय (राजकीय+ निजी)	1637
3.	माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय (राजकीय+ निजी)	735
4.	महाविद्यालय सामान्य शिक्षा राजकीय (राजकीय+ निजी)	31
5.	तकनिकी महाविद्यालय	02
6.	पोलोटैक्निक महाविद्यालय (राजकीय+ निजी)	01
7.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (राजकीय)	13
8.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (निजी)	32

राजस्थान की जनसंख्या 2011

- कुल जनसंख्या (2011) 68548437
पुरुष 35550997
महिलायें 32997440
वृद्धि दर 21.3%
कुल जनसंख्या (2001) 5.65 करोड़
वृद्धि दर (2001) 28.40%
- जनसंख्या घनत्व (2011) 200 प्रति वर्ग किमी
(2001) 165 प्रति वर्ग किमी
- लिंगानुपात (2011) प्रति हजार पुरुष-928
(2001) प्रति हजार पुरुष-909
- साक्षरता दर 2011 2001
कुल 66.1% 60.40%
पुरुष 79.2% 75.70%
महिला 52.1% 43.90%
- 0-6 वर्ष तक के बच्चों का अनुपात
वर्ष 2011 प्रति हजार 888 बेटियाँ
वर्ष 2001 प्रति हजार 909 बेटियाँ

विश्लेषणात्मक अध्ययन

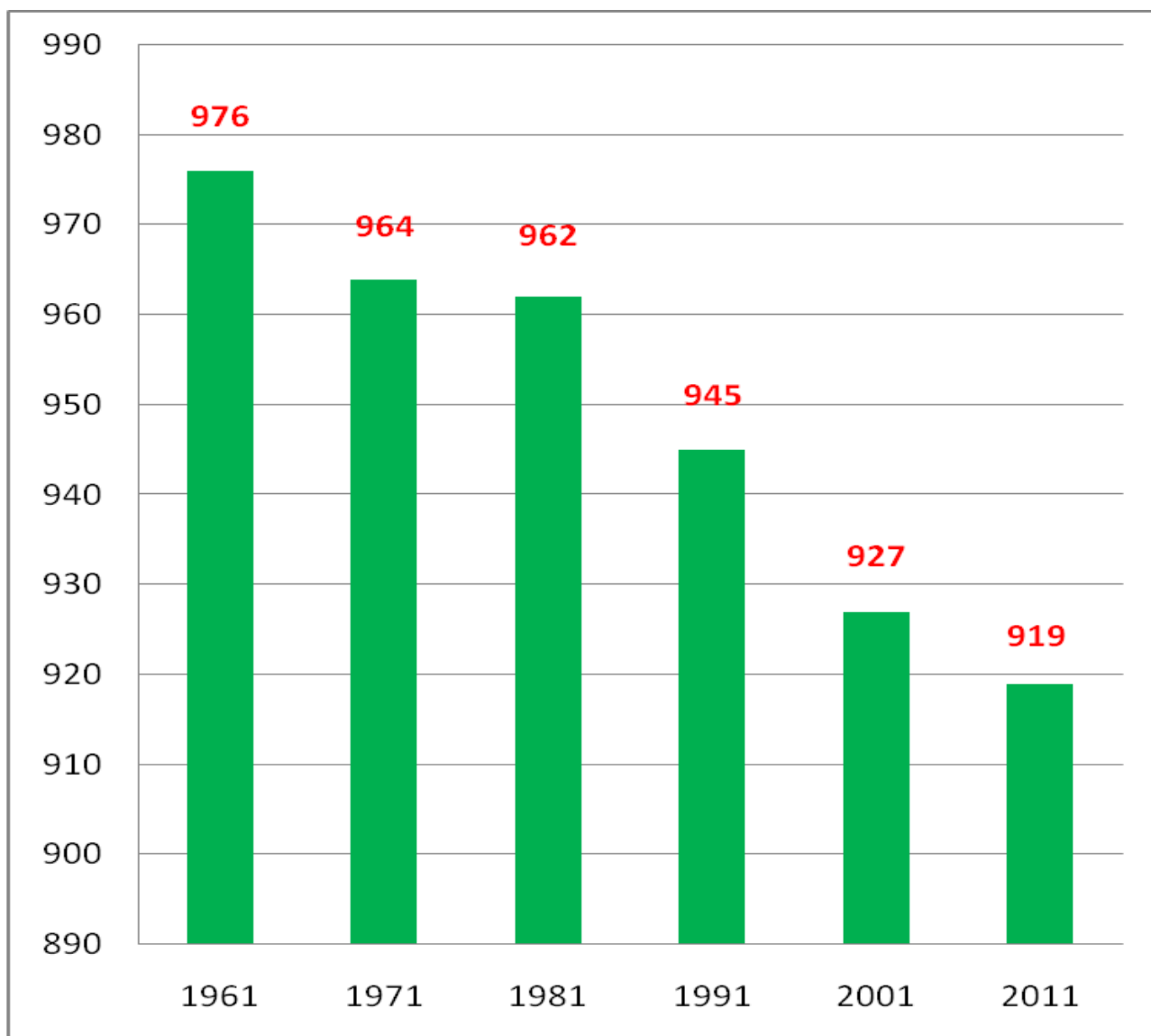
- राजस्थान की जनसंख्या में 10 वर्ष में 1.20 करोड़ की वृद्धि ।
वर्ष 2001 की तुलना में 7.1 % वृद्धि दर में कमी ।
- जनसंख्या घनत्व में 35 प्रति वर्ग किमी की वृद्धि
- राज्य में लिंगानुपात में वृद्धि-19
- साक्षरता दर में वृद्धि - महिला साक्षरता में 8.2% की बढ़ोतरी

5. राज्य में 0–6 वर्ष तक के बच्चों के अनुपात में कमी। अत्यन्त गम्भीर एवं विचारणीय बिन्दु

राजस्थान की आबादी	:	68548437
पुरुष	:	35550997
महिलायें	:	32997440
जनसंख्या वृद्धि	:	21.30% (2001 में 28.40%)
लिंगानुपात	:	928 (2001 में 921)
जनसंख्या घनत्व	:	200 (2001 में 165)
0–6 उम्र में लिंगानुपात	:	888 (2001 में 909)
साक्षरता	:	66.1% (2001 में 60.40%)
महिला साक्षरता	:	52.1% (2001 में 43.90%)

लिंगानुपात वर्ग (0–6 वर्ष)

वर्ष	प्रति हजार लड़कों पर लड़कियाँ
1961	976
1971	964
1981	962
1991	945
2001	927
2011	919



क्रम संख्या	राज्य	जनसंख्या
1.	जम्मू कश्मीर	12541302
2.	हिमाचल प्रदेश	6864602
3.	पंजाब	27743338
4.	उत्तराखण्ड	10086292
5.	हरियाणा	25351462
6.	राजस्थान	68548437
7.	उत्तर प्रदेश	199812341
8.	बिहार	104099452
9.	सिक्किम	610577
10.	अरुणाचल प्रदेश	1383727
11.	नागालैण्ड	1978502
12.	मणिपुर	2570390
13.	मिजोरम	1097206
14.	त्रिपुरा	3673917
15.	मेघालय	2966889
16.	आसाम	31205576
17.	पश्चिमी बंगाल	91276115
18.	झारखण्ड	32988134
19.	ओडिसा	41974218
20.	छत्तीसगढ़	25545198
21.	मध्यप्रदेश	72626809
22.	गुजरात	60439692
23.	महाराष्ट्र	112374333
24.	आन्ध्र प्रदेश	84580777
25.	कर्नाटक	61095297
26.	गोवा	1458545
27.	केरल	33406061
28.	तमिलनाडु	72147030

केन्द्र शासित प्रदेश

क्रम संख्या	केन्द्र शासित प्रदेश	जनसंख्या
1.	चण्डीगढ़	1055450
2.	दिल्ली	16787941
3.	दमन एवं द्वीव	243247
4.	दादरा एवं नगर हवेली	343709
5.	लक्ष्यद्वीप	64473
6.	पाण्डिचेरी	1247953
7.	अण्डमान निकोबार द्वीप	380581

Population Census 2011 (Final)

District - Bhilwara

State/District/Tehsil	Total / Rural / Urban	Total Population			0-6 age group			Literates		
		Persons	Males*	Females	Persons	Males*	Females	Persons	Males*	Females
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
District - Bhilwara	Total	24108523	1220736	1187787	361683	187617	174066	1256126	777582	478544
	Rural	1895869	955378	940491	294132	152140	141992	896937	572895	324042
	Urban	512654	265358	247296	67551	35477	32074	359189	204687	154502
Asind	Total	254130	127206	126924	41787	21750	20037	121784	76901	44883
	Rural	237519	118766	118753	39369	20463	18906	111623	71010	40613
	Urban	16611	8440	8171	2418	1287	1131	10161	5891	4270
Hurda	Total	138643	71122	67521	20966	10919	10047	78409	48731	29678
	Rural	111428	56836	54592	17286	9020	8266	59114	37454	21660
	Urban	27215	14286	12929	3680	1899	1781	19295	11277	8018
Shahpura	Total	207020	105147	101873	31567	16232	15335	98687	62912	35775
	Rural	176700	89868	86832	7570	14160	13410	78198	51360	26838
	Urban	30320	15279	15041	3997	2072	1925	20489	11552	8937
Banera	Total	123714	62298	61416	19484	10073	9411	59492	37814	21678
	Rural	123714	62298	61416	19484	10073	9411	59492	37814	21678
	Urban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mandal	Total	235640	115728	119912	38298	19775	18523	106066	66661	39405
	Rural	235640	115728	119912	38298	19775	18523	106066	66661	39405
	Urban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Raipur	Total	97869	48256	49613	14844	7582	7262	44579	28233	16346
	Rural	97869	48256	49613	14844	7582	7262	44579	28233	16346
	Urban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sahara	Total	135086	66847	68239	19770	10250	9520	69000	42584	26416
	Rural	116309	57267	59042	17290	8930	8360	56519	35245	21274
	Urban	18777	9580	9197	2480	1320	1160	12481	7339	5142
Bhilwara	Total	557761	287332	270429	75882	39742	36140	361055	210002	511053
	Rural	186600	94360	92240	27440	14266	13174	96217	59997	36220
	Urban	371161	192972	178189	48442	25476	22966	264838	150005	114833
Kotri	Total	174701	88901	95800	27137	13962	13175	76732	50104	26628
	Rural	174701	88901	95800	27137	13962	13175	76732	50104	26628
	Urban	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahazpur	Total	217773	112051	105722	31130	16270	14860	112471	72234	40237
	Rural	197187	101513	95674	28326	14788	13538	99029	64285	34744
	Urban	20586	10538	10048	2804	1482	1322	13442	7949	5493
Mandalgarh	Total	176703	90276	86427	26648	13816	12832	82593	52879	29714
	Rural	162859	83228	79631	24752	12818	11934	73832	47832	26100
	Urban	13844	7048	6796	1896	998	898	8761	5147	3614
Bijoliya	Total	89483	45572	43911	14170	7246	6924	45258	28527	16731
	Rural	75343	38357	36986	12336	6303	6033	35536	23000	12536
	Urban	14140	7215	6925	1834	943	891	9722	5527	4195

जनसंख्या की दस वर्षीय वृद्धि

(प्रतिशत)

वर्ष	पुरुष	स्त्री	योग	दस वर्ष का अन्तर	प्रतिशत वृद्धि (+) या कमी (-)
1	2	3	4	5	6
1931	272851	257174	530025	(+) 66871	(+) 14.44
1941	325289	306839	632128	(+)102103	(+) 19.26
1951	376720	351802	728522	(+) 96394	(+) 15.25
1961	454253	411544	865797	(+)137275	(+) 18.84
1971	552393	502497	1054890	(+)189093	(+) 21.84
1981	674923	635456	1310379	(+)255489	(+) 24.22
1991	819159	773969	1593128	(+)282749	(+) 21.58
2001	1026650	987139	2013789	(+)420661	(+) 26.40
2011	1220736	1187787	2408523	(+)394734	(+) 19.60

स्त्रोत:—जनगणना प्रतिवेदन—2011, राजस्थान।

जिले की अनुमानित जनसंख्या

(00 में)

वर्ष	1 जनवरी को	1 मार्च को	1 जुलाई को	1 अक्टूबर को
1	2	3	4	5
2001	-	20138	20228	20347
2002	20457	20537	20697	20817
2003	20929	21011	21172	21294
2004	21409	21491	21655	21779
2005	21896	21979	22146	22272
2006	22391	22474	22644	22771
2007	22892	22978	23149	23279
2008	23401	23487	23662	23794
2009	23918	24006	24183	24316
2010	24443	24532	24711	24846
2011	24975	24085	24205	24326
2012	24448	24570	24582	24704
2013	24826	24950	25075	25200
2014	25204	25330	25568	25696
2015	25582	25710	26061	26192
2016	25960	26090	26554	26688

@ प्रावधानिक

स्त्रोत:—आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।

✕ जनगणना 2011 के समक

अध्याय –2

आपदाओं के प्रबन्धन एवं उनसे बचाव के लिये राज्य-नीति

2. 1.1 राजस्थान की भौगोलिक स्थिति

भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण यह बारम्बार अभावग्रस्त एवं अकालग्रस्त हो जाता है। यहाँ की 40 प्रतिशत जनता थार मरुस्थल में रहती है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 685.48 लाख है। जिसमें से 515.00 लाख लोग (75.18 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। कुल जनसंख्या का 31.30 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है। लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या के जीवन यापन का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन है। 2003 की पशु जनगणना के अनुसार राज्य में 491.00 लाख पशु अनुमानित हैं जो देश की पशु संख्या के 25 प्रतिशत से अधिक हैं।

2.1.2 राजस्थान में मुख्य प्राकृतिक आपदाएँ :

राजस्थान देश का सर्वाधिक सूखा ग्रस्त क्षेत्र है। मानसून की विफलता एवं बारम्बार अकाल की पुनरावृत्ति स्थिति को ज्यादा गम्भीर बना देती है। इसके दुष्प्रभाव विभिन्न प्रकार से दृष्टि गोचर होते हैं — कृषि उत्पादन एवं चारा सहकृषि गतिविधियाँ (जैसे पशुपालन, भेड़ पालन आदि), पशु एवं मानव दोनों के लिए पानी एवं भोजन की कमी आदि ? सूखे के अतिरिक्त मानसून का अन्य खतरनाक पहलू राज्य के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ के रूप में सामने आता है, जबकि उसी समय अन्य हिस्सों में अकाल एवं सूखा रहता है। इस प्रकार सूखा एवं बाढ़ से राज्य की समस्त अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। जिससे आर्थिक विकास की समस्त गतिविधियों के बजट का विमुखन (Diversion) हो जाता है। प्रमुख आपदाओं का वर्गीकरण निम्न प्रकार है :-

2.1.3 आपदाओं का वर्गीकरण

1. जलवायु सम्बन्धी

- बाढ़
- सूखा
- चक्रवात
- बादल का फटना
- लू गर्म एवं ठण्डी हवाएँ, पाला, आंधियाँ, तूफान/ओलावृष्टि
- बिजली का गिरना

2. भू-गर्भ सम्बन्धी

- भूकम्प
- भूस्खलन
- बांध का टूटना
- खान में आग लगना

3. रसायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धी

- रसायनिक विपदा
- औद्योगिक विपदा
- परमाणु विपदा

4. दुर्घटना सम्बन्धी

- आग
- बम विस्फोट
- सड़क, रेल, वायु दुर्घटना
- खान में बाढ़ आना एवं ढहना
- मुख्य भवनों का ढहना

5. जैविक आपदाओं सम्बन्धी

- महामारी
- टिड्डी दल आक्रमण
- जानवरों की महामारी

6. अन्य आपदाओं

- आतंकवादी गतिविधियां
- उपद्रव
- दंगे
- बलवा
- त्यौहारों, उत्सवों, मेलों आदि पर होने वाली भगदड़

आपदाओं की तीव्रता, प्रभाव एवं घटित होने के समय की दृष्टि से इन्हें दो भागों में बाटा जा सकता है:-

2.1.4 धीमी गति की आपदाएँ (Slow Disaster) :-

धीमी गति की आपदाओं में अकाल एवं सूखा जैसी आपदाएँ आती हैं, जिनका प्रभाव काफी लम्बे समय तक रहता है ऐसी आपदाओं के लिये राहत आदि पहुँचाने एवं तैयारी के लिये पर्याप्त समय मिल जाता है। भविष्य में अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए सभी विभागों को एक दीर्घकालीन योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है।

2.1.5 आकस्मिक आपदाएँ

भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, अग्निकाण्ड, दुर्घटना, आदि आकस्मिक आपदाओं की श्रेणी में आते हैं तथा इनसे बहुत कम समय में बहुत बड़ी तादाद में मानव, पशुधन तथा सम्पत्ति आदि का नुकसान जनता को झेलना पड़ता है। इन आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिये वहाँ के निवासियों, विभिन्न प्रकार की जनसहयोगी संस्थाओं तथा सरकार द्वारा तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता होती है तथा अत्यन्त सीमित समय में बहुत बड़े पैमाने पर संसाधनों एवं बचाव एवं सुरक्षा दलों, परिवहन के साधनों तथा आश्रय स्थलों तथा तात्कालिक चिकित्सा सहायता आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है। इस तरह की आकस्मिक आपदाओं के लिये आपदा से पूर्व निपटने की तैयारियों, आपदा के समय राहत व्यवस्था तथा भविष्य में आपदा से होने वाले खतरों के प्रभाव को कम करने के लिये प्रयास धीमी गति की आपदाओं से भिन्न होते हैं।

अतः यह नीति उक्त दोनों ही तरह की आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिये तथा सरकार एवं जनता के समन्वित प्रयास से लोगो की क्षमता निर्माण तथा आपदा प्रबन्धन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा हर व्यक्ति तक पहुँचाने की एक कोशिश है।

2.1.6 प्रभावित क्षेत्र :-

राजस्थान के निर्माण के बाद वर्ष 1959-60, 1973-74, 1975-76, 1976-77, 1990-1991 व 1994-95, 2004, 2006, 2011 एवं 2012 को छोड़कर हर साल सूखा एवं अकाल प्रभावित रहा है। सम्वत् 2059 के अकाल में प्रदेश की लगभग समस्त जनसंख्या इससे प्रभावित हुई है। अरावली पर्वत श्रेणियों द्वारा दो पृथक भागों में विभाजित राज्य का उत्तर-पश्चिम भाग, जो राज्य का सत्तर प्रतिशत क्षेत्रफल है, में बहुत क्षीण, छितराई हुई एवं कम वर्षा होती है। प्रत्येक प्राकृतिक आपदा से मानव एवं प्राणी जगत के साथ भौतिक सम्पदाओं का भी नुकसान होता है। बुरी तरह से प्रभावित जनसंख्या भोजन, पानी, आश्रय, कपड़े, दवाई एवं सामाजिक सुरक्षा हेतु बाह्य स्रोतों से सहायता की मोहताज हो जाती है। जनता के दुःख दर्द को दूर करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। राजस्थान में घरेलू उत्पादन का 42 प्रतिशत से 45 प्रतिशत भाग कृषि एवं पशुपालन गतिविधियों की देन है, जिस पर 70 प्रतिशत जनसंख्या का जीवन यापन निर्भर है। कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर ही निर्भर है। कुल जोत योग्य 642481 हैक्टेयर भूमि में से केवल 265705 हैक्टेयर भूमि ही सिंचित है। सूखे से फसल एवं सह-फसल गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित होती है।

राजस्थान में बाढ़ से मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्रों कोटा संभाग एवं जयपुर संभाग के भरतपुर और अलवर जिले मुख्य रूप से आते हैं, परन्तु पिछले कुछ वर्षों से पाली, जालोर, सिरोंही, बाड़मेर, जैसलमेर एवं बीकानेर जिलों में भी बाढ़ आई है।

भूकम्प से प्रभावित जिलों में अलवर, भरतपुर, जालौर, बाड़मेर एवं जैसलमेर के कुछ भाग भूकम्प जोन-IV में आते हैं।

ऑधी और तेज हवाएँ रेगिस्तानी जिलों में बहुतायत से आती हैं, परन्तु ओलावृष्टि एवं पाला पड़ने की सम्भावना राज्य में कहीं भी हो सकती है। कई बार तो ओलावृष्टि तथा पाले से बड़े पैमाने पर फसलें नष्ट हो जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन एवं चारे की विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है।

2.2.1 आपदा प्रबन्धन की पारम्परिक व्यवस्था

पूर्व में यह परिपाटी रही है कि आपदा घटित होने के बाद ही राहत कार्य किये जाते रहे हैं। परन्तु आपदा घटित होने से पूर्व आपदा के पूर्व प्रभाव एवं खतरों को कम करने के उपायों पर अब ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए केन्द्र सरकार से सी.आर.एफ. एवं एन.सी.सी.एफ. मद से केन्द्र सरकार से वित्तीय मदद प्राप्त होती है। राज्य में सूखा, बाढ़, अग्निकाण्ड, ओलावृष्टि आदि आपदायें घटित होने के बाद इससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान की जाती रही है। जैसे कि सूखे की स्थिति में रोजगार सृजन के कार्य, पेयजल प्रबन्धन, पशु संरक्षण एवं चारे की व्यवस्था तथा अनुग्रह सहायता जैसे उपाय जनता की मदद के लिये उठाये जाते हैं। इसी प्रकार से अग्निकाण्ड, ओलावृष्टि एवं बाढ़ से हुए नुकसान की आंशिक क्षतिपूर्ति प्रभावित लोगों को उपलब्ध करायी जाती है, परन्तु उक्त आपदाओं के प्रभावों को कम करने एवं स्थायी रोकथाम के लिये वर्तमान में पुख्ता व्यवस्था का होना आवश्यक है, जिससे इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।

2.2.2 पारम्परिक राहत व्यवस्था में खामियां

- (1) पारम्परिक राहत केवल अस्थायी व्यवस्था है जो आपदा से प्रभावित लोगों को तात्कालिक राहत के रूप में उपलब्ध करायी जाती है तथा आपदा खत्म होते ही समस्त कार्य बन्द कर दिये जाते हैं। आपदा खत्म होने के बाद भावी आपदा से कैसे निपटा जाये तथा उसके प्रभाव को कैसे कम किया जाये या उसका स्थायी समाधान क्या हो, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है।
- (2) पारम्परिक रूप में सरकार का ध्यान केवल आपदा उपरान्त सहायता तक ही सीमित है। उसकी आपदा पूर्व तैयारी एवं उसके प्रभाव को भविष्य में कम करने के लिए योजना एवं नीति नहीं है।
- (3) वर्तमान व्यवस्था को लागू करने के लिये किसी प्रकार की कानूनी बाध्यता उपलब्ध नहीं है, जिससे आपदा प्रबन्धन से निपटने वाले अधिकारियों को मौके पर कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अतः आपदा प्रबन्धन के सुचारु संचालन में कई बार पूर्ण जिम्मेदारी एवं कर्तव्य निर्वहन के अभाव की शिकायतें तथा विभिन्न विभागों का एक दूसरे पर दोषारोपण की स्थिति दर्शित होती है।

2.2.3 आपदा प्रबन्धन नीति की आवश्यकता

वर्तमान राहत व्यवस्था में उक्त खामियों को दूर करने के लिये आपदाओं के प्रबन्धन, प्रभावी नियन्त्रण एवं बचाव तथा इन आपदाओं के आने से पूर्व तैयारी तथा आपदाओं के होने वाले नुकसान को भविष्य में कम करने तथा उनके स्थायी समाधान हेतु आपदा प्रबन्धन नीति की आवश्यकता है। अतः यह नीति पूर्व व्यवस्था से हटकर है, जिसमें निम्न बिन्दुओं का समावेश किया गया है:-

- (1) आपदा प्रबन्धन पूर्व तैयारी, उससे घटित होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के लिये उपाय तथा आपदा उपरान्त सहायता, पुनर्वास एवं मूलभूत अधोसंरचनात्मक तथा सामुदायिक सुविधाओं को पुनर्स्थापित करने एवं आपदाओं के दीर्घकालीन समाधान के तीनों ही बिन्दुओं का इस नीति में समावेश किया गया है।
- (2) राज्य सरकार आपदाओं के प्रभावी नियन्त्रण के लिये आपदा प्रबन्धन कानून लागू करेगी, जिससे आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित समस्त कार्यों को एक कानूनी वैधता प्राप्त हो सकेगी, जिससे जिला प्रशासन प्रभावी रूप से आपदा के समय सुचारु रूप से अपने कार्यों को स्वतन्त्रता एवं बिना किसी अवरोध के सम्पादित कर सके।
- (3) भावी आपदा प्रबन्धन अस्थायी प्रतिक्रिया से योजनाबद्ध प्रतिक्रिया की ओर कदम है। (From Ad-hoc reactions to planned reactions)
- (क) दीर्घकालीन योजनाएँ :- राज्य योजनाएँ/विभागीय योजनाएँ अकाल एवं अन्य आपदाओं के स्थाई समाधान के लक्ष्यों को लेकर बनायी जायेगी तथा उन कार्यों के लिये अन्य प्लान कार्यों की तरह लगातार, जब तक वह कार्य पूर्ण नहीं हो जाते, बजट प्रावधान रखे जायेंगे। खासतौर से सूखा निवारण (Drought Proofing) के कार्य बड़े पैमाने पर लिया जाना प्रस्तावित है।
- (ख) आपदा प्रबन्धन योजना :- प्रत्येक जिला तथा जिले के सभी सम्बन्धित विभाग, ग्राम स्तर तक की आपदा प्रबन्धन योजनाएँ बनायेंगे तथा ग्राम स्तर तक डेटाबेस तैयार कर आपदा से निपटने के सभी संसाधनों की सूची कम्प्यूटरीकृत की जाकर बेबसाईट पर उपलब्ध करायी जायेगी तथा यह सूचना हर वर्ष अद्यतन हर जिला कलेक्टर द्वारा अपडेट की जायेगी और आपदा प्रबन्धन के लिये यह सूचना एक प्रभावशाली तन्त्र का कार्य करेगी।
- (ग) क्षमता निर्माण के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम हाथ में लिये जायेंगे तथा राज्य स्तर पर एच.सी.एम. रीपा नोडल एजेन्सी होगी जो राज्य एवं जिला स्तर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा गैर सरकारी संगठनों को आपदा प्रबन्धन की विभिन्न विधाओं के रिसोर्स पर्सनस तैयार करेगी तथा यह विशेष प्रशिक्षित रिसोर्स पर्सनस जिले के अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे तथा जिले के अधिकारी प्रत्येक गांव के लोगो में आपदाओं से निपटने के लिये क्षमता निर्माण करेंगे। इसी प्रकार से गृह विभाग के अधीन पुलिस व सिविल डिफेन्स डिपार्टमेन्ट में सर्व एवं रेस्क्यू ऑपरेशन्स के लिए एक विशेष टीम तैयार की जायेगी।
- (घ) समुदाय पर आधारित आपदा प्रबन्धन में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिये आपसी सहभागिता स्कीम लागू की जायेगी।
- (ङ) राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर विशेषज्ञों का एक केंद्र तैयार किया जायेगा जो एक विस्तृत इन्सीडेन्ट कमाण्ड सिस्टम को विकसित करने में मदद करेगा।
- (च) बहु आपदा रेस्पॉन्स व्यूह रचना :- बहु आपदाओं के प्रबन्धन करने के लिये इस बात का परीक्षण किया जायेगा कि केन्द्र सरकार ने जिस तरह से केन्द्रीय रिजर्व बल की कम्पनियों को विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निबटने से संबंधित प्रशिक्षण देकर एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित की हैं उसी आधार पर राज्य में भी आर.ए.सी. की कुछ कम्पनियों को भी इसी तरह की ट्रेनिंग दी जाकर राज्य स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स गठित की जा सकती है, जो आवश्यकता पड़ने पर राज्य के किसी भी जिले में भेजी जा सकती है।
- (छ) एक इस प्रकार का संचार नेटवर्क विकसित किया जायेगा जो आपदा प्रूफ एवं सूचना को तुरन्त जिल से राज्य एवं राज्य से जिला स्तर पर एवं तहसील स्तर तक भेजने में सक्षम होगा। राज्य एवं जिलों में कम्प्यूटरीकृत नियन्त्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे तथा स्टेट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क [State Disaster Resource Network (SDRN)] एवं इण्डिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क [India Disaster Resource Network (IDRN)] तैयार किया जायेगा।

- (ज) प्रत्येक आपदा के प्रभावी नियन्त्रण हेतु पृथक-पृथक कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता है। अतः प्रत्येक आपदा से निपटने के लिये पूर्व तैयारियों, आपदा से पूर्व तथा आपदा के पश्चात् दी जाने वाली सहायता एवं कार्यवाहियों के लिये प्रत्येक आपदा विशेष के प्रबन्धन हेतु योजना एवं दिशा निर्देश भी इस नीति में समायोजित किये जायेंगे।
- (झ) राज्य में अभी वर्ष 1962 का बना हुआ केवल अकाल राहत मैनुअल है जिसका आज के बदलते हुए परिवेश में बहुत कम औचित्य रह जाता है। अतः न केवल नया अकाल राहत मैनुअल ही बनाया जायेगा बल्कि अन्य आपदाओं के मैनुअल भी तैयार किये जायेंगे और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह मैनुअल सामान्य भाषा के साथ-साथ प्रक्रिया की दृष्टि से पारदर्शी तथा सरल प्रक्रिया पर आधारित हो, जिससे आम जनता को ज्यादा राहत त्वरित गति से उपलब्ध करायी जा सके।

2.3 आपदाओं की रोकथाम की प्रशासनिक व्यवस्था

- 2.3.1 राज्य स्तर पर आपदाओं से निपटने की पूर्व तैयारियों, रोकथाम तथा प्रबंधन की स्थिति की समीक्षा एवं आपदा की स्थिति से निपटने के लिये त्वरित निर्णय लेने के लिए मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (Disaster Management Authority) गठित होगा जिसकी सामान्य समय में प्रत्येक 6 माह में एक बार समीक्षा की जायेगी। इस प्राधिकरण में गृह मंत्री, वित्त मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, सिंचाई मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास एवं उर्पयुक्त विभागों के प्रमुख/शासन सचिव सदस्य तथा प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता इसके सदस्य सचिव होंगे। यह समिति आपदा प्रबंधन की मंत्रीमण्डलीय समिति के नाम से जानी जायेगी। किसी भी निर्दिष्ट या विनिर्दिष्ट आपदा के घटित होने या उसकी संभावना होने पर यह समिति परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए आवश्यकता अनुसार बैठक करेगी एवं किसी भी प्रकार के वित्तीय एवं प्रशासनिक निर्णय लेने में सक्षम होगी। इस कमेटी में लिये गये निर्णय अन्तिम होंगे एवं निर्णयों की पालना सभी विभाग समयबद्ध कार्यक्रम के तहत सुनिश्चित करेंगे।
- 2.3.2 प्रशासनिक अधिकारी स्तर पर इसी तरह की एक समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की जायेगी, जिसमें आपदा व अन्य सम्बन्धित सभी विभाग पैरा 3.1 में बताये गए विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव सदस्य रहेंगे। यह समिति भी आवश्यकता अनुसार बैठक आयोजित करेगी तथा इसमें सभी प्रकार की आपदाओं की पूर्व तैयारियों, आपदा उपरान्त राहत तथा भविष्य में आपदाओं से होने वाले खतरों को कम करने की विभिन्न विभागों की दीर्घकालीन योजनाओं का विश्लेषण करेगी। यह समिति विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक निर्णय लेने में सक्षम होगी।
- 2.3.3 आपदाओं को रोकने एवं प्रबंधन के लिए विभिन्न विभागों एवं जनता में से विभिन्न कौशल वाले व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होगी। अतः इसके लिए विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं, शासकीय संस्थाओं, निजी संस्थाओं एवं केन्द्र तथा राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के विशिष्ट कौशल वाले व्यक्तियों की एक सूची बनाई जायेगी तथा उसमें उनके स्थायी पते एवं टेलिफोन नम्बर आदि भी IDRN और SDRN के माध्यम से वेबसाईट पर उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें शीघ्र बुलाया जा सके। उक्त सूचनाओं एवं संसाधनों का आपदाओं को कम करने, रोकने एवं प्रबंधन की व्यवस्था एवं योजना बनाने में उपयोग किया जायेगा।
- 2.3.4 संभाग एवं जिला स्तर पर क्रमशः सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में उपरोक्तानुसार समितियों पर सम्भाग एवं जिला स्तर के आपदा रोकथाम एवं प्रबंधन की योजना तैयार करने की जिम्मेदारी रहेगी, जिनमें प्रत्येक प्रकार की सम्भावित आपदाओं की रोकथाम एवं प्रबंधन के उपाय किये जावेंगे। मूलतः कार्य योजनाएं प्रत्येक जिले के लिए तैयार की जायेंगी जिनमें संभाग स्तर से जिस प्रकार के सहयोग एवं सहायता की आवश्यकता होगी उसका उल्लेख रहेगा। इसके अतिरिक्त उन बिन्दुओं का उल्लेख रहेगा जिनके अंतर्गत अन्तरजिला समन्वय एवं कार्यवाही की आवश्यकता होगी। संभागीय आयुक्तों को जिलों में विभिन्न प्रकार की स्वयंसेवी संस्थाओं एवं अन्य जन उपयोगी संस्थाओं को भी इन कमेटियों में रखने का अधिकार होगा तथा आपदाओं से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की जानकारीयों, सूचनाओं आदि को जन जागृति द्वारा आम जनता तक पहुँचाने में इन संस्थाओं का भरपूर सहयोग लिया जायेगा।

- 2.3.5 सभी आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग समन्वयक विभाग रहेगा। सहायता विभाग प्राकृतिक आपदाओं के लिए राज्य स्तर पर नोडल विभाग होगा। औद्योगिक एवं रासायनिक आपदाओं के लिए श्रम विभाग महामारियों के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा मानव जनित आपदाओं/दुर्घटनाओं के लिए गृह विभाग तथा बाढ़ के लिए सिंचाई विभाग नोडल विभाग होगा।
- 2.3.6 आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिये जिला कलेक्टरों को विशेष अधिकार दिये जायेंगे। आपदा के समय कलेक्टरों को सभी प्रकार के संसाधन, मानव, मशीन एवं किसी भी प्रकार के वाहन तथा विभिन्न दक्षताओं युक्त निजी व्यक्तियों जैसे गोताखोर आदि को अधिकृत करने के अधिकार होंगे। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी जमीन, भवन, फैक्ट्री, आदि के सर्च एवं सीजर एवं अधिग्रहण के अधिकार होंगे। इसके लिये आवश्यकतानुसार आपदा प्रबन्धन कानून या प्रशासनिक आदेश के द्वारा आपदा प्रबन्धन विभाग जिला कलेक्टरों को अधिकृत करने की व्यवस्था करेगा।
- 2.3.7 आपदाओं का प्रभाव एक से अधिक जिलों में संभावित होने के कारण संभाग स्तर पर आपदाओं की रोकथाम एवं प्रबंधन के लिए संभागीय आयुक्त नोडल एजेन्सी का कार्य करेंगे। संभाग स्तर पर कार्यरत राज्य शासन के विभागों के सभी अधिकारी जिसमें पुलिस, होमगार्ड एवं वन के अधिकारी सम्मिलित हैं। संभागीय आयुक्त संभागीय स्तर के सभी शासकीय कार्यालयों एवं एजेंसियों के बीच समन्वय करेंगे। संभाग स्तर पर समिति में रेंज डी.आई.जी. को उपाध्यक्ष मनोनीत किया जायेगा, क्योंकि बचाव व राहत से संबंधित अधिकांश कार्य पुलिस विभाग से संबंधित रहते हैं। सुरक्षा सेना, अर्द्धसुरक्षा बल, रेल्वे, टेलीकॉम एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों के प्रभारी अधिकारियों को भी संभाग स्तर पर समिति का सदस्य मनोनीत किया जायेगा। संभागीय आयुक्त राज्य शासन से आदेश प्राप्त होने की प्रतीक्षा किये बगैर आपदाओं से निपटने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ कर सकेंगे।
- 2.3.8 जिला स्तर पर जिला कलेक्टर सभी प्रकार की आपदाओं की रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु नोडल अधिकारी होगा। जिले में राज्य के समस्त विभागों के जिला अधिकारी, पुलिस, होमगार्ड, वन विभाग इत्यादि अपने अधीनस्थ अमले सहित आपदा से निपटने हेतु जिला कलेक्टर के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करेंगे। जिला स्तरीय अशासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाएँ तथा अन्य स्वयं सेवी संस्थाएँ जो आपदाओं से संबंधित कार्यों में मददगार हो सकती हैं, उनके आपस के एवं शासकीय विभागों के बीच समन्वय भी जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा। जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक को उपाध्यक्ष मनोनीत किया जावेगा, क्योंकि बचाव व राहत से सम्बन्धित अधिकांश कार्य पुलिस से संबंधित रहते हैं। सुरक्षा सेना, अर्द्धसुरक्षा बल, रेल्वे, टेलीकॉम एवं अन्य महत्वपूर्ण संस्थाओं के प्रभारी अधिकारियों को भी जिला स्तर पर समिति का सदस्य मनोनीत किया जावेगा। जिला कलेक्टर राज्य शासन से आदेश प्राप्त होने की प्रतीक्षा किये बगैर आपदाओं से निपटने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ कर सकेंगे।
- 2.3.9 जिला स्तरीय कार्ययोजना के दो भाग होंगे। प्रथम भाग में आपदा के पूर्व तैयारी, रोकथाम के उपायों का समावेश होगा। दूसरे भाग में आपदा के घटित होने के बाद, आपदा से निपटने के उपाय, आपदा पश्चात् दी जाने वाली सहायता, उपचार एवं पुनर्स्थापना की योजना रहेगी। जिला योजना में सामुदायिक जागरूकता पैदा करने एवं सम्भावित विभिन्न आपदाओं के क्षेत्रों में उनसे निपटने के लिये वहाँ के निवासियों की क्षमता के निर्माण तथा उन्हें प्रशिक्षण दिये जाने संबंधी विषय सम्मिलित होंगे।
- 2.3.10 जिलास्तरीय कार्य योजना पर जिला योजना समिति के द्वारा विचार-विमर्श एवं अनुमोदन के पश्चात् राज्य शासन से सहमति (concurrency) प्राप्त की जायेगी। संभागीय योजना संभाग आयुक्त द्वारा बनाई जायेगी, जिस पर राज्य शासन की सहमति प्राप्त की जायेगी।
- 2.3.11 कार्ययोजना में सामाजिक, अशासकीय एवं स्वैच्छिक संगठनों तथा महिला संगठनों की सक्रिय भूमिका एवं सहयोग का उल्लेख होगा। कार्ययोजना का जिले में सघन प्रचार-प्रसार किया जावेगा तथा योजना के संबंध में प्राप्त सुझावों का विचार-विमर्श के उपरान्त आवश्यकता अनुसार कार्ययोजना में समावेश किया जावेगा।

- 2.3.12 प्रभावित क्षेत्रों में समय पर आपदा की चेतावनी देने की सुव्यवस्थित व्यवस्था न होने के कारण पूर्व तैयारियों के बावजूद भी धन व जन हानि को रोकना संभव नहीं हो पाता है। अतः जिला आपदा प्रबंधन कार्ययोजना में आधुनिक संचार माध्यमों सहित समस्त मीडिया की भूमिका एवं जिन विषयों में उनके विशिष्ट सहयोग की आवश्यकता होगी, उसका उल्लेख किया जायेगा। यह कार्यवाही जिला कलेक्टरों द्वारा की जावेगी।
- 2.3.13 विभिन्न प्रकार की आपदाओं में यह पाया गया है कि महिला एवं बच्चे आपदाओं से सबसे अधिक पीड़ित होते हैं। अतः जिला योजना में महिलाओं और बच्चों पर आपदाओं से होने वाले संकटों को कम करने एवं बचाव की कार्यवाहियों का स्पष्ट उल्लेख होगा तथा उन्हें शीघ्र राहत प्रदान करने के विशिष्ट उपायों का समावेश किया जायेगा। खासतौर से विभिन्न आपदाओं से प्रभावित लोगों को किस प्रकार का प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना चाहिये, इसके बारे में जागरूकता हर परिवार के सदस्यों को होनी चाहिये।
- 2.3.14 विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का पशुओं पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव जीवन व पर्यावरण के लिए वे महत्वपूर्ण हैं। जिला कार्ययोजना में सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में पशुओं को राहत प्रदान करने के लिए किये जाने वाले विशिष्ट उपायों का भी समावेश किया जायेगा।
- 2.3.15 राज्य को प्रभावित करने वाली आपदाओं की रोकथाम व प्रबंधन की पूर्व तैयारियों से आपदा के प्रभाव को कम करने की कार्यवाहियों को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। सभी संबंधित विभागों की वार्षिक योजना में इन कार्यवाहियों का समावेश किया जावेगा और वित्तीय संसाधनों के आवंटन में इसे प्राथमिकता दी जायेगी तथा इनका समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। जिन योजनाओं के कार्यान्वयन में अधिक समय की आवश्यकता होती है, उन्हें पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जायेगा। आपदाओं की रोकथाम की पूर्व तैयारियों एवं प्रबंधन की अन्तरविभागीय योजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान एवं प्राथमिकता का निर्धारण मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
- 2.3.16 आपदा से सम्बन्धित नोडल एजेंसी, सरकारी विभाग, स्वायत्त शासी संस्थाएँ, गैर सरकारी संगठन, रिसर्च एजेंसी, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, विभिन्न सामुदायिक समूह तथा अन्य स्टेक होल्डर्स आपदा से सम्बन्धित जानकारी, प्रचार एवं प्रसार, समन्वय तन्त्र तथा सभी स्टेक होल्डर्स क्षमता निर्माण के लिंक स्थापित किये जायें और इस प्रकार का तन्त्र विकसित किया जायेगा जो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का लगातार फीड बैक सिस्टम संधारित किया जा सकेगा, जो प्रभावी रूप से सहायता, पुनर्वास, प्रयास एवं क्षमता निर्माण विकसित कर सकेंगे।

2.4 आपदा प्रबन्धन के तीन चरण

विभिन्न प्रकार की आपदाओं के रोकथाम, नियंत्रण व प्रबंधन के लिए अलग-अलग प्रकार के उपायों की विभिन्न चरणों में आवश्यकता होती है, अतः इन तीनों चरणों में आपदाओं से प्रभावीरूप से निपटने के लिये राज्य व जिला स्तर पर किये जाने वाले कार्यों को उल्लेखित किया जाना आवश्यक है। अतः किसी भी प्रकार के आपदा प्रबन्धन के लिए निम्न तीन चरण होते हैं:-

- (अ) प्रथम चरण – आपदा से पूर्व तैयारी की अवस्था
- (ब) द्वितीय चरण – आपदा के समय और प्रभाव की अवस्था में तात्कालिक राहत व्यवस्था
- (स) तृतीय चरण – आपदा के बाद की पुनर्वास एवं आधारभूत संरचना के बहाली की अवस्था

2.4.1 प्रथम चरण – आपदा से पूर्व तैयारी की अवस्था

आपदा के घटित होने से पूर्व के प्रथम चरण में आपदा की रोकथाम, भावी आपदा के प्रभाव एवं खतरों में कमी के प्रयास तथा आपदा से पूर्व तैयारियाँ (Prevention, Mitigation & Preparedness) सम्मिलित हैं। इस चरण में आपदा से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का संग्रहण, आपदा के समय काम आने वाले उपलब्ध संसाधनों की सूची, विभिन्न आपदाओं से निपटने की कार्य योजनाओं का निर्माण, जनता एवं प्रशासनिक अधिकारियों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, आपदा के कारणों एवं आपदा से निपटने के उपायों के बारे में जन जागृति लाना तथा विभिन्न आपदाओं से सम्बन्धित नोडल विभागों एवं स्थानीय संस्थाओं द्वारा कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये एक्सन प्लान के माध्यम से निपटने की पूर्व तैयारी जैसे महत्वपूर्ण बिन्दु आते हैं।

जिला स्तर, विभागीय स्तर तथा राज्य स्तर पर आपदा से पूर्व तैयारी में निम्न बिन्दुओं का समावेश किया जायेगा:-

(1) भारतीय आपदा संसाधन नेट वर्क

केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार भारतीय आपदा संसाधन नेट वर्क (Indian Disaster Resource Network- IDRN) के तहत प्रत्येक जिले में कन्ट्रोल रूम की स्थापना तथा जिला कलेक्टर के पास कम्प्यूटर में बेवसाईट पर विभिन्न तरह की आपदाओं में राहत व बचाव कार्य को तेजी से करने के लिए शासन व शासकीय संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों के पास उपलब्ध सामग्री व मानव संसाधन तथा विभिन्न प्रकार के मशीन एवं उपकरणों तथा यातायात के विभिन्न साधनों की उपलब्धता की विस्तृत जानकारी प्रत्येक जिले के लिए (इन्वेट्री) तैयार की जायेगी। मानव संसाधन की सूची में उपलब्ध व्यक्तियों की जिस विषय में विशेष दक्षता होगी, उसका स्पष्ट उल्लेख होगा, जिससे आपदा की स्थिति में उनका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सके। उपलब्ध सामग्री की सूची में उनकी उपयोगिता संबंधी जानकारी तथा उनका पूरा पता मय टेलीफोन नम्बरों के भी उपलब्ध होगा ताकि इसका आवश्यकता के समय तत्काल उपयोग किया जा सके या उन्हें तुरन्त बुलाया जा सके।

- i). विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए जिस सामग्री व व्यक्तियों की आवश्यकता है और जो जिलों में शासकीय, अशासकीय व निजी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, उसकी जानकारी तैयार की जावेगी जिससे आपदाओं की स्थिति में जिन जिलों में एवं राज्य के बाहर जहाँ भी वे संसाधन उपलब्ध हों, उन्हें तुरन्त वहाँ से बिना किसी विलम्ब से मंगाया जा सकेगा।
- ii). सामग्री, मानव संसाधन, मशीनों एवं यन्त्रों और उपकरणों के सम्बन्ध में एकत्र की गई जानकारी का हर छः माह में उनकी उपलब्धता, उनके धारक का पता एवं टेलीफोन एवं उनकी चालू स्थिति के बारे में पुनरावलोकन किया जावेगा और उन्हें आवश्यकतानुसार संशोधित एवं आदिनांक किया जावेगा। यह सारी जिम्मेदारी जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की होगी परन्तु राज्य सरकार के स्तर पर विभिन्न विभागाध्यक्षों का कर्तव्य होगा कि वह अपने जिले के संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देकर उन्हें पाबन्द करेंगे कि वे आवश्यक सूचना (आई.डी.आर.एन.) तथा (एस.डी.आर.एन.) की जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराये तथा उसमें नियमित रूप से हर छः माह में संशोधन की कार्यवाही करावे।

(2) संचार तकनीकी नेटवर्क की स्थापना

आपदा के समय संचार व्यवस्था का तंत्र छिन्न-भिन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक वैकल्पिक संचार व्यवस्था स्थापित करने हेतु आवश्यक तैयारी करने की कार्यवाही की जावेगी। जिससे उसका उपयोग आपदा के समय प्रचलित संचार व्यवस्था में अवरोध होने पर किया जा सके। प्रयत्न किया जायेगा कि प्रौद्योगिकी की सहायता से ऐसा संचार तंत्र विकसित किया जावे जो आपदा से प्रभावित न हो। संचार व्यवस्था असंचालित होने की स्थिति में उसे अतिशीघ्र पुनर्स्थापित करने की व्यवस्था की जावेगी। अतः राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर कम्प्यूटराईज्ड कन्ट्रोल रूम स्थापित किये जायेंगे।

(3) नियोजित विकास

विकास का आपदा के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान है। दीर्घकालीन आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि योजनाबद्ध विकास के माध्यम से सभी विभागों को आपदाओं की रोकथाम एवं आपदाओं के भविष्य में प्रभाव एवं खतरों को कम करने के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को सतत विकास प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावे। उदाहरण के लिए सभी जिला अस्पतालों का आपातकालीन ऑपरेशन थियेटरों से सुसज्जित होना, उनमें 24 घण्टे विद्युत की व्यवस्था होना, सभी जिला मुख्यालयों एवं बड़े कस्बों में अग्निशमन यंत्रों, एम्बुलेन्सों की व्यवस्था, भविष्य में बनने वाले स्कूल भवनो, अन्य सरकारी एवं सामुदायिक भवनों का ऊँचे क्षेत्रों में निर्माण जो भविष्य में आपदा के समय अच्छे आश्रय स्थलों के रूप में काम आ सकें। इसके अतिरिक्त विकसित संचार एवं यातायात के विशाल ढांचागत विकास का किसी भी आपदा के नियन्त्रण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी प्रकार अकाल से निपटने के लिए स्थायी व्यवस्था खासतौर से चारे के बैकों की स्थापना, चारे के लिए स्थायी चारागाह विकास कार्यक्रम, जल संसाधनों का समुचित विकास एवं समन्वित उपयोग तथा पानी की बचत हेतु जल संरक्षण कार्यों के साथ-साथ वर्षा जल पुनर्भरण कार्यक्रमों आदि को भी योजनाबद्ध विकास के माध्यम से किये जाने पर अकाल के प्रभाव को काफी सीमा तक कम किया जा सकता है।

(4) कानून, नियम, उप नियम तथा दिशा-निर्देशों का निर्माण

सफल आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति से निपटने के लिये स्पष्ट नीतियां, दिशा निर्देश (Guideline) एवं नियम हों तथा उनकी सरकारी विभागों, संस्थाओं एवं निजी व्यक्तियों द्वारा सख्ती से पालना सुनिश्चित हो। इसके मुख्य बिन्दु हैं:-

- भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में भवनो के निर्माण की संरचना तथा डिजाइन के लिए भूकम्परोधी तकनीकी के उपयोग से भवन निर्माण के स्पष्ट नियम/उपनियम तथा भवनों के रेट्रोफिटिंग के विभिन्न दिशा निर्देश
- भूकम्प एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भूमि के प्रयोग एवं नियोजन के स्पष्ट नियम एवं प्रावधान
- फसल चक्र के स्पष्ट प्रावधान, दिशा निर्देश एवं पूर्ण निर्धारित जिम्मेदारी
- महामारी फैलने की स्थिति में क्या कार्ययोजना होगी, स्पष्ट दिशा निर्देश एवं विभागों की पूर्ण निर्धारित जिम्मेदारी
- बाढ़, आंधी, तूफान की स्थिति में तात्कालिक राहत के स्पष्ट निर्देश।
- आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित कानूनों एवं नियमों का निर्माण
- पूर्व निर्मित कानूनों, नियमों, उपनियमों एवं पुराने फेमिन कोड (मैनुअल) तथा अन्य विभागीय मैनुअल एवं विभिन्न दिशा निर्देशों में संशोधन
- बड़े शहरों में बहुमंजिले भवनो में आग से बचाव के समस्त उपायो को आई.एस. कोड तथा एन.बी. कोड के प्रावधानों को भवन निर्माण कानून में जोड़ने बाबत नियमों में संशोधन

(5) आपदा प्रबन्धन कार्य योजनाओं का निर्माण

सभी आपदाओं से प्रभावी रूप से निपटने के लिए प्रत्येक जिले में आपदा प्रबन्धन की कार्य योजनाएँ बनाई जायेंगी तथा सभी सम्बन्धित विभाग सम्बन्धित आपदा से प्रभावी रूप से निपटने के लिए राज्य स्तर की आपदा प्रबन्धन योजना बनायेंगे तथा समय-समय पर उन्हें आयोजित करने के साथ उसका हर साल पूर्वाभ्यास (रिहर्सल) करेंगे।

(6) आपदा पूर्व चेतावनी का विकसित ढाँचा

आपदा पूर्व चेतावनी यदि उचित समय पर दी जा सके तो आपदा के दुष्प्रभाव एवं खतरों को काफी सीमा तक कम किया जा सकता है। जिला प्रशासन एवं विभिन्न आपदा से संबंधित नोडल विभाग आपदा पूर्व चेतावनी की सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे।

(7) आपदा प्रबन्धन की लोचपूर्ण प्रक्रिया

कानूनी पेचीदगियों की वजह से कई बार आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव में अनावश्यक देरी हो जाती है। अतः आपदा के समय, विभिन्न प्रकार के सामान के क्रय, पुनर्वास तथा विभिन्न प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता तुरन्त सुनिश्चित कराने के लिये जिला प्रशासन को आपदा एवं परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की छूट होनी चाहिये। अतः इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता है।

(8) क्षमता निर्माण

किसी भी आपदा के प्रभावी नियन्त्रण के लिए राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, निजी संस्थाओं एवं आपदा से प्रभावित जन समुदाय के क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्षमता निर्माण के मुख्य बिन्दु हैं :-

1. आपदा से सम्बन्धित खतरों के बारे में जनता को पूर्ण जानकारी।
2. आपदा से निपटने हेतु उचित तात्कालिक उपायों का जनता को ज्ञान।
3. आपदा से निपटने के लिये विशेष ज्ञान के समवर्गों की स्थापना तथा प्रशिक्षण एवं रिसर्च की उपलब्धता।
4. आपातकालीन आपदा की रेस्पॉन्स मेकेनिज्म की स्थापना जिससे आपदा के विशिष्टीकृत केडर को तुरन्त पद स्थापित किया जा सके।
5. आपदाओं से सम्बन्धित ज्ञान एवं उनसे निपटने के लिये उपायों का माध्यमिक स्तर एवं उच्च कक्षाओं की स्कूलों के पाठ्यक्रम में लागू करना।
6. विभिन्न आपदाओं की आवश्यकतानुसार भवन संरचनाओं एवं मोडलों तथा भवनों के रेट्रोफिटिंग का ज्ञान सभी लोगों को प्रदान करना तथा सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में उन्हें लागू करना।
7. आपदा के समय काम आने वाले विभिन्न उपकरणों की आमजन को जानकारी।
8. विभिन्न आपदाओं में विभिन्न प्रकार की प्राथमिक उपचार (First Aid) व्यवस्था के बारे में संभावित आपदाओं के क्षेत्रों के लोगों को ज्ञान उपलब्ध कराना तथा प्रत्येक गांव एवं मोहल्ले में प्राथमिक उपचार व्यवस्था की टीमें गठित करना।
9. ग्राम स्वयंसेवी गठित टीमों द्वारा आपदा के समय लोगों को किस प्रकार आश्रय स्थलों पर पहुँचाया जावे तथा पीड़ित व्यक्ति को कहाँ और किस अस्पताल में पहुँचाया जावे, इन सबकी पूर्ण जानकारी।
10. आपदा के तुरन्त बाद प्रशासन के बजाय आपदा से पीड़ित पक्ष को उसके पड़ोसी या उसके गांव एवं कॉलोनी के लोगों द्वारा मदद सबसे पहले उपलब्ध करायी जाती है। अतः संभावित आपदा के क्षेत्रों में सर्तकता समितियों और स्वयंसेवी संगठनों का निर्माण।

(9) प्रशिक्षण

विभिन्न आपदाओं के नोडल विभाग क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम नोडल एजेंसी एच.सी.एम.रीपा होगी।

- 1) ऐसे व्यक्ति जिन्हें आपदा प्रबंधन में सक्रिय रूप से जुड़े रहने की आवश्यकता है, उनकी सूची बनाई जावेगी और उन्हें बचाव व राहत के कार्य तथा आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जावेगा। इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम एक विशेषज्ञ समिति के द्वारा बनाया जायेगा और इसका अनुमोदन प्रशासनिक विभाग से प्राप्त किया जावेगा।
- 2) इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन से संबंधित व्यक्तियों को उनके कार्य से संबंधित विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिससे आपदा के समय वे बिना किसी पर्यवेक्षण के अपने कार्य को कर सकें।
- 3) उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा प्रबंधन में लगे व्यक्तियों के तकनीकी, वैज्ञानिक व प्रबंधकीय ज्ञान को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जावेगा।
- 4) राज्य सरकार अपने स्तर पर आपदा अनुसार विशिष्टियों वाले व्यक्तियों के अलग-अलग दल बनायेगी जो सभी तरह की आपदाओं में बचाव व राहत के कार्य में पूर्णतः प्रशिक्षित होंगे। किसी भी आपदा की स्थिति में यह दल आपदा प्रभावित जिले के आपदा के प्रभारी अधिकारी से तुरन्त सम्पर्क करेगा। ये व्यक्ति विभिन्न संबंधित विभागों जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सिंचाई, श्रम, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी आदि से लिये जावेंगे। इन्हें प्रशिक्षण हेतु एवं आपदा के समय कार्य संभालने के लिए राज्य के आपदा प्रबंधन एवं सहायता आयुक्त के आदेश से लगाया जा सकेगा। सभी विभाग

इन अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजने हेतु तथा आपदा के समय तुरन्त भेजने के लिए बाध्य होंगे। एच.सी.एम. रीपा इन सभी विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षित करेगा।

- 5) जिला स्तर पर भी आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित कोर ग्रुप गठित किये जायेंगे।
- 6) राज्य स्तर पर गृह विभाग द्वारा इस बात का परीक्षण किया जायेगा कि जिस प्रकार से केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सुरक्षा बल की कम्पनियों को आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण देकर विभिन्न प्रकार के आपदा प्रबन्धन हेतु पूरे देश के लिये आपदा प्रबन्धन रिजर्व बल तैयार किया है। क्या राज्य स्तर पर भी इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाकर आर.ए.सी. की कम्पनियों को आपदा प्रबन्धन की व्यवस्था के लिये तैयार किया जा सकता है?

(10) स्वास्थ्य एवं मेडिकल केयर

किसी भी आपदा में पीड़ित पक्ष को तुरन्त राहत पहुँचाने में मेडिकल केयर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः चिकित्सा व्यवस्था की क्षमता भली प्रकार से होनी चाहिए जो किसी भी प्रकार की आपदाओं का मुकाबला करने में सक्षम हों। ऑपरेशन थियेटर्स का सुसज्जित एवं पर्याप्त मात्रा में होना, उनमें 24 घण्टे विद्युत व्यवस्था राज्य एवं जिला स्तर पर विकसित हो एवं पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेन्सों एवं मोबाइल टीमों की उपलब्धता होनी चाहिये। किसी भी स्थिति में प्रशिक्षित स्टाफ को आवश्यकतानुसार तुरन्त भेजा जा सके, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिये।

2.4.2 द्वितीय चरण—आपदा के समय और प्रभाव की अवस्था में तात्कालिक राहत व्यवस्था

इस चरण में राज्य प्रशासन के आपदा के विरुद्ध शीघ्रता से निपटने की सक्षमता का विकास, आपदा से पूर्व विभिन्न प्रकार के आपदा समूहों एवं संस्थाओं को दिये गये विशिष्ट प्रकार की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में प्रदत्त सक्षमताओं के विकास का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसी के साथ उस प्रशिक्षित स्टाफ को आपदा स्थल पर तुरन्त नियुक्ति (deployment), उचित सूचना का प्रवाह तथा त्वरित निर्णय की क्षमता का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है।

आपदा से निपटने के लिये समस्त जिम्मेदारी अकेले जिला कलेक्टर की ही न होकर सभी विभागों एवं वहाँ की स्थानीय संस्थाओं की भी होती है। राज्य सरकार वह सभी सहायता एवं सुविधा उपलब्ध करायेगी जो आपदा से निपटने के लिए आवश्यक होगी।

द्वितीय चरण के समय महत्वपूर्ण कार्य बिन्दु

आपदा से निपटने की कार्यवाही, इसकी पूर्व तैयारी सर्तकता व इच्छा-शक्ति पर निर्भर करती है। आपदा के प्रत्युत्तर में की गयी तुरन्त कार्यवाही जितनी तेजी एवं कुशलता से की जायेगी उतनी जल्दी जन एवं धन सम्पत्ति के नुकसान को बचाने में कामयाबी हासिल होगी। इस चरण में मुख्य कार्य बिन्दु होंगे:—

(1) संचार व्यवस्था एवं कन्ट्रोल रूम की स्थापना

- i) आपदा के तुरन्त बाद जिला स्तर पर केन्द्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा जो टेलीफोन, फैक्स, वायरलेस, ई-मेल सुविधा एवं अन्य आधुनिक संचार के साधनों से युक्त होगा। इस आपदा नियंत्रण कक्ष का प्रभारी अधिकारी जिला स्तर का एक वरिष्ठ अधिकारी होगा तथा यह नियंत्रण कक्ष जिला स्तर पर आपदा से संबंधित की जाने वाली समस्त कार्यवाही के लिए मुख्य केन्द्र बिन्दु रहेगा। यहां आपदा संबंधी सूचनाएं प्राप्त की जावेगी तथा नियंत्रण व रोकथाम की कार्यवाहियों के लिए निर्देश जारी किये जावेंगे। यहां से सूचना माध्यमों द्वारा आम जनता के लिए आवश्यक सूचनाएं सामान्य रूप से जारी की जायेगी तथा जानकारी मांगी जाने पर उपलब्ध भी कराई जायेगी।
- ii) आपदा की स्थिति में आपदा स्थल के पास भी नियंत्रण कक्ष आवश्यकतानुसार स्थापित किये जायेंगे, जहाँ से बचाव कार्य एवं राहत कार्यों का समन्वय किया जावेगा। जिला स्तर पर राहत कार्यों से संबद्ध विभागीय कार्यालयों में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किये जायेंगे, जिससे वे विभागीय कार्यवाही को निर्देशित कर सकें।

- iii) जैसे ही किसी आपदा की संभावना की जानकारी प्राप्त होती है, वैसे ही आम जनता तथा प्रभावित होने वाली संभावित आबादी को सभी आधुनिक सूचना माध्यमों से बगैर किसी विलम्ब के सूचित किया जावेगा। आपदा की प्रकृति को देखते हुए प्रभावित व्यक्तियों एवं उनकी सम्पत्ति की रक्षा के पूर्ण प्रयत्न किये जायेंगे।
- iv) विशेष रूप से बनाये गए कार्यदलों के द्वारा बचाव कार्य बिना किसी विलम्ब के किये जायेंगे। जहां तक संभव होगा आपदा प्रभावित क्षेत्र के समीप ही राहत उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया जायेगा, जिससे सहायता में अनावश्यक विलम्ब न हो।

(2) सर्च एवं रेस्क्यू टीम

आपदा से प्रभावित क्षेत्र में सर्च एवं रेस्क्यू टीम जितनी त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचेगी उतना ही जल्दी आपदा से प्रभावित लोगों को बचाया जा सकेगा। आपदा से प्रभावित एवं आपदा में फँसे हुए लोगों को त्वरित गति से बाहर निकालना, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भेजा जावे उन्हें सुरक्षित स्थानों पर बसाने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर एवं जिले में स्थित सभी विभागों की होगी तथा हर सम्भव मदद सर्च एवं रेस्क्यू टीम को उपलब्ध कराई जायेगी। राज्य स्तर पर स्थापित सर्च एवं रेस्क्यू टीमों को जल्दी से जल्दी आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भेजने की व्यवस्था की जायेगी।

(3) आवश्यक सेवाओं की बहाली

आपदा की स्थिति में बिजली, पानी, संचार के साधन, सड़क, पुल आदि बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अतः इन समस्त प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं के ढांचागत निर्माण की पुनः बहाली सरकार की प्रथम प्राथमिकता होगी जिससे आपदा से मुकाबला करने में तात्कालिक राहत पहुंचाने में कोई व्यवधान उस समय नहीं हो तथा यदि किसी भी प्रकार की अन्य खतरनाक परिस्थितियां बन गयी हों तो उनका भी शीघ्र निवारण किया जा सके। सभी विभागों, स्थानीय सस्थाओं एवं जनता के पूर्ण सहयोग के साथ जिला प्रशासन समस्त ढांचागत विकास की बहाली की कार्यवाही की जायेगी।

(4) आपदा पीड़ित लोगों को आश्रय स्थलों पर भोजन, स्वास्थ्य एवं सफाई की व्यवस्था

आपदा के समय, खाद्य आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। अधिकांश लोगों के मकान ध्वस्त हो जाते हैं या बाढ़, भूकम्प एवं अग्निकाण्ड की स्थिति में उन्हें सुरक्षित आश्रय स्थलों पर पहुंचाना होता है। इन कैम्पों में खाने-पीने तथा स्वास्थ्य एवं सफाई की प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता होती है।

(5) आपदा के बाद राहत आकलन

सहायता एवं आपदा प्रबन्धन विभाग, जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित विभागों के माध्यम से आपदा से प्रभावित फसलों के नुकसान, ध्वस्त मकान एवं मनुष्य एवं पशुओं के हुए नुकसान का तुरन्त सर्वे किया जायेगा, जिससे पीड़ित पक्ष को तुरन्त राहत पहुँचाई जा सके।

- i) जन तथा सम्पदा की हानि के आकलन के लिए जिला कलेक्टर एक ऐसी सुनियोजित व्यवस्था रखेंगे जो आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त कार्यवाही करे। आपदा के कारण जो व्यक्ति अपनी सम्पत्ति छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं उनकी सम्पत्ति की रक्षा की व्यवस्था के प्रयास किये जायेंगे।
- ii) संभागीय आयुक्त एवं राज्य सहायता आयुक्त को राहत व बचाव कार्य की प्रगति, आंकलित जन व सम्पत्ति की हानि तथा बचाव एवं राहत कार्यों में लगने वाली सामग्री व जनशक्ति की आवश्यकता की जानकारी निरंतर दी जावेगी।

(6) राहत पीड़ितों के लिये राहत पैकेज

आपदा से पीड़ित व्यक्तियों के हुए नुकसान के मुआवजे हेतु उन्हें नकद धनराशि या वस्तुओं के रूप में सरकार एवं दानदाताओं के द्वारा मदद प्रदान की जाती है। उसकी एक सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिये। राहत सभी प्रभावित व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहिये, उसमें किसी भी प्रकार जाति, धर्म, समुदाय, लिंग आदि का भेदभाव नहीं होना चाहिये।

(7) आश्रय स्थलों एवं अस्पताल में पीड़ित व्यक्तियों को पहुँचाने की परिवहन व्यवस्था

आपदा के समय पीड़ित व्यक्तियों को अस्पताल एवं आश्रय स्थलों तक परिवहन करने की तुरन्त आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था परिवहन विभाग के देखरेख में निजी व्यक्तियों एवं आर.एस. आर.टी.सी. की बसों से उपलब्ध कराई जायेगी। कई बार सरकारी बसें एवं ट्रक बिना किराये के उपलब्ध नहीं होते हैं, अतः ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार कलेक्टर के पास परिवहन के साधन किराये पर लेने के लिए विशेष कोष की व्यवस्था करायेगी। यह कोष राज्य सरकार, दानदाताओं एवं निजी ओपरेटरों से एक शुल्क लगाकर बनाया जा सकता है।

(8) क्रेन, बुलडोजर एवं आवश्यकता अनुसार अन्य संसाधनों का अधिग्रहण

कई बार भूकम्प एवं मकानों के ढहने एवं कुओं के ढहने की स्थिति में काफी लोग दब जाते हैं, उन्हें तुरन्त निकालने के लिए क्रेन, बुलडोजर एवं अन्य मशीनों की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिये कलेक्टर को इन मशीनों को जुटाने एवं अधिग्रहण के समस्त अधिकार होंगे। फंसे हुए आदमियों को निकालने का जो भी खर्चा होगा उसे राज्य सरकार वहन करेगी तथा ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की टेण्डर प्रक्रिया या अन्य किसी भी प्रकार के नियमों की छूट जिला कलेक्टर को होगी।

2.4.3 तृतीय चरण—आपदा के बाद की पुनर्वास एवं आधारभूत संरचना के बहाली की अवस्था

इस चरण के मुख्य रूप से निम्न कार्य सम्मिलित होते हैं:—

आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति स्थापित करने के समस्त प्रयास यथाशीघ्र किये जायेंगे। मूलभूत अधोसंरचनात्मक तथा सामुदायिक सुविधाओं को पुनर्स्थापित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित एवं स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे। आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की कार्यवाही की जायेगी और इस संबंध में यथासंभव सहायता दी जायेगी। आपदा से मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों जिनकी सम्पत्ति एवं निकटस्थ संबंधियों की जीवन हानि हुई है, उन्हें मनोवैज्ञानिक चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी। नगरीय प्रशासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग विद्यमान अधिनियमों में संशोधन करते हुए स्थानीय स्तर पर आपदाओं के प्रबंधन एवं नियंत्रण के लिए स्थानीय निकायों की भूमिका निर्धारित करेंगे।

तृतीय चरण के मुख्य कार्य बिन्दु

(1) विस्तृत हानि का आंकलन

आपदा के समय प्रारम्भिक हानि के फोरीतौर के आंकलन के बाद इस चरण में संभावित हानि का विस्तृत आंकलन किया जायेगा। जिससे सामान्य स्थिति की बहाली के शीघ्र परिणाम सुनिश्चित हो तथा आपदा के दीर्घकालीन प्रभावों को कम किया जा सके। सरकार की आपदा प्रबंधन की मूलभूत नीति आपदा के सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणामों को समाप्त कर एक स्थायी सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं में सुधार का होगा।

(2) प्रभावित लोगों को पुनर्स्थापन

यदि राज्य सरकार यह उचित समझती है कि प्रभावित लोगों को उनकी सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें मूल आबादी से स्थानान्तरित कर दूसरी जगह बसाने की आवश्यकता है, तो उस स्थिति में उन्हें बसाने हेतु सरकारी उपलब्ध जमीन का आवंटन एवं यदि जमीन उपलब्ध न हो तो भूमि अधिग्रहण करके उपलब्ध करा सकती है। इसके लिए एक व्यावहारिक पुनर्स्थापना पैकेज बनाया जा सकता है। सरकार विद्युत, पेयजल की सुविधा तथा उस बस्ती में रोजगार के साधनों की उपलब्धता एवं बच्चों के लिये स्कूल आदि की व्यवस्था कर सकती है।

(3) पुनर्स्थापना एवं पुन संरचना योजनाओं की स्वीकृति

दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित विभागों द्वारा उचित योजनाओं की पहचान, स्वीकृति के लिये विस्तृत एस्टीमेट बनाना, उनकी तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है जिससे कि इन दीर्घकालीन योजनाओं को अति शीघ्र सम्पन्न कराया जा सके।

(4) धन का आवंटन एवं ऑडिट

विभिन्न माध्यमों से वित्त व्यवस्था के बाद विभिन्न मदों के लिए धन के आवंटन एवं बजट का नियन्त्रण एवं ऑडिट आवश्यकता इस चरण में होती है, जिससे कि धन का किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं हो सके।

(5) परियोजना प्रबन्धन

पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजनाओं की सतत रिव्यू एवं मोनिटरिंग की आवश्यकता है। इसके मुख्य निम्न कार्य हैं:-

1. भवनों का आपदा प्रूफ एवं रेट्रोफिटिंग
2. रेट्रोफिटिंग की संरचनाओं एवं नमूनों का निर्माण
3. आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कें, पुल, बांध, केनाल आदि के लिए रेट्रोफिटिंग की संरचना के प्रस्ताव
4. आधारभूत ढांचा निर्माण सुविधाएँ जैसे सड़क, पावर स्टेशन, एयर पोर्ट, बस स्टेशन, रेलवे लाईन आदि योजनाओं का मोनीटरिंग
5. स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण, प्राथमिक उपचार केन्द्र, अस्पताल, डाक्टरों एवं सर्जनों की आवश्यकता
6. ध्वस्त औद्योगिक ईकाईयों की पुनर्स्थापना
7. आजीविका की पुनर्स्थापना (Restoration of livelihood)
8. आपदाओं से पीड़ितों को मानसिक रूप से विकृत व्यक्तियों को सलाह मशविरा (Counselling)

(6) संचार नेटवर्क एवं जन जागृति

किसी भी आपदा के स्थायी समाधान में शक्तिशाली संचार के साधनों का ढांचागत विकास एवं उससे जनता को आपदा से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के बाद की समस्त जानकारी यदि सहजता से उपलब्ध हो तो आपदा प्रबन्धन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

2.5 रोकथाम व नियंत्रण के कार्य एवं विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी

इन तीनों चरणों में आपदा के प्रभावी प्रबन्धन में राज्य सरकार एवं उसके विभिन्न विभाग, जिला प्रशासन, स्वायत्त शासी संस्थाएँ एवं स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः इन विभिन्न आपदाओं की रोकथाम एवं नियन्त्रण में राज्य सरकार, विभिन्न विभागों, स्वायत्त शासी संस्थाओं एवं स्वयं सेवी संगठनों का निम्न प्रकार से आपदा अनुसार कार्य कलाप एवं उत्तरदायित्व होगा:-

2.5.1 सूखा

सूखा प्रबन्धन के लिये राज्य सरकार सूखे से पूर्व निपटने की समस्त तैयारी तथा अकाल घोषित होने के बाद रोजगार सृजन, पेयजल प्रबन्धन, पशु संरक्षण, अनुग्रह सहायता, खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य तथा अन्य सभी उपाय जिनसे एक ओर तो जनता को भूख से बचाया जा सके तथा दूसरी ओर प्रभावित जनसंख्या की जीवन की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए समस्त कार्यकरणी इसका विस्तृत विवरण अकाल सहायता एवं आपदा प्रबन्धन मैनुअल में अलग से अद्यतन प्रकाशित किया जायेगा, जिसके अनुसार सभी विभाग न केवल सूखे से निपटने के लिये तात्कालिक व्यवस्था करेंगे, बल्कि भविष्य में अकाल के प्रभाव के खतरों से बचाने हेतु दीर्घकालीन योजना भी बनायेंगे। इन सभी दीर्घकालीन योजनाओं को पानी की मितव्ययता, उपलब्ध पानी का अनुकूलतम उपयोग तथा वर्षा का पानी संग्रहण तथा कृत्रिम पुनर्भरण एवं कम पानी के उपयोग पर आधारित फसल चक्रों को

लागू करने के साथ-साथ भू-संरक्षण कार्यो एवं वन विकास के कार्यो को हाथ में लिया जायेगा तथा राज्य की जल नीति पर पुनर्विचार करते हुए भविष्य की पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पेयजल आरक्षित किया जायेगा तथा पेयजल प्रथम प्राथमिकता होगी एवं राज्य की जल नीति को सभी सम्बन्धित विभाग प्रभावी रूप से लागू करेंगे। सूखा एवं अकाल प्रबन्धन का नोडल विभाग सहायता एवं आपदा प्रबन्धन विभाग होगा।

2.5.2 बाढ़

- 1 बाढ़ के प्रभावी नियन्त्रण के लिये प्रत्येक जिले के जिला कलेक्टर अपने जिले की आपातकालीन योजना बनायेंगे, जिसमें उन स्थानों को चयनित करेंगे जहाँ कि बाढ़ आने की सम्भावना हो तथा बाढ़ बचाव से मुकाबला करने के लिये वह सभी उपाय जिसमें अचानक पानी आने पर उसे कैसे रोका जाये, पानी से डूबने की स्थिति में आदमियों एवं उनके मूल्यवान सामान को कैसे खाली कराया जाये, उनको अस्थायी रूप से ठहराने के लिये अस्थायी आश्रय स्थल का चयन तथा उनके खाने, सुरक्षित पेयजल एवं दवाईयों तथा सफाई की व्यवस्था इन आश्रय स्थलों पर भली प्रकार से हो।
- 2 बाढ़ की स्थिति में पेयजल व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था एवं सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। अतः सम्बन्धित विभाग उन सारी व्यवस्थाओं को युद्ध स्तर पर ठीक कर जनता को राहत प्रदान करने की एक संवेदनशील व्यवस्था रखेंगे। इसके अतिरिक्त बाढ़ की वजह से पानी दुषित हो जाता है तथा विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैल जाती है, उनकी रोकथाम हेतु स्वास्थ्य विभाग कार्यवाही करेगा।
- 3 बाढ़ से होने वाले फसल के नुकसान तथा मकानों की क्षतिग्रस्त होने का जिला प्रशासन तुरन्त सर्वे कराकर प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करेगा।
- 4 बाढ़ की स्थिति में तात्कालिक राहत के लिये नावों, पानी निकालने के इंजन, गोताखोरों तथा बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के लिये यातायात के साधनों की आवश्यकता होगी। अतः उक्त सभी साधनों की सूची जिला कलेक्टर अपने जिले की आई.डी.आर.एन. एवं एस.डी.आर.एन. नामक बेवसाईट पर रखेंगे। जिससे तुरन्त राहत पहुँचायी जा सके।
- 5 भविष्य में बाढ़ की स्थिति से निजात दिलाने के लिये जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि लोग शहरो के निचले क्षेत्रों, नालों एवं नदियों के किनारे जहाँ बाढ़ की सम्भावना अधिक होती है, वहाँ लोग अपने मकान आदि नहीं बनायें तथा इस तरह के क्षेत्रों में जहाँ आवासीय झोपडियाँ पूर्व से निर्मित है, ऐसे स्थानों पर आवास मालिकों को एक समयावधि में सुरक्षित स्थानों पर रहने बसावट के लिये प्रोत्साहित किया जाये। अन्यत्र स्थानों पर उपलब्धता को देखते हुए गरीब तबके के लोगों को निशुल्क आवासीय भूखण्ड संबंधित नगरपालिका एवं यूआई.टी. द्वारा दिये जाने की व्यवस्था की जाये।
- 6 बाढ़ नियन्त्रण एवं बचाव का नोडल विभाग सिंचाई विभाग होगा जो राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन आदि समय-समय पर भिजवाने की कार्यवाही करेगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधन ग्रामीण तथा नगरीय विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं की प्रावधानित राशि से उपलब्ध हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त बाढ़ नियन्त्रण योजना को सिंचाई विभाग द्वारा तैयार एवं वित्तीय पोषण किया जायेगा।

2.5.3 ओलावृष्टि

राजस्थान में ओलावृष्टि की घटनाएं बार-बार होती हैं, लेकिन अधिकांशतः एक समय में एक ही स्थान पर सीमित रहती है। लगभग प्रत्येक वर्ष राज्य के एक अथवा किसी अन्य भाग में इसका प्रकोप होता रहता है, जिससे किसानों की फसलों को क्षति पहुँचती है एवं उन्हें आर्थिक हानि होती है, उसका जिला कलेक्टर तुरन्त सर्वे कराकर ओलावृष्टि में हुए नुकसान की नॉर्म्स के अनुसार तात्कालिक राहत उपलब्ध कराने के प्रस्ताव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता आयुक्त को भिजवायेंगे एवं बाद स्वीकृती राहत उपलब्ध करा सकेंगे। इससे बचाव के लिए किसानों को अपनी फसलों का व्यापक बीमा कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जायेगा।

2.5.4 आग

1 अग्नि पीड़ितों को सहायता

- (1) प्रायः आग लगने से मकान जलने, पशुओं के मरने तथा सम्पत्ति के नुकसान होने की संभावना रहती है। कहीं-कहीं जनहानि भी होती है। जिला कलेक्टरों को स्थायी निर्देश होंगे कि वे ऐसी दुर्घटना का तत्काल सर्वे कराकर पीड़ित परिवारों को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सहायता उपलब्ध कराने बाबत आपदा प्रबंधन एवं राहत आयुक्त से प्राप्त करेंगे। अग्नि पीड़ित परिवार को सहायता उपलब्ध कराने हेतु सहायता विभाग जिला कलेक्टरों के पास अग्रिम रूप से राशि उपलब्ध करायेगा।
- (2) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः आग लगने की घटनाएँ विशेष रूप से फसल कटाई के उपरान्त होती रहती हैं। इस तरह की घटनाओं के होने के कारणों का विधिवत अध्ययन किया जावेगा। इन घटनाओं को रोकने के लिए रोकने के लिए सही की जायेगी, जिससे धन-जन की हानि को कम किया जा सके।
- (3) शहरी क्षेत्रों में बहुमंजिली इमारतों में तथा औद्योगिक एवं व्यवसायिक क्षेत्रों में आग लगने के घटनाओं में वृद्धि हो रही है। भवन निर्माण के कानूनों की समीक्षा इस उद्देश्य से की जायेगी कि भविष्य में इमारतों का निर्माण इस प्रकार से किया जाये, जिससे न केवल अग्नि की घटनाओं को रोका जा सके बल्कि जिससे बचाव के कार्यों में सहूलियत रहे। स्वायत्त शासी संस्थाएँ यह भी सुनिश्चित करें कि बहुमंजिले क्षेत्रों में तथा शहर के अति व्यस्त क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड में पानी के लिये हाईडेंट की समुचित व्यवस्था हो।
- (4) सार्वजनिक स्थान जैसे सिनेमा हॉल, प्रतिक्षागृह, प्रदर्शनी हॉल, स्कूल इत्यादि में आग लगने से बहुत व्यक्तियों की जान व सम्पत्ति की हानि की घटनाएँ हो सकती हैं। इनको रोकने के लिए आवश्यक उपाय अपनाये जायेंगे तथा संबंधित कानूनों का कड़ाई से पालन कराया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इन भवनों में इलेक्ट्रिक वायरस की फिटिंग्स पुरानी हो चुकी हैं तो नोर्म्स के अनुसार पुनः फिटिंग करायी जाए जिससे अग्नि काण्ड की सम्भावनायें कम हो सकती हैं।
- (5) वनों तथा खदानों में आग से होने वाली हानि को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय वन एवं खान विभाग द्वारा किये जायेंगे और उनसे होने वाली हानि को कम किया जायेगा।
- (6) एयरपोर्ट के आस-पास पेट्रोल तथा वायुयान ईंधन की आग को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुविधाएं संबंधी व्यवस्था की जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- (7) बड़े शहरो में बहुमंजिली इमारत में आग बचाव के समस्त उपाय जो आई.एस. कोड तथा एन.बी.ओ. कोड के तहत आवश्यक हैं, भवन निर्माण अनुमति से जोड़ा जाना चाहिए तथा स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएँ अपने बिल्डिंग बाई लॉज में आवश्यक प्रावधान करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि पुराने एवं नये भवनों में आग से बचाव के सभी उपायों का पालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण की स्वीकृति के समय यह आवश्यक रूप से देखा जाना चाहिये कि जहाँ बहुमंजिले भवन बनाये जा रहे हैं वहाँ फायर ब्रिगेड तथा अग्नि शमन से सम्बन्धित वाहन उस भवन तक पहुँच सकते हैं या नहीं। यदि इस प्रकार के भवन संकड़ी गलियों में बनाये जा रहे हों जहाँ कि फायर ब्रिगेड नहीं पहुँच सकती है, तो वहाँ बहुमंजिले भवनों की अनुमति किसी भी हालत में नहीं दी जानी चाहिये। स्वायत्त शासन विभाग इसकी पालना सुनिश्चित करायेगा।
- (8) जिन बहुमंजिले भवनों में फायर फाईटिंग की व्यवस्था उक्त प्रावधानों के तहत नहीं है, उन्हें एक निश्चित अवधि में ये सारी व्यवस्था करने के लिये पाबन्द किया जाये। यदि भवन मालिक यह व्यवस्था करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा उस भवन को उपयोग में लेने के लिए मालिक को रोका जाये।
- (9) सभी सार्वजनिक भवनों की जैसे सिनेमाघर, अस्पताल, ऑडिटोरियम, स्कूलों आदि में फायर फाईटिंग की व्यवस्था का वार्षिक निरीक्षण सक्षम संस्था द्वारा किया जायेगा।

2.5.5 भूकम्प

- 1 बाड़मेर, जैसलमेर, आंशिक जालौर तथा अलवर एवं भरतपुर जिलों में जहाँ भूकम्प की तीव्रता रिक्टर स्केल में 6.0+ हो सकती है, इन क्षेत्रों में भूकम्प से होने वाली हानि की रोकथाम के लिए एक विशेष

कार्ययोजना बनाई जायेगी तथा राज्य शासन से अनुमोदन प्राप्त करके इसका निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन किया जायेगा।

- 2 भूकम्प संवेदनशील क्षेत्रों में इमारतों के निर्माण में निर्माताओं द्वारा भूकम्प अवरोधी सामग्री व प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जायेगा। राज्य सरकार का सार्वजनिक निर्माण विभाग इसके लिए मापदण्ड निर्धारित करेगा तथा इन्हें अधिसूचित करने के साथ ही साथ संवेदनशील क्षेत्र में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करेगा।
- 3 इस विषय पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी की समीक्षा प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग, संबंधित तकनीकी संस्थाओं से मिलकर करेगा। इस समीक्षा से प्राप्त अनुशंसाओं के आधार पर स्पेसिफिकेशन संशोधित किये जायेंगे और इन सभी संस्थाओं को भेजे जायेंगे जो भवन निर्माण करने तथा भवन पूर्णता का प्रमाण-पत्र देती हैं। इस विषय पर प्रतिवेदन राज्य स्तरीय मंत्रिमण्डलीय समिति तथा विभागीय समिति के समक्ष रखा जायेगा। नगरीय विकास विभाग इन कार्यों के लिए नोडल विभाग होगा जिसका दायित्व इस समीक्षा प्रतिवेदन को तैयार करना तथा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का भी होगा।
- 4 भूकम्प तीव्रता के क्षेत्र में स्थित इमारतों को राज्य शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में भूकम्प अवरोधी तकनीक से सुधार किया जायेगा एवं भवन मालिकों के द्वारा सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा कि इमारत में भूकम्प अवरोधी तकनीक अपनाते हुए सुधार कर लिया गया है।
- 5 राज्य शासन पहल करते हुए सभी शासकीय इमारतों में प्राथमिकता पर भूकम्प अवरोधी तकनीक को अपनाते हुए आवश्यक सुधार करेगा, जिससे यह कार्य निजी आवासीय भवनों व इमारतों के मालिकों के समक्ष उदाहरण बन सके।
- 6 कार्य की पूर्णता का प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी/संस्था निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार कार्य न करने तथा शासकीय निर्देशों का पालन नहीं करने पर स्वयं उत्तरदायी होंगे। वर्तमान पदस्थापना से हटने के पश्चात् भी उनका दायित्व बरकरार रहेगा। दायित्व निर्धारण के संबंध में संबंधित विभाग अपने अधिनियम/नियम/कोड में इसका समावेश करते हुए दांडिक प्रावधान करेंगे।
- 7 जिला बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर अलवर तथा भरतपुर जो भूकम्प जोन पाँच में आते हैं, वहाँ की सभी स्कूलों, अन्य सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, सिनेमाघरों एवं ऑडिटोरियम आदि की रेट्रोफिटिंग की कार्यवाही सम्बन्धित विभाग अपने विभागीय बजट से समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर करेंगे। निजी आवासों व इमारतों की रेट्रोफिटिंग को सुलभ बनाने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु व मध्यम कालीन ऋण, आवास मालिकों को उपलब्ध कराने के लिए पहल की जायेगी जिससे आवास मालिक अपने भवन/इमारत को भूकम्प अवरोधी बना सकें। इस कार्य के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्थानों को निर्देश प्रसारित करने के लिए भारत सरकार से कहा जायेगा।
- 8 भूकम्प के संवेदनशील क्षेत्रों में भवनों तथा अन्य संपत्तियों का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। बीमा संस्थाओं को संवेदनशील क्षेत्र के लिए ऐसी विशेष स्कीम तैयार करने के लिए प्रेरित किया जायेगा, जिसमें लम्बी अवधि के लिए बीमा एक मुश्त प्रीमियम पर कुछ रियायत देते हुए कराया जा सके। यह वार्षिक बीमा एवं वार्षिक प्रीमियम देने की सुविधा के साथ ही साथ उपलब्ध रहेगी। अधिक व्यक्तियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले भवनों जैसे सिनेमा हॉल आदि में बीमा करवाना अनिवार्य किया जावे। संबंधित विभाग अपने अधिनियम में इसका दाण्डिक प्रावधानों के साथ समावेश करेंगे।
- 9 संवेदनशील क्षेत्रों में निर्धारित समयावधि में यदि आवास/इमारत का कोई मालिक अपने मकान व सम्पत्ति का बीमा नहीं कराता है, तो जब भूकम्प आयेगा तो ऐसे व्यक्ति को हानि होने पर किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि बीमा न कराने की स्थिति में राज्य शासन पर वित्तीय भार बढ़ता है एवं राज्य शासन पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति भी

बढ़ती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति उस सहायता का अधिकारी रहेगा, जो साधारण तौर पर संपत्ति विहीन व्यक्ति को प्रदान की जाती है।

- 10 अन्य निम्न व मध्यम खतरे वाले जोन में भी खासतौर से जयपुर शहर में इसी प्रकार की कार्ययोजना ताकि आपदा के कुप्रभावों को कम करके जन-धन की हानि कम से कम हो, अपनाई जायेगी।
- 11 भूकम्प प्रभावित जिलों के हर गांव एवं कस्बे में भूकम्प बचाव टीमों का गठन किया जायेगा तथा उन्हें भूकम्प से होने वाले सम्बन्धित नुकसान, उससे बचने के उपाय, प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण आदि जैसे क्षमता निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा किये जायेंगे तथा इन कार्यों को अन्य विभागों के ग्राम स्तर के कार्यक्रमों से समन्वित किया जायेगा।

2.5.6 औद्योगिक एवं रासायनिक आपदाएँ

- 1 औद्योगिक एवं रासायनिक तत्वों का पर्यावरण, प्राकृतिक संतुलन, पशु व मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विषाक्त प्रभाव का अध्ययन किया जायेगा और उन्हें अभिलेखित किया जायेगा। ऐसे सभी हानिकारक उद्योगों को रिहायशी बस्तियों से सुरक्षित दूरी पर स्थापित किया जायेगा। जमीन के उपयोग की योजना में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रिहायशी बस्तियों को इन उद्योगों के पास निर्मित होने की अनुमति नहीं दी जाये।
- 2 उद्योग विभाग द्वारा शहर के बीच में स्थापित हानिकारक उद्योगों को शहर के बाहर भेजने हेतु चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में उन्हें स्थानान्तरित किया जाए और भूमि उपयोग योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें इस प्रकार के उद्योगों के पास कोई आबादी फिर स्थापित न हो।
- 3 औद्योगिक सुरक्षा एवं वातावरण को परिरक्षित करने के लिए वर्तमान कानूनों को कड़ाई से कार्यान्वित किया जायेगा। इसके साथ ही साथ इन सभी कानूनों की समीक्षा की जायेगी जिससे औद्योगिक एवं वातावरण की सुरक्षा एवं परिरक्षा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा सके। श्रम विभाग को यह जिम्मेदारी दी गयी है कि औद्योगिक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित वर्तमान अधिनियमों व नियमों को लागू करावे।
- 4 औद्योगिक इकाई ऐसे हानिकारक पदार्थों को जिनका वह उपयोग करती है या जो इकाई से प्रवाहित होते हैं, उनके संभावित हानिकारक प्रभाव की जानकारी आस-पास के क्षेत्र में सभी प्रकार के प्रचार माध्यम से प्रसारित करेगा। प्रभाव क्षेत्र में आने वाली जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि दुर्घटना की स्थिति में हानिकारक प्रभाव से किस प्रकार से बचा जा सकता है।
- 5 औद्योगिक इकाई सुरक्षा के उन सभी उपायों को काम में लायेगी जिससे कारखाने के अन्दर एवं बाहरी क्षेत्र की आबादी पर घातक प्रभाव न पड़े। प्रत्येक उद्योग को उनके यहाँ घटने वाली दुर्घटनाओं के लिए स्वयं एक स्थाई फण्ड निर्माण के लिए भी प्रेरित किया जायेगा।
- 6 इन सभी औद्योगिक एवं रासायनिक आपदाओं का नोडल विभाग श्रम विभाग होगा। अतः श्रम विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित उद्योग या फैक्ट्री द्वारा नियमानुसार सभी आवश्यक सुरक्षा के उपाय अपनाये गए हैं।

2.5.7 दुर्घटनाएँ

- 1 रेल एवं सड़क यातायात में भारी वृद्धि हुई है और पर्याप्त सुरक्षा के उपायों के अभाव में दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। सड़क परिवहन से संबंधित सुरक्षा के मापदण्डों में सुधार किया जावेगा तथा इनका कड़ाई से पालन कराया जायेगा।
- 2 चौकीदार विहीन रेलवे क्रासिंग पर विभिन्न प्रकार के यातायात के चालन में का जोखिम होता है। रेल विभाग को सभी प्रकार की चौकीदार विहीन क्रासिंग को धीरे-धीरे योजनाबद्ध ढंग से चौकीदार रखने के लिए प्रेरित किया जायेगा।
- 3 नई सड़कों के निर्माण में उतार-चढ़ाव की डिजाईन ऐसी बनाई जायेगी जिससे अन्धेमोड़ व दुरारोह, सीधी चढ़ाई की स्थिति जहाँ तक हो सके निर्मित न हो।

- 4 यातायात को सतर्क करने के लिए सड़क के दोनों ओर तथा महत्वपूर्ण संस्थानों, इमारतों एवं सड़कों की स्थिति दर्शाने वाले बोर्ड जो खतरे के सूचक हों, लगाये जायेंगे। वस्तुओं एवं सेवाओं के ऐसे विज्ञापन जो यातायात चालकों का दूसरी ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, उन्हें हटाया जायेगा तथा उन्हें लगाने को हतोत्साहित किया जायेगा।
- 5 वाहनों के रफ्तार संबंधी नियमों को कड़ाई से लागू किया जायेगा। नियम तोड़ने पर सख्त जुर्माना लगाने का प्रावधान किया जायेगा, जिससे नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
- 6 मानसून के समय निचले स्तर वाली सड़को एवं पुलों पर यातायात को रोकने की कार्यवाही की जाए। इस संबंध में विधिसम्मत प्रावधान लागू करना चाहिए। चरणबद्ध कार्यक्रम के रूप में ऐसे सभी पुलों पर स्वचालित बैरियर लगाने चाहिए।
- 7 राजमार्गों पर वाहन को दुर्घटना से बचाने तथा सुरक्षित यातायात के लिए राजमार्गों के समीप दुकानें/भवनों आदि का निर्माण न हो, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विधिसम्मत नियम बनाये जायें।
- 8 प्रदेश के राजमार्गों पर हाईवे पेट्रोलिंग चेकपोस्टों की स्थापना की जावे। रेल एवं सड़क दुर्घटना घटित होने के बाद घायल व्यक्तियों को तुरन्त अस्पताल भेजने की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिये आवश्यक रूप से राज्य स्तर पर आयुक्त, परिवहन विभाग तथा जिला स्तर पर जिला परिवहन अधिकारी, राज. राज्य पथ परिवहन निगम के वाहनों एवं उनके ड्राइवरो तथा निजी वाहन मालिकों की गाड़ियों के नम्बर एवं उनके मालिकों के फोन नम्बर भी जिला स्तर पर तैयार की गयी एस.डी.आर. एन. की वेबसाइट पर कम्प्यूटर पर उपलब्ध करायेंगे तथा हर छः माह में उनके फोन एवं पते आदिनांक करने की व्यवस्था करेंगे। राज्य स्तर पर आयुक्त कार्यालय में 24 घन्टे का कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाना चाहिये। घायलों को शिफ्ट करने में जो भी परिवहन का खर्चा हो, उसके लिए एक अलग से फण्ड हो, जिससे तुरन्त भुगतान हो सके।

2.5.8. महामारी

राज्य का स्वास्थ्य विभाग उन बीमारियों को सूचीबद्ध करेगा जिसके कारण महामारी हो सकती है। वह सूची अनुसार महामारी वाली बीमारियों से निपटने के लिए कार्ययोजना भी तैयार करेगा।

2.6 संस्थागत सहयोग

आपदा का प्रबंधन अब धीरे-धीरे एक विशेषज्ञ विषय हो गया है। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए संस्थागत सहयोग की निरन्तर आवश्यकता होगी। अतः राज्य के आपदा प्रबंधन एवं राहत आयुक्त को तकनीकी एवं प्रशासनिक (Logistic) सहयोग के लिए आपदा प्रबंधन केन्द्र ह.च.मा. रीपा संस्था को यह कार्य सौंपा जायेगा।

यह संस्था निम्न कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी

- राज्य में आने वाली आपदाओं की निरन्तर मॉनीटरिंग करना।
- सभी तरह की आपदाओं का विवरण रखना।
- राज्य, संभाग व जिलों की आपदा प्रबंधन योजनाओं को तैयार करने एवं उन्हें अद्यतन बनाने में सहयोग देना और यह सुनिश्चित करना कि यह कार्य नियमित ढंग से किया जा रहा है।
- आपदा प्रबंधन के तकनीकी व विज्ञान संबंधी ज्ञान की जानकारी को अद्यतन करना एवं सभी संबंधित व्यक्तियों व संस्थाओं के सदस्यों तक इस जानकारी का प्रचार-प्रसार करना।
- राहत व पुनर्वास के कार्यक्रम की मॉनीटरिंग करना और इससे संबंधित सभी कार्यवाही का विवरण रखना।

- आपदा प्रबंधन से संबंधित व्यक्तियों को समुचित प्रशिक्षण देना और उनके ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित करना।
- आपदा के संकट के समय राज्य राहत आयुक्त एवं स्थानीय प्रशासन को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहयोग प्रदान करना।
- जलवायु परिवर्तन (Climatic Change) एवं भू-तापीयता (Global Warming) का राज्य में पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

2.7 वित्तीय व्यवस्था

- 1 नीति में आपदा के तीनों चरणों के लिए वित्तीय प्रावधान की आवश्यकता होगी, खासतौर से आपदा से पूर्व, भावी आपदाओं को रोकने के लिये एवं आपदा से हुए नुकसान के पुनर्विकास के लिये। जबकि आपदा राहत कोष से केवल आपदा के घटने के बाद राहत व्यवस्था हेतु ही राशि प्राप्त होती है, अतः आपदा कोष से उक्त दोनों चरणों के लिये वित्तीय व्यवस्था करना संभव नहीं होगा। अतः इन दोनों चरणों के वित्त की व्यवस्था योजनागत मद से विभागवार करनी होगी। आपदा से पूर्व तैयारी हेतु ढांचागत निर्माण के लिये राज्य सरकार हर विभाग के अपने बजट का 10 प्रतिशत भविष्य के लिए हर वर्ष निर्धारित कर सकती हैं।
- 2 औद्योगिक व रासायनिक उद्योगों में आपदाओं को रोकने व आपदाओं से होने वाली हानि की भरपाई जिम्मेदार औद्योगिक इकाई के द्वारा की जावेगी।
- 3 सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को राहत देने का प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट में दिया गया है, फिर भी तात्कालिक राहत, वित्तीय, चिकित्सकीय या अन्य सहायता राज्य के द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए एक कोष स्थापित किया जायेगा। वाहन मालिकों पर उपयुक्त कर लगाकर इस कोष में अंशदान लिया जायेगा। यह कोष राज्य के लोकलेखा का भाग होगा।
- 4 उन योजनाओं (Solatium Scheme) जिनमें सड़क वाहनों से दुर्घटना के पीड़ितों को क्षति पूर्ति प्रदान की जाती है, प्रचारित किये जाने की आवश्यकता है।
- 5 जिला कलेक्टर को पीड़ित जनसंख्या को राहत पहुँचाने के लिए तात्कालिक व्यय हेतु जनता से अंशदान स्वीकार करने के लिए अनुमति दी जायेगी। इस तरह से प्राप्त राशि को बैंकों में एक अलग खाता खोलकर रखा जायेगा। इस खाते से निकाली गई व जमा की गई राशि का लेखा प्रत्येक वर्ष राज्य के आपदा प्रबंधन एवं सहायता आयुक्त को भेजा जायेगा तथा इसका वार्षिक सी.ए. ऑडिट कराया जायेगा।

राज्य स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर – 0141-1070, 0141 2700452, 0141 2702334, 0141 2702335

सभी जिला स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्षों का दूरभाष नम्बर – 01482-232671, 1077

अध्याय-3

जिला आपदा प्रबन्धन

3.1 विकास और आपदा

इतिहास की शुरुआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। परन्तु आज भी आपदाएं उसके नियंत्रण में नहीं हैं वरन् प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास ने मनुष्यकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिए हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिवर्ष विश्व के कई भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है।

भारत देश भी बाढ़, भूकम्प सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है जिनसे मानव जीवन को अधिकतम क्षति होती है। सूखा व बाढ़ जैसी आपदाओं से फसल और वनस्पति के भारी नुकसान के अलावा पशु धन के साथ निजी तथा सार्वजनिक सम्पतियां भी नष्ट हो जाती हैं। 1999 में उड़ीसा में आये तूफान तथा 2001 में गुजरात का भूकम्प विनाश तथा वर्ष 2012 में महाराष्ट्र में सूखा इसके उदाहरण हैं।

3.2 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य

जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना बनाने के उद्देश्य निम्न हैं :-

- (1) जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना ।
- (2) जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
- (3) आपदा न्यूनीकरण (Minimisation) के विभिन्न पहलुओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
- (4) जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
- (5) आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वयन करना।
- (6) राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा (Policy Plan) के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबंधन योजना अति-आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं :-

- (क) प्रतिक्रिया (Reaction/Response) कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
- (ख) भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
- (ग) कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण (Standardisation) करना।
- (घ) उपलब्ध सुविधा और स्रोतों की सूची तैयार करना।
- (ङ) स्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
- (च) सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।
- (छ) राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

3.3 नीति गत कथन

प्रायः यह देखा गया है कि आपदा के दौरान एवं उसके पश्चात संचार व्यवस्थाओं की असफलता, प्रशासनिक समन्वय की कमी, प्रेस तक सही सूचना का अभाव तथा उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग न होने के कारण कार्यवाही में देरी होती है। इसके लिए आवश्यक है कि जिला स्तर पर इन आपदाओं से निपटने व बेहतर प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है ताकि बिना विलम्ब के कार्यवाही की जा सके। आपदा प्रबंधन योजना में प्रत्येक विभाग की आपदा पूर्व, आपदा के दौरान व आपदा के बाद उनकी भूमिका तथा उपलब्ध संसाधनों का व्यापक उल्लेख है। जिससे प्रतिक्रिया के समय को कम करके आपदा को नियंत्रित किया जा सके।

अध्याय-4

जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्वास्थिति में आने में कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरुकता ने न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रुकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती है।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनो व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक संवेदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

4.1 संभावित विपदाओं की पहचान

आपदा प्रबन्धन पर घटित उच्च स्तरीय कमेटी ने 31 तरह की आपदाओं को चिन्हित किया है जिन्हें मुख्यतः पांच भागों में विभक्त किया है।

जलवायु सम्बन्धित	— बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, गर्म और ठंडी हवायें, तूफान एवं बिजली का गिरना।
भूगर्भ सम्बन्धित	— भूकम्प, भूस्खलन, बाँध का टूटना, खान में आग लगना।
रसायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धित	— रसायनिक एवं औद्योगिक विपदा एवं परमाणु विपदा।
दुर्घटना सम्बन्धित	— आग, बम विस्फोट, वायु, सड़क एवं रेल दुर्घटना, खान में बाढ़ आना, मुख्य भवनों का ढहना।
जैविक आपदाएँ	— महामारी, टिड्डी दल आक्रमण, जानवरों की महामारी इत्यादि।

भीलवाड़ा जिले में मुख्यतया 8 आपदाएं चिन्हित की गयी हैं।

1. सूखा
2. बाढ़
3. दुर्घटनाएं
4. आग
5. भूकम्प
6. तूफान
7. जैविक आपदा
8. आतंकवादी हमले

उक्त 8 विपदाओं के अलावा साम्प्रदायिक दंगे, ओलावृष्टि, बांध टूटना, रसायनिक एवं औद्योगिक विपदाएं तथा ताप (लू) व शीतघात विपदाएँ हैं।

4.2 संवेदनशीलता

किसी भी स्थान की संवेदनशीलता वहां के लोगों के जीवन स्तर, वहां की स्थिति, रहने के स्थान व घटना घटने के समय पर निर्भर करती है।
लोग, स्थिति, स्थान, समय, घटना

(1) भौतिक संवेदनशीलता

भवन, आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जन सुविधाएं आवश्यक जन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृषि, भौतिक साधन हैं जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता है।

घरों को उनकी बनावट तथा भवन सामग्री के आधार पर चार मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं।

- (अ) मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर
- (ब) पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर
- (स) सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढाँचों के साथ
- (द) हल्के, लकड़ी, पत्तों आदि की झोंपड़ियाँ

(अ) मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर

जिले का लगभग 15 प्रतिशत भाग संशोधित सरकारी मापक के अनुसार VII (MKS) तक तीव्रता के भूकम्प आने के मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र में आता है।

(ब) पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर

जिले में पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थरों के बने घरों को अत्यधिक नुकसान वाले सम्भावित क्षेत्र में मध्यम नुकसान होने की संभावना है।

(स) सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढाँचों के साथ

इस तरह के घरों को कम नुकसान होने की संभावना है अर्थात् भूकम्प की दृष्टि से कुछ हद तक इन्हें ठीक कहा जा सकता है।

(द) हल्के, लकड़ी, पत्तों आदि की झोंपड़ियाँ

हल्के भवन निर्माण के घर जैसे झोंपड़ियाँ हल्के लकड़ी, पत्तों आदि की सामग्री से बने हुए हैं जो भूकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित है लेकिन तेज हवाये अगर 47 एम/सै. से चलती है तो इन घरों में अत्यधिक नुकसान की संभावना है।

(2) आर्थिक, सामाजिक संवेदनशीलता

हानि, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, गौण प्रभाव, गरीबी, संसाधनों की कमी।

जिले में किये गये अध्ययन के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या 96549 है। तथा स्टेट बीपीएल परिवारों की संख्या 55882 हैं।

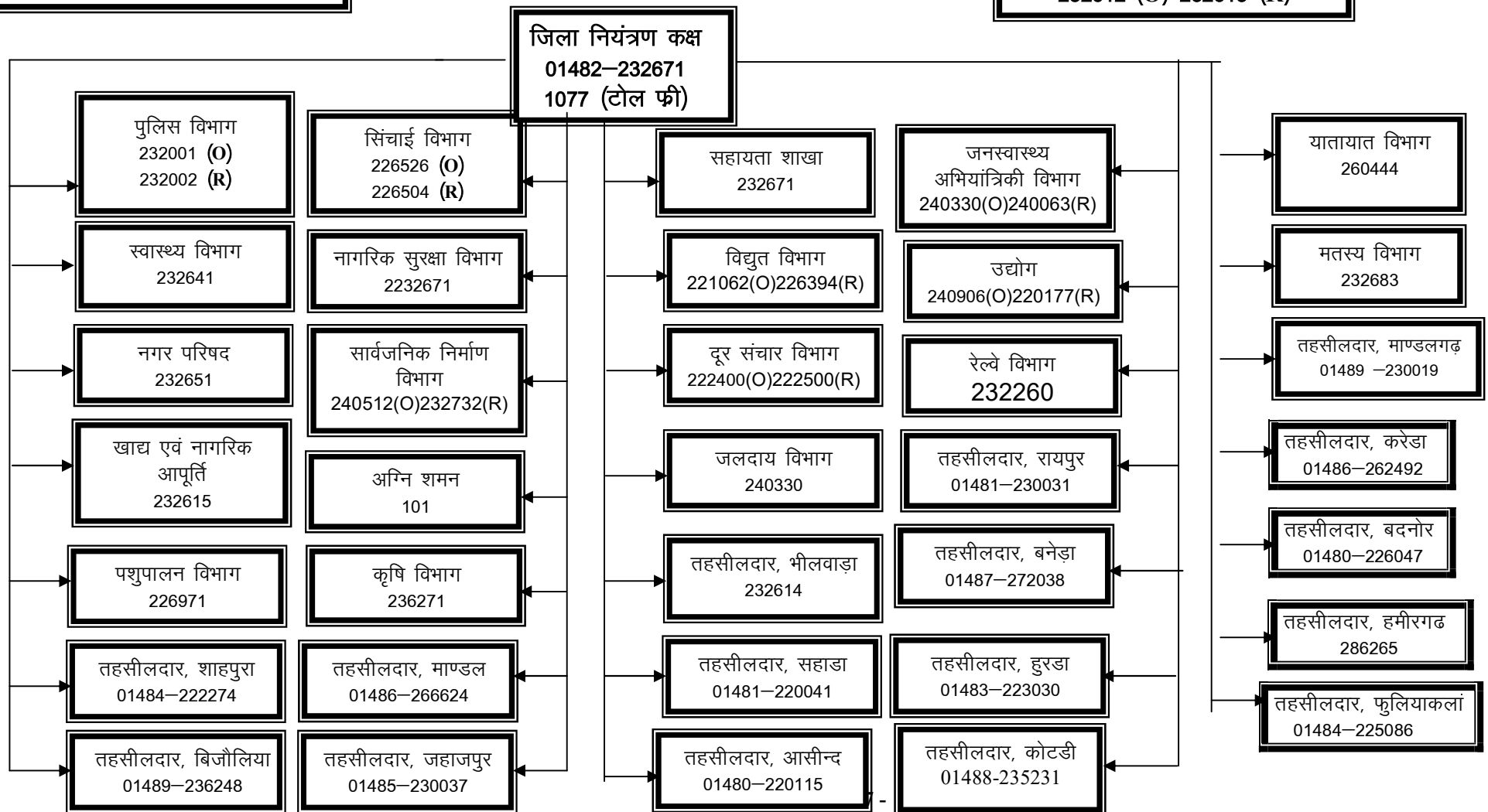
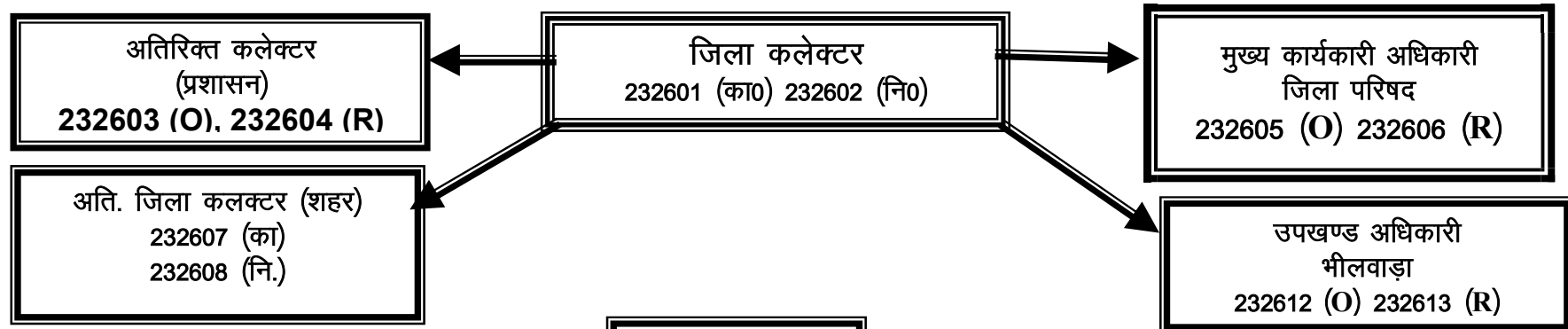
4.3 खतरा

भौतिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिक आदि कमजोर संरचनाओं को खतरा अधिक होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विपदा की प्रचण्डता कितनी थी और असुरक्षा की स्थिति कितनी थी। खतरा, विपदा और संवेदनशीलता पर निर्भर करता है।

खतरा = विपदा + संवेदनशीलता

क्र.सं-	विपदा	तीव्रता	बारम्बारता	प्रभाव												पूर्व चेतावनी की विश्वसनीयता	आपदा को रोकने व न्यूनीकरण हेतु सरकारी कदम	जन सहभागिता	प्रबन्धन हेतु प्रशासन की क्षमता	सरकारी अधिकारियों की आपदा के विषय में जानकारी	जनप्रतिनिधियों को आपदाओं के विषय में जागरूकता
				जनसंख्या	जानवर	कृषि	पेयजल	रेल	रोड़	दूरभाष	बाँध	नदी	नहर	अस्पताल	भवन						
1.	सूखा	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	2	2
2.	बाढ़	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	2	2	2
3.	बादल फटना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1
4.	लू	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
5.	शीतलहर	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
6.	चक्रवात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1
7.	ओलवृष्टि	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1
8.	पाला	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2
9.	आग	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
10.	भूकम्प	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1
11.	बाँध/नहर टूटना	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	2	2
12.	रसायनिक व औद्योगिक घटना	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0
13.	परमाणु दुर्घटना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	आतंकवादी मला	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0
15.	रेल, सड़क घटना	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	2	1
16.	दंगे	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	1
17.	महामारी	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	3	3	2
18.	जानवरों की महामारी	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
19.	टिड्डी दल का आक्रमण	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	1
20.	कीड़ों का सर्लों पर प्रभाव	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	2
21.	युद्ध की आशंका	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	2

0 - शून्य, 1- न्यून, 2- मध्यम, 3 - उच्च



अध्याय – 5

आपदा के दौरान प्रबन्धन हेतु सामान्य कार्य योजना

प्रत्येक आपदा के प्रबन्धन हेतु जिला कलेक्टर उत्तरदायी होगा। इसके लिए जिला कलेक्टर आपदा के समय अपनी आपात कालीन शक्तियों का उपयोग करके कोई भी निर्णय ले सकता है तथा किसी भी विभाग को आपात कालीन सेवा प्रदान करने का दिशा निर्देश दे सकता है। जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अथवा सहायक जिला कलेक्टर जिला आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगे।

स्थायी व्यवस्था

- जिला कलेक्टर जिला स्तर पर एक जिला आपदा प्रबन्धन समिति (DDMC) का गठन किया गया है जिसमें निम्न सदस्य हैं –

क्र.सं.			फोन नं.
1.	कलेक्टर	अध्यक्ष	232601
2.	ए.डी.एम. (प्रशासन)	प्रभारी	232603
3.	परियोजना प्रबन्धक, अनु.जाति विकास निगम	सदस्य	232625
4.	मुख्य आयोजना अधिकारी	सदस्य सचिव	232624
5.	अधीक्षण अभि. सार्वजनिक निर्माण विभाग	सदस्य	240512
6.	अधीक्षण अभि. जन स्वा. अभि. विभाग	सदस्य	240641

- जिला कलेक्टर संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवायेगा तथा प्रत्येक विभाग अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करेगा तथा सूचना सचिव सहायता को भेजेगा।
- उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों को नियुक्त करना तथा आदेश देना। इससे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज सम्भाल लेंगे।
- जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना जो कि 24 घंटे कार्यरत होगा।

नियंत्रण कक्ष

- नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित होगा।
- नियंत्रण कक्ष में आवश्यकतानुसार अधिकारी/कर्मचारियों की तीन पारी में नियुक्ति होगी।
- नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नम्बर होंगे।
- नियंत्रण कक्ष के फोन नम्बर आसान व याद रखने योग्य होने चाहिए। भीलवाड़ा जिले के आपदा नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नम्बर 1077 को भी प्रारम्भ कर दिया गया है ताकि आम व्यक्ति जिला नियंत्रण कक्ष को सूचना आसानी से दे सके।

5. आपदा के दौरान प्रबन्धन हेतु कार्य योजना

जिले में किसी भी विभिन्न अधिकारियों एवं विभागों की भूमिका निम्नानुसार होगी।

5.1 कलेक्टर की भूमिका

- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंध का आदेश देना।
- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग-अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।
- समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतु सूचनाएं व आकड़ें तैयार रखवाना।

5.2 जिला प्रशासन

- आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
- रेलवे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।
- नियन्त्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वय करना।
- प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना।
- विभिन्न बचाव कार्यों के लिए धन की व्यवस्था करना।
- दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रुपरेखा तैयार करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग-अलग काउन्टर बनाना।
- जरूरत पड़ने पर सेना से सहायता लेना।

5.3 पुलिस विभाग

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमले, सिविल अनरेस्ट तथा सड़क दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल विभाग होता है। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

- आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
- खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना।
- लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना।
- बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।

5.4 नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी.

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष नागरिक सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टी आदि रद्द करके उन्हें आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचने का आदेश देंगे।
- नागरिक सुरक्षा बल के जवान आपदा में फंसे लोगों को ढूंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करेंगे।
- स्वयंसेवक उपलब्ध करना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।

5.5 चिकित्सा विभाग की भूमिका

- विभाग में नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- अस्पताल में घायलों को भर्ती करने हेतु जगह का इंतजाम करना।
- आवश्यक दवाईयों का स्टॉक तैयार रखना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करना ताकि घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके।
- एम्बुलेंसों की व्यवस्था करना।
- अन्य निजी अस्पतालों व उनके पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा से निपटने के लिए संपर्क करना।
- जिले में उपलब्ध मोबाइल यूनिटों को घायलों की सहायता हेतु आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- ब्लड बैंकों को आपदा स्थल व अस्पतालों में रक्त पहुंचाने के लिए संपर्क करना।
- मृतकों का निस्तारण हेतु नगर पालिका/परिषद/निगम की मदद लेना।

5.6 सिंचाई विभाग

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- रिहायशी क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी हेतु आवश्यक कदम उठायेगा (जैसे पम्पसेटो की व्यवस्था आदि करना)
- बाढ़ के पानी की शीघ्र निकासी हेतु उचित मार्ग बनाना व अवरोधों को हटाना।
- बचाव व राहत कार्यों के लिए नावों की व्यवस्था करना।
- गोताखोरों एवं तैराकों से सम्पर्क कर उनकी सेवाएं लेना।
- कंकड़ पत्थर और मिट्टी से भरे थैलों से बहाव को रोकना।
- बांधों व तालाबों में आई दरारों को बन्द करने हेतु तत्काल व्यवस्था करना।

5.7 सार्वजनिक निर्माण विभाग

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- आपदा स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाड़ियों का तुरन्त इन्तजाम करना।
- विभागाध्यक्षों द्वारा ठेकेदारों से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सहायता लेना।

- आपदा के दौरान टूटे सड़क मार्गों एवं पुलों की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारु रूप से हो सके।

5.8 जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलदाय विभाग

- आपदा प्रभावित जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- जलाशयों तथा जल की सुरक्षा निश्चित करना।
- टूटी हुई पाइप लाईनों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाने हेतु विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करना व ठेकेदारों को नियुक्त करना।
- जरूरत पड़ने पर अग्निशमन साधनों तथा अस्पतालों के लिये समुचित जल की व्यवस्था करना।

5.9 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोड़ना व बिजली की सप्लाई आपदा स्थल तक पहुँचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना।

5.10 दूर-संचार विभाग

- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलैस, मोबाईल, होटलाईन)।
- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुँचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।

5.11 नगर पालिका/परिषद/निगम

- मृत पशुओं आदि का निस्तारण करना।
- महामारी से बचाव हेतु डी.डी.टी. अथवा अन्य दवाईयों का छिड़काव तथा सफाई की व्यवस्था करना।
- आग जैसी आपदा के समय तुरन्त प्रभाव से अग्निशमन सेवाएँ प्रदान करना। (अग्निशमन यन्त्र, अग्निशमन वाहन आदि)

5.12 परिवहन विभाग

- आपदा स्थल तक आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाना।

5.13 खाद्य एवं रसद विभाग

- खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व करोसिन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें मदद के लिये सूचना देना।

5.14 पशुपालन विभाग

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी, दवाईयों की व्यवस्था करना।
- जानवरों के डाक्टर उपलब्ध कराना।
- पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम करना।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना।

5.15 स्वयंसेवी संगठन

- हर तरह की आपदा से निपटने हेतु जिला प्रशासन की मदद करना।

अध्याय-6

जिले में सम्भावित आपदाएँ व कार्य योजना

6.1 सूखा

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पड़ता है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर बढ़ती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है—प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है जबकि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत बारिश कम होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

सूखा एक धीरे-धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमें निपटने का काफी समय देती है। जल का उचित प्रबन्धन न होने के कारण समय के साथ इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है। हाल ही में वर्ष 2012 में महाराष्ट्र में वर्षा की कमी के कारण सूखा पड़ा है।

सूखे के सामान्य संकेतक

- जलाशयों में पानी का अभाव
- वर्षा का कम होना या समय पर ना होना या कम जल संग्रहण
- भू जल स्तर का कम होना
- कुओं का सूखना
- फसलों का नष्ट होना

सूखे के प्रकार

- मौसम विज्ञान संबंधी सूखा :- अपर्याप्त वर्षा, अनियमितता, पानी का असमान वितरण
- जल विज्ञान संबंधी सूखा :- पानी का अभाव, भूजल स्तर का निम्न होना, जल स्रोतों का अवक्षय, तालाबों, कुओं तथा जलाशयों का सूखना

वर्ष 2019-20 में जिले में पर्याप्त वर्षा होने एवं चम्बल पेयजल परियोजना के कारण पानी की विशेष समस्या नहीं रहेगी। जिले की औसत वर्षा 537.05 मिमी. है।

उपलब्ध पेयजल संसाधन

जल प्रदाय योजना : नगरीय -

क्र. सं.	नगर	जनसंख्या		जलस्रोत				कुल पानी की मांग (एम.एल. डी.)	वर्तमान में जल वितरण (एम.एल.डी.)	जल वितरण (एल.पी.सी. डी.)	जल वितरण अन्तराल (घण्टे में)	स्रोत का रिचार्ज
		2011	वर्तमान	स्थापित हैडपंप	नल कूप	कुएँ	सतही स्रोत					
1	भीलवाड़ा	359483	425000	1926	240	0	मेजा, चम्बल परियोजना एवं कंकरोलिया प्रोजेक्ट	58.0	72.0	169	24 / 48	

2	आसीन्द	16611	24536	93	0	5	चम्बल परियोजना	1.72	2.0	81	48	चम्बल बांध
3	माण्डल	17361	24969	145	0	3	माण्डल तालाब एवं चम्बल परियोजना	1.75	1.70	70	48	
4	गंगापुर	18777	25873	101	1	9		1.81	1.26	48	72	रायधलियास बांध
5	माण्डलगढ़	13844	23352	125	7	2	चम्बल परियोजना	1.63	1.60	70	24	
6	बिजौलियां	14140	22372	79	0	0	मण्डौर बांध एवं चम्बल परियोजना	1.56	1.80	80	24	
7	शाहपुरा	30320	39873	283	7	2	बनास एवं चम्बल परियोजना	2.79	3.0	75	48	बनास
8	जहाजपुर	20586	28872	76	9	1		2.00	1.65	70	48	
9	गुलाबपुरा	27215	36875	182	0	0	चम्बल परियोजना	2.58	2.30	62	48 / 72	टैकर जल 25.03.2019 से
शहरी क्षेत्र योग		518337	651722	3010	264	22						

जल प्रदाय योजना : तहसील क्षेत्र (ग्रामीण)

क्र. सं.	तहसील	कुल गांव वर्ष 2018	गैर आबाद गांव	जनसंख्या 2019	विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित ग्रामों की संख्या					जे.जे.वाई पर संधारण (ग्रामों की संख्या)	कुल हैण्डपंप	चम्बल से लाभान्वित ग्रामों की संख्या
					क्षेत्रीय योजना/ग्राम	पाईपड	पी. एण्ड टी.	स्वजल धारा	हैण्डपंप से लाभान्वित			
1	आसीन्द	225	5	291960	6 / 25	9	1	0	154	36	2876	205
2	माण्डल	232	0	289649	5 / 17	11	0	0	125	79	3025	188
3	सुवाणा	160	3	254065	0 / 0	19	10	2	72	59	2197	2
4	माण्डलगढ़	192	1	291535	4 / 11	5	0	8	127	49	2450	46
5	बिजौलिया	114	10		2 / 23	2	0	0	71	18		
6	सहाड़ा	112	5	175147	2 / 9	4	1	2	40	58	1787	0
7	रायपुर	98	3	120746	1 / 2	2	0	2	21	73	1352	0
8	बनेड़ा	92	5	176449	0 / 0	4	3	1	47	36	1669	3
9	कोटड़ी	180	0	213637	4 / 26	6	7	1	104	37	2010	150
10	हुरड़ा	85	0	136964	2 / 7	6	16	3	37	19	1149	1
11	शाहपुरा	162	4	217038	16 / 67	2	5	0	67	21	1732	150
12	जहाजपुर	237	9	242370	6 / 42	4	10	2	167	14	2066	10
योग		1887	47	2409560	48 / 229	74	53	21	1032	499	22313	755

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 228 गांव 48 क्षेत्रीय योजनाओं से, 74 गांव पाईपड योजनाओं से, 53 गांव पी एण्ड टी योजनाओं से तथा 499 गांव जेजेवाई/ग्राम पंचायत द्वारा संधारित योजनाओं से इस प्रकार कुल 854 गांव लाभान्वित है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में 22313 हैण्डपम्प स्थापित है जिनमें से 18120 चालू, 3045 सूखे/सीजनल तथा 1148 परित्यक्त है।

पानी के अन्य स्रोत

भीलवाड़ा जिले में बनास, खारी, कोठारी, मेज, उनली, मेनाली, बेडच आदि नदियाँ तथा मेजा, पचानपुरा, मण्डोल, माण्डल, उम्मेदसागर, सरैरी, नाहर सागर, अरवड, गोवटा, जेतपुरा आदि प्रमुख बांध भी पेयजल के स्रोत है।

सूखे की कार्य योजना

राजस्थान के परिपेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या है परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं अथवा इसके विकरालता को कम कर सकते हैं।

दीर्घकालीन उपाय

- वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
- पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
- पानी के परम्परागत स्रोतों का पुनर्जीविकरण
- अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।

- पानी के संग्रहण एवं भू-कूपों का पुनर्भरण।
- मिट्टी व नमी का संरक्षण।
- अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
- फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
- फसलों में फव्वारा पद्धति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
- कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
- स्वयंसहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

सूखा पूर्व तैयारी

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण
- चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हीकरण
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्य आदि की विकास योजना तैयार करना।

सूखे के समय कार्य योजना

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

जिला प्रशासन

- सहायता विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा।
- राहत कार्यों की शुरुआत
- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्रोतों का संवर्धन
- निजी कुओं को किराये पर लेना
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना
- परम्परागत जल स्रोतों जैसे बावड़ी, टांकों आदि का पुनः जीविकरण
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण
- खाद्य सामग्री पर मूल्य नियंत्रण
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं, मध्याह्न योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन
- पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना
- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यों हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- प्रभावित जनसामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना
- मौसमी बीमारियों/संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये चिकित्सकीय एवं पेट्रोमेडीकल स्टॉफ की उचित व्यवस्था
- राहत कार्य के स्थलों पर मेडीकल किट एवं स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना

पशुपालन विभाग

- मवेशियों के लिए शिविर लगाना
- संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना।
- बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु रोकने के लिये पशु चिकित्सक कर्मी, दवाईयां एवं समय पर उनका संचालन करना।
- पशुओं के लिए चारा तथा पानी उपलब्ध कराना।
- पशुओं को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी

- प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करना।
- पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टैंकर्स, कैनवस बैग व हैण्ड पाईप लाइन की व्यवस्था करना।
- ग्रीष्म ऋतु आपात योजनाओं का प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- समाज के कमजोर तबके के समूह के बचाव हेतु अन्त्योदय अन्न, अन्नपूर्णा अन्न योजना, गरीबी की रेखा से नीचे वाले तबके सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन
- काम के बदले अनाज योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

स्वयं सेवी संगठन

- राहत कार्य एवं पेयजल आपूर्ति में स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी।
- इस विपत्ति हेतु जिला प्रशासन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

समेकित बाल विकास सेवाएं

- बच्चों एवं गर्भवती माताओं हेतु समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
- राहत कार्य स्थलों पर पूरक पोषहार उपलब्ध कराना।

सिंचाई

- सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाना
- दोषपूर्ण नलकूपों की मरम्मत करना।
- राहत कार्य के अर्न्तगत जल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्य का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

कृषि विभाग

- खेती के लिए बीज तथा कीटनाशक दवाईयाँ उपलब्ध कराना।
- फसलों का चक्रानुक्रम, नर्सरी तथा कृषि निवेशों की व्यवस्था करना।

वन विभाग

- चारागाह उपलब्ध कराना।
- ईंधन आदि के लिए पेड़ों की सूखी टहनियाँ उपलब्ध कराना।

विद्युत विभाग

- विद्युत की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति का प्रबन्ध

पानी की बचत के लिए क्या करें, क्या ना करें।

- लगातार समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करें।
- पानी की बचत करें तथा इसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें तुरन्त नल को बंद करें।
- गिलास में एक बार में उतना ही पानी ले जितनी आपको प्यास है। पूरा गिलास भरकर पानी लेकर व झूठा छोड़ने से पानी बरबाद होता है, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाए तो उसे पेड़ पौधों में डालें।
- पाईप लाइन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवायें, ताकि बून्द-बून्द करके पानी बेकार न बहता रहे।
- कहीं भी पाईप लाईन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करें तथा लिकेज को रोकने के प्रयास करें।
- घरों में वे ही पौधे लगायें जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। घास में दो दिन में एक बार पानी दें। फल, सब्जी व कपड़े धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधों में डालें।
- जल संग्रहण हेतु बनये गये कुओं, तालाब आदि की सफाई रखें।
- सोने से पहले घर के सारे नलों को अच्छी तरह से बन्द करें।
- ब्रश अथवा मन्जन करते समय नल खुला न छोड़ें बल्कि एक मग अथवा गिलास में पानी भरकर दांत साफ करें।
- नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग करके नहाएं क्योंकि फव्वारे व टब बाथ से पानी अधिक बर्बाद होता है।
- शेविंग करते समय नल खुला न रहने दे। जब मुंह धोने की जरूरत हो तभी नल खोलें व पानी का उपयोग करें।
- हाथ साफ करने के लिये पहले साबुन लगाये व बाद में नल खोल कर हाथ धोयें।
- अपनी गाड़ी को साफ करने के लिये पानी के पाईप का प्रयोग न कर गीले तथा सादे कपड़े का प्रयोग करें।
- फर्श साफ करने के लिये घरों को धोने के बजाय पोंछा लगाकर साफ करें।
- कम से कम बर्तनों का प्रयोग कर हम बर्तनों को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचा सकते हैं।
- जल संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।

6.2 बाढ़

प्राकृतिक जल चक्र का एक अंग बाढ़ भी है। जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वर्षा से है एवं यह जल प्रबन्धन को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है, तो नदियाँ असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती है और बाढ़ की उत्पत्ति होती है। इस विकट पर्यावरणीय परिस्थिति का प्रभाव उक्त क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर भी पड़ता है। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है—विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। यद्यपि बाढ़ के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी है लेकिन मानवीय क्रियाकलाप भी कम उत्तरदायी नहीं हैं।

भारत भी बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। विश्व में बाढ़ से होने वाली 20 प्रतिशत मौतें भारत में होती हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का आठवां भाग बाढ़ से प्रभावित होता है जो कि लगभग 4.10 करोड़ हैक्टेयर है।

बाढ़ के मुख्य कारण

- अत्यधिक वर्षा
- बांध का टूटना
- पेड़ों की संख्या में कमी
- वृहत अपवाह क्षेत्र
- उष्ण कटिबंधीय व विक्षोभ
- अपवाह में अवसादीकरण
- बादल का फटना
- भूकम्प

भीलवाडा जिला अमूमन बाढ़ प्रभावित नहीं है किन्तु जिले में स्थित मेजा, जेतपुरा, कोठारी, गोवटा, डामती, शिव सागर पारोली, जालमपुरा पटियाल, बरुंदनी, शिव सागर (बान्धरमुथा) सरेरी अरवर खारी, नाहर सागर, उम्मेद सागर, मात्रिकुण्डिया ऐसे बांध हैं जिनमें वर्षा औसत से अधिक होने एवं भराव क्षमता से अधिक पानी आने से नीचे के क्षेत्र हैं जिनमें अधिक पानी आने पर समीपस्थ गावों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है।

भीलवाडा जिले में वर्षा सामान्यतः जून से सितम्बर माह तक ही होती है जिसका औसत 649 मि.मि. है। भीलवाडा जिले में 60 तालाब एवं बांध जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत एवं 1220 तालाब पंचायतों के अधीन है।

भीलवाड़ा जिले में निचले क्षेत्र में बसे हुए गाँव/अधिवास जो कि बाढ़ की स्थिति से प्रभावित होते हैं उनकी सूची निम्न है:-

क्र.सं.	बेसिन का नाम	सब-बेसिन का नाम	तहसील	बांध	प्रभावित होने वाले गांव व क्षेत्र
1	बनास	बनास	माण्डलगढ़	जैतपुरा	मानपुरा, दोलपुरा, महुआ
2	बनास	बनास	माण्डलगढ़	गोवटा	फलासिया, तिलोली, पदमपुरा
3.	बनास	बनास	कोटडी	शिवसागर परोली	पारोल, खेरी
4.	बनास	खारी	हुरडा	जालमपुरा	जालमपुरा, नाडी
5.	बनास	बनास	माण्डलगढ़	बारुन्दनी	बरुन्दनी
6.	बनास	बनास	जहाजपुर	—	पन्डेर गांव का निचला क्षेत्र
7.	बनास	बनास	माण्डलगढ़	पटियाल	कोटा-चित्तोड़गढ़, रेल्वे लाइन के पास, पटियाला
8.	बनास	बनास	माण्डलगढ़	शिवसागर (बान्दर मूथा)	चित्तोड़गढ़-कोटा रेल्वे लाइन के पास, बान्दर मूथा बांध
9.	बनास	कोठारी	माण्डल	मेजा बांध	गांव कोटडी, मेजा, भदाली खेड़ा आरजिया, पालडीभीलवाड़ा, मलाण, (सुभाषनगर) सांगानेरी गेट का क्षेत्र, बडा मन्दिर, बाहला क्षेत्र एवं कोदू कोटा
10.	बनास	कोठारी	भीलवाड़ा	गांधीसागर	शास्त्रीनगर कावाखेड़ा, तिलक नगर का निचला क्षेत्र एवं भवानी नगर
11.	बनास	खारी	हुरडा	सरेरी	गडवालौ का खेडा, सूराम, कंवलियास, रुपाहेली, आंगूचा, अरवड बांध
12.	बनास	खारी	शाहपुरा	अरवड	अरवड, देवरिया, दियास, फुलिया खुर्द
13.	बनास	खारी	आसीन्द	खारी	आसीन्द, बामनी, पड़ासोली, जगपुरा, शंभुगढ़, अन्टाली, खेजडी, गुलाबपुरा
14.	बनास	खारी	शाहपुरा	नाहरसागर	नाहरसागर, उम्मेदपुरा, भीमपुरा, आमली, बारैठ, डोहरिया
15.	बनास	खारी	शाहपुरा	उम्मेदसागर	उम्मेदसागर, सवीना, माली खेडा, रघुनाथपुरा
16.	बनास	बनास	राशमी/जिला चित्तोड़गढ़	मात्रकुन्दिया	मात्रकुन्दिया, राशमी, सांखली, (जिला चित्तोड़गढ़)

विगत वर्षों में प्रमुख बांधों में अत्यधिक वर्षा से बाढ़ बचाव की स्थिति से जिन क्षेत्रों व गावों में वर्षा से पानी के भराव संबंधी समस्या उत्पन्न हुई है उनका विवरण संलग्न सूची में है।

1. जैतपुरा बांध

जैतपुरा बांध उनली नदी पर जालम की झोंपडी ग्राम के समीम माण्डलगढ़ तहसील में स्थित है। यह माण्डलगढ़ से 16 कि.मी. दूर है। यह बांध प्रतिवर्ष ओवरफलो होता है। बांध के पानी की निकास के लिए 6 गेट लगे हुये हैं। बांध के गेट खोलने पर मानपुरा, दोलपुरा, महुआ ग्राम प्रभावित होते हैं तथा निचले हिस्सों में पानी भर जाता है। मानपुरा ग्राम उनली नदी के पबांये किनारे पर स्थित है। इस ग्राम के बाईं ओर अनवासा बांध का नाला है यह नाला मानपुरा ग्राम के पास उनली नदी से मिलता है। बाढ़ के समय अनवासा बांध व जैतपुरा बांध के ओवरफलो से मानपुरा ग्राम के लगभग 100 घर प्रभावित होते हैं। दोलपुरा ग्राम उनली नदी के बाएं किनारे पर स्थित है जैतपुरा बांध के ओवरफलो होने पर पानी नदी के किनारों से बाहर फैलकर बहने लगता है, जिससे निचले हिस्से के 6 घर प्रभावित होते हैं।

2. गोवटा बांध

यह स्टेट टाईम का पुराना बांध है जो कि माण्डलगढ़ तहसील में स्थित है। इस बांध से वर्ष 2004, 2006 एवं 2016 में 10 से 12 फीट वेस्टवीयर से सुरक्षित ऑवरफ्लो हुआ था। गत वर्ष 2019 में 14 फीट ऑवरफ्लो हुआ जिससे दुकानों में पानी भर गया था एवं वेस्टवीयर 15 मी. ल. 2 फीट उंचाई में क्षतिग्रस्त हो गई थी, इससे भराव क्षमता 27 फीट से 25 फीट रह गई थी। इस बांध के पास एक माताजी का मन्दिर है, जिसके कारण नीचे कई दुकाने लगी हैं। अत्यधिक बाढ़ के कारण यह दुकाने प्रभावित होती हैं। इसके अतिरिक्त अत्यधिक ऑवरफ्लो की स्थिति में फलसिया ग्राम एवं तिलोली ग्राम के निचले हिस्सों में पानी भर जाता है। डूब क्षेत्र का ग्राम पदमपुरा की जमीन भी प्रभावित होती है, प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने हेतु सहायक अभियन्ता व प्रशासन को सूचित किया जाता है।

3. शिवसागर पारोली बांध

यह बांध कोटडी तहसील के पारोली ग्राम के समीप है अत्यधिक ओवरफ्लो होने पर पारोली ग्राम को खतरा रहता है। नाले के किनारों को छोड़कर पानी बहने की स्थिति में निकट के कच्चे मकानों में पानी घुस जाता है। डूबक्षेत्र के निकट स्थित खेडीग्राम के निचले हिस्से में पानी भर जाता है।

4. जालमपुरा तालाब

यह हुरडा तहसील में एक लघु तालाब है। इसके ओवरफ्लो होने पर नीचे की एक नाडी में पानी भरने लगता है नाडी फूटने के डर से लोग इस नाडी को तोड़ देते हैं जिससे निचले हिस्सों में पानी भर जाता है।

5. बरुन्दनी तालाब

बरुन्दनी तालाब के ओवरफ्लो का पानी ओरार्ड नहर के एक्वडक्ट में से निकलता है। इसमें पूरा ओवरफ्लो का पानी नहीं निकलकर आसपास फेल जाता है जिससे निकट के मकान व जमीन प्रभावित होती है।

6. पण्डेर ग्राम

जहाजपुर तहसील के इस गांव के पास एक नाला निकलता है। नाले में पानी का अत्यधिक बहाव होने पर तथा बनास नदी में अधिक बहाव की स्थिति में नाले का पानी किनारे तोड़कर निचले हिस्सों में भर जाता है।

7. पटियाल बांध

यह बांध माण्डलगढ़ तहसील में स्थित है। अत्यधिक जल प्रवाह में चित्तौड़गढ़-कोटा रेलवे लाईन प्रभावित होने की संभावना रहती है। इस संबंध में रेलवे अधिकारियों को पूर्व में भी सूचित किया जा चुका है।

8. शिवसागर (बांदरमूथा) बांध

यह बांध माण्डलगढ़ तहसील में स्थित है। अत्यधिक जल प्रवाह के कारण चित्तौड़गढ़-कोटा रेलवे लाईन प्रभावित होने की संभावना रहती है। इस हेतु रेलवे के अधिकारियों को सूचित किया जा चुका है।

9. मेजा बांध

कोठारी नदी पर माण्डल तहसील में मेजा गांव के पास बना हुआ है। इस बांध का केचमेन्ट जिला राजसमन्द तहसील रायपुर व माण्डल है। इस बांध के ऊपर कोठारी नदी पर जिला राजसमंद व भीलवाड़ा की सीमा पर तहसील रायपुर में लडकी बांध बना हुआ है। लडकी बांध के भर जाने पर एवं केचमेन्ट में अतिवृष्टि से बाढ़ की स्थिति बन सकती है। इस बांध के अत्यधिक ओवरफ्लो होने पर निम्न ग्राम प्रभावित होते हैं:- कोटडी, मेजा, भदाली खेडा, आरजिया, पालड़ी, भीलवाड़ा शहर का सुभाषनगर, आर. के. कॉलोनी, आर. सी. व्यास, पथिक नगर, संजय कॉलोनी का निचला हिस्सा, बड़ा मन्दिर का बाहला क्षेत्र एवं कोदू-कोटा ग्राम प्रभावित होते हैं।

10. सरैरी बांध

यह बांध मानसी नदी पर सरैरी गांव के पास बना हुआ है जो कि तहसील हुरडा क्षेत्र में है तथा भीलवाड़ा-अजमेर हाईवे के नजदीक बना हुआ है। इस बांध के नीचे मानसी नदी पर तहसील शाहपुरा में अरवड गांव के पास एक और बांध अरवड बांध के नाम से बना हुआ है, अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति में निम्न गांव प्रभावित होते हैं- गढ़वालों का खेडा, सुरास, कंवलियास, रुपाहेली, आगूचा एवं अरवड।

11. अरवड बांध

यह बांध मानसी नदी पर सरैरी बांध के नीचे शाहपुरा तहसील में अरवड गांव के पास बना हुआ है अत्यधिक वर्षा से एवं सरैरी बांध के अत्यधिक ओवरफ्लो होने की स्थिति में निम्न गांव प्रभावित होते हैं-अरवड, देवरिया, रलायता, सोडियास एवं फुलियाखुर्द। मानसी नदी अजमेर जिले में खारी नदी में जाती है।

12. खारी बांध

यह बांध खारी नदी पर आसीन्द तहसील मुख्यालय के ऊपर बना हुआ है। इस बांध के केचमेन्ट का अधिकांश भाग अजमेर जिले में पडता है। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में निम्न ग्राम प्रभावित होते हैं- आसीन्द, बागड़ी, पडासोली, जगपुरा, शम्भूगढ़, अन्टाली खेजड़ी एवं गुलाबपुरा। यह नदी अजमेर जिले में बनास नदी में मिल जाती है।

13. नाहर सागर बांध

यह बांध स्थानीय एवं बड़े नाले पर शाहपुरा मुख्यालय से 20 कि.मी. दूर भीमपुरा गांव के नजदीक बना हुआ है। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में निम्न गांव प्रभावित हो सकते हैं- उम्मेदपुरा, भीमपुरा, आमली, बारैठ एवं डोरिया आदि।

14. उम्मेद सागर बांध

यह बांध स्टेट पिरीयड में स्थानीय बड़े नाले पर शाहपुरा तहसील मुख्यालय के करीब बना हुआ है। अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति में निम्न प्रभावित हो सकते हैं- सेवीना, माली खेडा, रघुनाथपुरा आदि।

15. मातृकुण्डिया बांध

इस बांध का निर्माण नदी पर मात्रिकुण्डिया धार्मिक स्थल के पास जिला चित्तौडगढ़ तहसील राशमी के पास बना हुआ है। इस बांध के वर्तमान भराव क्षमता 1188 एमसीएफटी है। इस बांध पर कुल 52 गेट लगे हुए हैं। यह एक परावर्तन योजना है जिससे 58.2 कि.मी. लम्बी फीडर द्वारा पानी

मेजा बांध में डाला जाता है। इस बांध के डूब क्षेत्र में मुआवजे की समस्या के कारण अत्यधिक पानी की आवक होने पर गेटों को खोलकर पानी बनास नदी में निकालना पड़ता है। अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति में राशमी कस्बा एवं सांखली गांव प्रभावित होते हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है। वर्षा ऋतु में कारोई-राशमी मार्ग बाढ़ की स्थिति में अवरुद्ध हो जाता है। गतवर्ष अधिक वर्षा होने से बांध के गेट को खोलकर अतिरिक्त पानी को नदी में सुरक्षित प्रवाहित किया गया।

बाढ़ कार्य योजना

बाढ़ के कारण होने वाली जान हानि व माल हानि को संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कदम उठाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है। संरचनात्मक कदमों से बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचने वाले स्थानों पर जाने से रोका जाता है तथा गैर संरचनात्मक उपायों से नुकसान सम्भावित क्षेत्रों में से बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित किया जाता है।

संरचनात्मक उपाय

- जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।
- प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना।
- बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।
- मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास, तथा प्राकृतिक अपवाह तन्त्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाऊस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।
- नदी के बांध में छिद्रान्वेषी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना।
- तटबन्ध पर बनाये गये स्थानीय बांधों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।

गैर संरचनात्मक उपाय

पारम्परिक इन्जीनियरिंग विधियों से पूर्ण रूप से बाढ़ नियन्त्रित नहीं की जा सकती परन्तु जन सहभागिता से बाढ़ के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

- बाढ़ के मैदान का पेटीकरण व भू उपयोग को नियन्त्रित करना
- बाढ़ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी देना।
- बाढ़ से सुरक्षित घरों का निर्माण।
- संवेदनशील क्षेत्रों में साईन बोर्ड प्रदर्शित करना।
- बाढ़ से बचने के लिए जन चेतना शिविरों का आयोजन।
- बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिए क्या करें क्या न करें को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे रेडियो, अखबार, दूरदर्शन तथा बुकलेट से लोगों तक पहुंचाना।
- भू उपयोग को नियमों के माध्यम से नियन्त्रित करके जान, माल तथा भौतिक संसाधनों का खतरा कम किया जा सकता है।
- आपदा सम्भावित क्षेत्रों में दुर्घटना में घायल या मृत लोगों का सीधा सम्बन्ध जनसंख्या घनत्व से होता है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करना चाहिए तथा अगर पहले से लोग बसे हुए हैं तो भू उपयोग नियन्त्रण करके नियमों को पालन करें। संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते हैं। अतः इन क्षेत्रों में जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिए। उच्च

बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति व पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों पर वनों के लिए आरक्षित करना।

- हल्के भवन निर्माण सामग्री का बाढ़ संभावित क्षेत्रों में प्रयोग पर रोक लगानी चाहिये तथा मिट्टी के बने घरों को केवल उन क्षेत्रों में अनुमति दी जानी चाहिये जहां पर बाढ़ नियन्त्रण के उपाय कर लिए गये हैं। बचाव हेतु एस्केप रूट का चयन तथा उच्च स्थानों का चयन पहले से निर्धारित होना चाहिए।

कंट्रोल रूम

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष, जयपुर में जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर स्थित सिंचाई भवन में स्थापित किया जाता है। इसके प्रभारी अधिकारी उप निदेशक (जल विज्ञान) सिंचाई है और उनका यह कार्यालय वायरलैस एवं टेलीफोन दोनों से ही जुड़ा हुआ है एवं चौबीसों घण्टे कार्यरत रहता है। इसके अतिरिक्त जयपुर मुख्यालय पर वृत्त स्तर का बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। जिले में भी बाढ़ से निपटने हेतु 15 जून से 30 सितम्बर तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष सिंचाई विभाग में स्थापित किया गया है। जिस पर चौबीसों घण्टे बाढ़ एवं वर्षा संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान जारी रखा जायेगा।

क्र. सं.	कार्यरत कंट्रोल रूम	दूरभाष नम्बर
1	राज्य कंट्रोल रूम, जयपुर	0141-2227296 एवं टोल फ्री-1070(फैक्स-2227230)
2	प्रभारी अधिकारी,	0141-2227885
3	जिला कंट्रोल रूम, भीलवाड़ा	01482-232671 एवं टोल फ्री-1077 (फैक्स-232626)
4	जल संसाधन विभाग, भीलवाड़ा	01482-226526

सिंचाई विभाग

- सुरक्षित स्थानों का चयन (परिशिष्ट संख्या 10, 11, 12, 13, 14)
- सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबन्धन
- वाहनों की उपलब्धता निश्चित करना (परिशिष्ट संख्या 23)
- सिविल डिफेंस विभाग को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिये जाते हैं एवं होमगार्ड को आपातकालीन स्थिति में सहायता करने हेतु हमेशा तैयार रहने के निर्देश दे दिये जाते हैं।
- बाढ़ की स्थिति में कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती है इसलिए चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित बीमारियों में काम आने वाली दवाईयों का प्रचुर मात्रा में भण्डारण करके सभी चिकित्सालयों में आवश्यकता पड़ने पर दवाईयां काम में लिये जाने हेतु रिजर्व रख दी जावें। मेडिकल स्टोर्स की सूची (परिशिष्ट संख्या 6)
- सिंचाई विभाग बांधों के पानी से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण जल पलायन की स्थिति में नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करेगा।
- अतिवृष्टि की स्थिति में परिस्थितियों से निपटने हेतु सामग्री तैयार रखना।
- उपलब्ध नावों की सूची
- तैराकों की सूची

चिकित्सा विभाग-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी होता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर चिकित्सा संसाधन/सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है।

चिकित्सालयों तथा चिकित्सकों की सूची

आपात कालीन सेवाओं के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले तथा ब्लॉक स्तर पर भी एक-एक रेपिड रेसपोन्स टीम का गठन करेंगे

1. चिकित्सा अधिकारी

01

2. स्वास्थ्य निरीक्षक	01
3. मेल नर्स	01
4. एमपीडब्ल्यू	01
5. वार्ड बॉय	01
6. वाहन चालक मय वाहन	01

आपदा की सूचना प्राप्त होते ही रेस्पॉन्स टीम तुरन्त प्रभावित स्थल पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करायेगी, गंभीर रोगियों को प्राथमिक उपचार पश्चात् अस्पताल में भेजेगी एवं आवश्यकता होने पर (महामारी के समय) रोकथाम की कार्यवाही करना आदि। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पेरा मेडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किया जायेगा।

जन.स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो 24 घण्टे कार्यरत रहेगें।
- संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- पेयजल के शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना।
- समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं, कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाएंगे।

जिला रसद विभाग

- जिला रसद विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा केरोसिन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा।

पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग

- संभावित आपदा से प्रभावित पशुओं में संक्रामक रोग, कुपोषण एवं अन्य उत्पन्न विकृतियों से बचाव हेतु जिला स्तर पर सूचनाओं के सम्प्रेषण एवं नियंत्रण हेतु जिला प्रभारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- मोबाइल टीम, आपदाओं के कारण पशुओं में संभावित संक्रामक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु मांग अनुसार अनुमोदित औषधिया उपलब्ध करायेगी।
- तहसील मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी तहसील स्तर के जोन प्रभारी के रूप में तैनात करना।
- जोन प्रभारी संबंधित तहसील में आउट ब्रेक अथवा अन्य पशु विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु पशु पालन जिला नियंत्रण कक्ष, विकास अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी से सम्पर्क में रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को क्षेत्र विशेष में भिजवाने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है तथा प्रत्येक स्थिति के नियंत्रण हेतु जोन प्रभारी को उत्तरदायी बनाया गया है।
- जोन प्रभारी ही क्षेत्र की सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु प्राधिकृत है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, पशुधन सहायक को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर आपदा से उत्पन्न विकृतियां/समस्याओं से निपटने के लिए जोन प्रभारी एवं जिला पशुपालन नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क में रह कर कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

विद्युत विभाग

जिले में विद्युत का संरचनात्मक ढांचा स्थित होने के कारण इनके रख रखाव एवं सही संचालन हेतु पूर्ण व्यवस्था है फिर भी यदा कदा, आंधी, तुफान, भारी वर्षा अथवा अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण बिजली के तार टूटना या अन्य तरह की दुर्घटना घटित होना स्वाभाविक है।

- वृत्त स्तर पर आपदा निवारण प्रकोष्ठ स्थाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियन्ता स्तर का अधिकारी प्रकोष्ठ प्रभारी होंगे।

- विद्युत लाईनों/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाईनों में विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जावे तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।
- आवश्यकता पड़ने पर कंट्रोल रूम में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथवा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

पुलिस विभाग

- आपदा के वक्त जिला पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
- आपदा से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कंट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा
- कंट्रोल रूम की संचार व्यवस्था वायरलैस, टेलीफोन, डी/आर बल को परिवहन हेतु छोटी-बड़ी गाड़ी अच्छी स्थिति में दुरुस्त होनी चाहिये।
- कंट्रोल रूम में 24 घण्टे की सेवायें कार्यरत होंगी तथा आरएएफ, आरएसी की टुकड़ियां तैनात रहेगी
- ये टुकड़ियां लाठी, ढाल गैस, गन, हथियारों से सुसज्जित हो।

एन.सी.सी./एन.एस.एस.

- आपदा के समय एनसीसी कैडेट्स व संबंधित स्टाफ घर-घर जाकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाकर जन जीवन को राहत पहुंचाने में मदद करेगा।

अग्नि शमन केन्द्र,

जिला मुख्यालय पर एक अग्निशमन केन्द्र कार्यरत है जिसमें वर्तमान में चार अग्निशमन वाहन उपलब्ध है। आग की स्थिति से निपटने के लिए 101 पर तुरन्त फोन किया जा सकता है।

नगरपरिषद/नगरपालिकाएं

- नालों की सफाई का कार्य करवाना।
- बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाना।
- ट्रेक्टर, ट्राली तथा पम्पसेटों की उपलब्धता कराना।
- मिट्टी के कट्टे उपलब्ध कराना।

सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान

आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से भी मदद ली जायेगी सूची (परिशिष्ट संख्या 26)

6.3 दुर्घटना

विज्ञान व तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है जिसके फलस्वरूप आज दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने, असावधानी व तकनीकी खराबी के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोग मरते हैं उनमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मरते हैं। स्थिति की भयावता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घंटे में 10 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु का ग्रास बनते हैं एवं इनसे चार गुना अर्थात् 40 व्यक्ति घायल होते हैं, जिनमें बहुत से उम्रभर के लिये अपंग हो जाते हैं।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं पर रोक लगाएं ताकि इसमें मरने वालों के आंकड़ों में कमी भी की जा सके।

सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण :

- गाड़ी चलाने में लापरवाही
- यातायात नियमों का पालन न करना
- खराब सड़कें
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड़
- गाड़ियों का अनुचित रखरखाव

रेल दुर्घटनाएँ

भीलवाड़ा जिले के हुरड़ा, बनेडा, माण्डल, भीलवाड़ा, माण्डलगढ़ तहसील से रेल्वे लाईन गुजरती है लेकिन यहां रेल्वे दुर्घटनाओं की संभावनाएं क्षीण हैं तथा गत 5 वर्षों में यहां कोई रेल दुर्घटना नहीं हुई है।

सड़क दुर्घटनाएँ

भीलवाड़ा जिले में कुल सड़को की लम्बाई लगभग 6300 कि.मी. है। यहां सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण यातायात के नियमों की जानकारी नहीं होना, सड़क के दोनों ओर भारी मात्रा में बिलायती बबूलों का होना, जिससे सामने से आने वाले वाहनों को समय पर नजर नहीं आता, तथा वाहनों के द्वारा क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना है।

जिला भीलवाड़ा से नेशनल हाईवे नम्बर 12 जयपुर से कोटा होते हुए जबलपुर जाता है जो जिले की जहाजपुर तहसील से गुजरता है। नेशनल हाईवे 27 जो कि जिले की माण्डलगढ़, बिजौलिया तहसील से गुजरते हुए चित्तौड़गढ़ एवं कोटा को जोड़ता है। राजमार्ग संख्या 79 गुलाबपुरा, माण्डल, भीलवाड़ा, आदि स्थानों से गुजरता हुआ अजमेर से इन्दौर को जोड़ता है। राजमार्ग संख्या 148 डी जो कि भीम गुलाबपुरा होते हुए हिण्डोली उनियारा तक जाता है। राजमार्ग संख्या 158 मेड़ता, लाम्बियारास, ब्यावर, आसीन्द माण्डल तक जुड़ा हुआ है। राजमार्ग संख्या 758 राजसमन्द, गंगापुर, भीलवाड़ा, कोटड़ी, माण्डलगढ़ लाडपुरा को जोड़ता है। जिन पर से प्रतिदिन लगभग 18000 वाहन गुजरते हैं। तथा हाईवे पर भारी वाहनों का दबाव बना रहता है। यहां पर अधिकतर दुर्घटनाएं ओवर टेकिंग के कारण होती हैं।

दुर्घटना कार्य योजना

दुर्घटनाएं कहीं भी किसी भी रूप में घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनाग्रस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा 100, 101, 102 व 1238 पर तुरन्त सूचना दें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं।

दुर्घटना से पूर्व

संरचनात्मक उपाय – दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

गैर संरचनात्मक उपाय – सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए

- सड़क नियमों का पालन करें।
- तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाए।
- शराब पीकर गाड़ी न चलाये।
- हैलमेट पहने, सीट बेल्ट बांध।
- बाईं तरफ से ओवरटेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुड़े।
- दाईं व बाईं ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें।
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हेडलाइट को डिप करके ही चलें।
- बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।
- बच्चों को गाड़ी न चलाने दें।

दुर्घटना के दौरान

जिला प्रशासन का कर्तव्य

- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुंचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन।
- अफवाहों को फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचना पहुंचाना।
- हानि का आंकलन करना।

चिकित्सा विभाग

- जिले में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की सूची परिशिष्ट 3, 4, 5, 6 पर है।
- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना।
- एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।
- प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

पुलिस विभाग

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

रेल्वे विभाग

- जनता तक सही सूचना पहुंचाने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
- चिकित्सा व्यवस्था करना।
- एक्सीडेंट वैन की व्यवस्था करना।
- खोज व बचाव दल का प्रबन्ध करना।
- पीड़ितों की पहचान करना तथा उन्हें आर्थिक मदद देना।

परिवहन विभाग

- घायलों को पहुंचाने हेतु यातायात साधनों का प्रबन्ध करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- वैकल्पिक रुट की व्यवस्था
- क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, ट्रेक्टर, डम्पर, एल.एन.टी. आदि की व्यवस्था।

नगर परिषद / पालिका / पंचायत

- टेन्टों की व्यवस्था।
- पानी के टैंकों की व्यवस्था।
- अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था।
- जनरेटरों की व्यवस्था।
- मृतकों के अन्तिम संस्कार हेतु प्रबन्ध।
- दुर्घटना स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था करना।

रसद विभाग

- खाद्य सामग्री तथा भोजन के पैकेटों की व्यवस्था करना।
- केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि की व्यवस्था करना।

स्वयंसेवी संघटन

- राहत व बचाव के कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
- पीड़ित लोगों को उपचार की सेवाओं की व्यवस्था करना।

जनता का कर्तव्य

दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध लोगों का कर्तव्य है कि वे अपने स्तर पर पीड़ित व्यक्ति की जांच करें तथा उसको शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। उच्च न्यायालय के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों का कर्तव्य है कि घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करें तथा घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल न की जाये।

अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो –

- आवाज देकर, गाल पर थपकी देकर, कान को चुटकी से दबा कर आंख खुलवाने की कोशिश करें।
- आंख न खोलने पर पता लगाएं कि छाती अथवा पेट पर सांस चल रही है या नहीं।
- इसके लिए नाक या मुंह के सामने हाथ रखकर या कान को मुंह के पास ले जाकर महसूस करें तथा हाथ या गर्दन की नब्ज देखें।

(ये सभी काम पूरे शरीर पर सरसरी निगाहें दौड़ाते हुए जल्द से जल्द ही कर लें, नहीं तो घायल पूर्ण बेहोशी (कोमा) में चला जाएगा)

सांस व दिल की धड़कन चलाने के लिए

- सबसे पहले घायल को पीठ के बल सख्त जमीन या तख्ते पर लिटा दें तथा उसके कपड़ों को ढीला कर दें।
- सिर को पीछे की ओर करें जिससे जबान की रुकावट खत्म हो जाए।
- ठोड़ी को आगे ले आएँ जिससे रुकावट खुल जाए।
- जबड़े का नीचे का हिस्सा ऊपर की ओर उठाकर आगे कर दें।
- इसी के साथ दोनों पैर एक-डेढ़ फीट ऊंचे करें। इससे पैरों का खून मस्तिष्क में जाएगा तथा उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी।
- यदि सांस की नली में थूक, खून या उल्टी इकट्ठी हो तो घायल को एक करवट देकर किसी कपड़े या रुई से निकाल दें।
- यदि इतने पर भी सांस चलना शुरू न हो तो मुंह से मुंह लगाकर एक मिनट में 15 से 18 बार सांस दें। यदि पेट में हवा भरती नजर आए तो हाथ से नाभि के ऊपर के हिस्से को दबाकर हवा निकाल दें।
- मुंह से नाक द्वारा अथवा एयरवे या एम्बू रीससिटेटर से भी सांस दी जा सकती है।

यदि दिल की धड़कन रुक गई हो तो बंद मुठ्ठी के निचले हिस्से से छाती के बीच में एक मुक्का मारें अथवा 4–5 से.मी. का दबाव डालते हुए एक मिनट में 60–80 बार दबायें।

यदि एकसीडेन्ट में घाव हो गए हैं और खून बह रहा हो तो

- रोगी को बिठा या लिटा दें ताकि खून कम बहे।
- घाव पर साफ कपड़े की पट्टी लगा कर हथेली से दबाव डालें तथा दबाव बनाए रखें।
- घायल भाग को स्थिर रखें।
- बहते खून को रोकने के लिए हाथ तथा पैर पर रबड बैंड, (Tourniquet) या कपड़े से बंध लगा दें तथा उसे हर 30 मिनट बाद ढीला करके फिर लगाएं। ताकि आगे का हिस्सा काला न पड़े।

यदि घायल को मानसिक आघात (सदमा) लगा हो जैसे—

- चक्कर तथा शिथिलता
- उल्टी होना
- ठंडी व गीली त्वचा
- बेहोशी
- धमनी की धड़कन क्षीण तथा तीव्र होना

- शरीर की जीवन आवश्यक क्रियाएं मंद हो जाना

तो खून को बहने से फौरन रोकें। खून की कमी से होने वाली जटिलताओं के अलावा इसको देखकर घायल व्यक्ति का मानसिकता सदमा विशेष रूप से बढ़ता है।

- रोगी को तसल्ली दें तथा उसका डर दूर करें।
- पीठ के बल लिटा दें। सिर नीचा करके एक ओर झुका दें।
- रोगी को कम्बल में लपेट दें।
- प्यास लगे तो पानी के घूँट, चाय, कॉफी या तरल पदार्थ दें।
- जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएँ।

जलते हुए व्यक्ति का बचाव

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़े या गॉज से ढक दें तथा रोगी को तुरन्त अस्पताल पहुंचाये।

6.4 आग

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण हैं।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई हैं घरों में या व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अगर आग लग जाये तो वह अनियन्त्रित हो जाती है क्योंकि वहां पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल-मई स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड़ देते हैं। मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड़ देते हैं। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घास-पत्ती, लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिनगारी पड़ने पर एवं कभी-कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकाण्ड मानवजनित होते हैं। बिजली सॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को काफी क्षति होती है।

भीलवाडा जिले में अधिकतर आग काश्तकारों के द्वारा कडवी (चारा) इकट्ठे करने वाले स्थानों पर बीडी या सिगरेट की चिंगारी से लगती है। पूर्व में डाबला कलां ग्राम में आग कई बार लग चुकी है जिसे गांव स्तर पर ही काबू कर लिया गया था।

भीलवाडा जिले में आग से प्रभावित होने वाला संभाव्य क्षेत्र — भीलवाडा शहर में रीको औद्योगिक क्षेत्र, पेट्रोल पम्प, छविग्रह, निजी इमारतें, कटला आदि आग से प्रभावित होने वाले क्षेत्र हैं।

अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएँ

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती हैं, जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्यधिक भयंकर रूप ले सकती हैं—यथा— वे औद्योगिक इकाईयां जहां अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का भण्डारण अथवा प्रयोग होता है।

कार्य योजना

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

आग से बचने सम्बन्धी सावधानियां

बिजली

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी भी डाईरेक्ट लाईन से ना लें।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना लें।
- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई. द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें
- बिजली या किसी प्रकार का वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हो।
- बिजली के स्टोव में टू पिन का ही प्रयोग करें।
- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखें।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेड़खानी ना करें।

रसोई घर :-

- रसोई घर में जलने वाले पदार्थों का भण्डारण नहीं करना चाहिये।
- गैस सिलेण्डर या नलकी को समय-समय पर गैस कम्पनी से चेक करवायें, गैस की नलकी आई.एस.आई. मार्का ही होनी चाहिये।
- साड़ी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ों का ध्यान रखें।
- रसोई खुली व खिड़कीदार हो।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्युलेटर को ऑफ करना ना भूले।
- अगर नलकी में आग लग रही हो तो रेग्युलेटर को बन्द करें, अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।
- गैस ज्यादा लिकेज हो तो ऊपर मंजिल वालों को सूचित करते हुये रसोई के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें।
- रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

गांवों व जंगल की आग के बचाव

- कभी भी चूल्हे को खुला ना रखें।
- चिमनी, लालटेन, लेम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
- बीड़ी सिगरेट आदि के टुकड़ों को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फेंकें।
- पिकनिक मनाते समय आग अगर जलाई हो तो उसे पूर्ण रूप से बुझाकर आवें।
- जंगल से रेल, बस या कार आदि से गुजरते समय जलती बीड़ी सिगरेट के टुकड़े ना फेंकें।
- घास खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावे जिससे की स्पॉन्टेनिकस कम्बसन से आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना।
- ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हो।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना हो।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिये जहां पर पानी आसानी से मिल सके।
- गांवों में अधिक बाड़े आदि नहीं होने चाहिए।
- बाड़ या फूस आदि पर कांच के टुकड़े आदि नहीं फेंकने चाहिये।
- खलिहानों या कच्चे छप्परों के पास आतिशबाजी नहीं करें।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें।
- कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।
- गांवों में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनको समय समय पर ट्रेनिंग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहिये।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर की स्थापना जैसे घण्टी (साईरन) बीटर्स, फावड़े बैलवे कापा हुक, बाल्टी, टार्च, स्टेम्प नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि होना।
- अग्नि रेखाओं को तैयार करना एवं उनका रखरखाव
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना
- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना

हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह ज़रूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बड़ी गाड़ियां आराम से चारों तरफ घुम सकें।
- बिल्डिंग कोड रुडकी द्वारा पास, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना।
- बिल्डिंग में दो स्टेपर केस (सीढ़ी) होना अतिआवश्यक है।
- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।
- उसमें आग बुझाने के यंत्रों जैसे स्प्रिंकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेंट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेंट में रहने वालों का वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर की ट्रेनिंग होना।

- फायर सर्विस से एन.ए.सी. लेकर ही पेट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेन्ट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे। जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़ियां भी पहुंच सके।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पेट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रीयों आदि में समय समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।

6.5 भूकम्प

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सामान्यतः भूगर्भिक चट्टानों के विक्षोभ के स्त्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन को भूकम्प कहते हैं। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से चारों ओर भू-तरंगे प्रवाहित होती हैं। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि.मी. की गहराई का उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं, उसे उद्गम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं। इस उद्गम केन्द्र के ठीक ऊपर भूतल पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयंकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहाँ एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुँचती है, जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था। यह विगत 150 वर्षों में सर्वाधिक भीषणतम भूकम्प था। जिसका केन्द्र भुज से 60 किमी दूरी पर था। इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000 से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30 हजार करोड़ रु. की सम्पत्ति नष्ट हो गयी। इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 गांव पूर्ण रूप से तबाह हो गये तथा 16,000 लोग मारे गये।

भूकम्प के मुख्य कारण

- ज्वालामुखी क्रिया
- भ्रंशन
- भूसंतुलन में अव्यवस्था
- जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी

भूकम्पों की तीव्रता

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोशन काउंसिल (BMTPC) ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्से तैयार कर इसे पाँच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक (MSK) पर IV-V तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि.मी. में महसूस होते हैं जबकि IX-X तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

- 1) **क्षेत्र V** :- इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक के अनुसार IX या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प सम्भावित है। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहा जाता है।
- 2) **क्षेत्र IV** :- इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक पर MM VII सम्भावित है इसे उच्च नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।
- 3) **क्षेत्र III** :- इस क्षेत्र में मरकरी मापक पर MM VII की तीव्रता भूकम्प आ सकता है इसे मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।
- 4) **क्षेत्र II** :- क्षेत्र में सम्भावित तीव्रता MM VI है इसे संशोधित सरकारी मापक पर निम्न नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।
- 5) **क्षेत्र I** :- इस क्षेत्र के लिए संशोधित मरकरी स्केल पर MMV या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प संभावित है। इसे अत्यधिक नुकसान क्षेत्र भी कहते हैं।

भूकम्पों की तीव्रता	तीव्रता के लक्षण (भूकम्पों का प्रभाव)	रिक्टर मापक परिणाम
यान्त्रिक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है।	0
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3.5
अल्प	आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव	4.2
साधारण	चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं का कम्पन	4.3
आद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं।	4.8
प्रबल	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती हैं।	4.9—5.4
अतिप्रबल	दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5.5—6.1
विनाशात्मक	ऊँची इमारतें गिर जाती हैं, मकानों में दरार पड़ जाती है।	6.2
विनष्टकारी	मकान धँस जाते हैं। भूमि में दरारें पड़ जाती हैं। पाईप लाईने टूट जाती है।	6.2—6.9
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारें पड़ जाती हैं। ढालों में भूस्खलन होता है।	7.0—7.3
अतिविनाशी	पुल, रेलवे लाइनें टूट जाती हैं। महान् भू-स्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7.4—8.1
प्रलयकारी	सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते हैं। धरातल में धँसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं।	8.1 से अधिक

भीलवाड़ा जिले को भूकम्पीय खण्डों की भारतीय मानक स्पेसिफिकेशन के अन्तर्गत खण्ड IV में रखा गया है एवं भूकम्प के विगत वर्षों के आंकड़ें यह प्रदर्शित करते हैं। कि हाल के कई वर्षों में यहां कोई विनाशकारी भूकम्प नहीं आया है। किन्तु बढ़ते शहरीकरण जो ऊंची इमारतों एवं खरीददारी के परिसरों के रूप में बढ़ रहा है चिंता का मुख्य विषय है। परिसरों हेतु आवश्यक मानकों का पालन यहां नहीं किया जाता है।

भीलवाड़ा जिले में भूकम्प आने पर जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। एजेंसी द्वारा भूकम्प से प्रभावित होने वाले सम्भावित क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण इमारतें ऐतिहासिक स्थल, बांध इत्यादि तथा जोखिम सम्भावित एवं उनकी संरचना को प्रारम्भिक रूप से चिन्हित कर लिया गया है।

कार्य योजना

भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी :

जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीडिया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचाना।

नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गाईड्स

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुँचाना।

पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुँचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुँचाना।
- चिकित्सकों, पैरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध कराना।

अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाएँ, नगर परिषद्, विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

क्या करें क्या न करें

भूकम्प पूर्व

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि गंभीर भूकंप के फलस्वरूप अधिकांश समस्याएं गिरती हुई वस्तुओं जैसे छत का प्लास्टर, विद्युत उपकरण आदि से होती है, भूमि की क्षति से नहीं।
- अलमारियों में सिर से ऊंचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखे। भारी गमलों वाले पोथों को झूलने हेतु नहीं लटकाए। किताब रखने की अलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलट कर गिर सकती है।
- खिड़की तथा भारी वस्तुएं जो गिर सकती है उन्हें बिस्तर से दूर रखे। बिस्तर के ऊपर दर्पण, पिकचर फ्रेम आदि नहीं लटकायें।
- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्युत लाईन को क्षति पहुंचा सकते हैं उन्हें मजबूती प्रदान करें।
- लटकाने वाले बिजली के सामन मजबूती के साथ छत पर लगावें तथा निकास के रास्ते में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।
- आपातकालीन सामग्री (जल, दीर्घ अवधि तक रहने वाला तुरंत तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट, दवाईयां,, आग बुझाने के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा कार में सुगम पहुंच हेतु उपलब्ध रखें।

आपदा के दौरान व पश्चात

- शांत रहे, घबराएं नहीं।
- कांच, खिड़की, अलमारी, केबिनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज पलंग आदि मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जाएं व अपना सिर एवं शरीर अपने हाथों, तकिया, कम्बल, किताबो आदि से ढक लें ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वयं की रक्षा कर सकें।
- बाहर की तब तक न भागे जब तक सुनिश्चित हो जाये कि जहां से निकल रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढ़ियों का उपयोग न करें संभवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। सीढ़ियों की ओर न भागे, क्योंकि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकता है।
- कभी भी मुख्य द्वारा से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खड़े न हों क्योंकि सामान्यतः यह असुरक्षित स्थान है।

- जब आप बाहर है तो भूकम्प की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेड़ों एवं विद्युत तारों से दूर रहें। खुले क्षेत्र में तब तक रुकें जब तक कंपन खत्म न हो।
- अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी को भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहें। यद्यपि कम्पन विस्तृत रूप में आ सकते है। किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लिये सुरक्षित स्थान है। पत्थर की सुरुचनाओं अथवा ऊंची इमारतों के नजदीक न रहें। पलाई ओवर, पुल के नीचे या ऊपर न रहें।
- वाहन चलाते समय भूकम्प से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुएं, गिरी हुई विद्युत लाईनों, टूटे अथवा धंसे हुए रास्तों एवं पुलों को अवश्य देखें।
- भूकम्प झटके रुकने पर मलबे में फसें लोगों को निकलवाने में मदद करें।
- चोट की जांच करें, तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें। पुलिस 100/अग्निशमन केन्द्र 101/रोगी वाहन 102 को सूचना दें।
- आग की जांच करें।
- गैस के लीक की संभावना से इमारत को खाली करें। गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलायें।
- विद्युत को तब तक न जलायें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि गैस लीक नहीं हो रही है।
- आपातकालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें।
- भीषण भूकम्प के कुछ दिनों बाद तक भूकम्प के पश्चात के झटकों के लिये तैयार रहें जो सामान्यतः बड़े भूकम्प के बाद आते हैं एवं ये पहले से ही क्षतिग्रस्त/कमजोर ढांचों को अतिरिक्त हानि पहुंचा सकते है।

6.6 साम्प्रदायिक तनाव

भीलवाड़ा जिला साम्प्रदायिक दृष्टि से अति संवेदनशील जिला है। जिले में साम्प्रदायिक वातावरण इस प्रकार दुषित है कि हिन्दु व मुस्लिम दोनों समुदाय के मध्य बच्चों के परस्पर खेल आदि के मामले अथवा आपस में लेन देन का कोई मामला हो या छेड़छाड़ आदि का कोई मामला हो तो उसे भी साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास दोनों समुदाय द्वारा किया जाता है तथा मामुली विवाद को बड़ा रूप देकर साम्प्रदायिक माहौल उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। विगत वर्ष कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक वातावरण इस कदर दुषित करने का प्रयास किया कि बिना कोई घटना घटित हुए झूठी घटना घटित होना बता माहौल को तनावपूर्ण बनाने का प्रयास किया। इन असामाजिक तत्वों का मुख्य मकसद समाज में अपना नेतृत्व/वर्चस्व कायम करना था जिसको पुलिस द्वारा बड़ी सतर्कता एवं सूझबूझ से इस षड़यंत्र को निष्क्रिय किया। जिले में वातावरण इस कदर दुषित है कि राज्य अथवा राज्य के बाहर अगर कोई भी इस प्रकार की कोई साम्प्रदायिक घटना घटित होती है तो उसमें भी यह जिला अछुता नहीं रहता तथा इसकी प्रतिक्रिया जिले में भी दिखाई देती है। भीलवाड़ा जिला औद्योगिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान रखता है। यहां पर औद्योगिक क्षेत्र तथा शिक्षा के क्षेत्र में

राजनितीकरण के कारण मुख्य राजनैतिक दलो द्वारा अपना वर्चस्व कायम करने के लिए वातावरण सदा जटिल बना रहता है।

साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने हेतु जिलें में समय समय पर शान्ति समिति की बैठके आयोजित की जाती है तथा शान्ति समिति व सी.एल.जी. के सदस्यों का समय समय पर रिव्यु किया जाकर उसमें प्रतिष्ठित एवं समाज में वर्चस्व रखने वाले लोगो को शामिल किया जा रहा है।

6.7 ओलावृष्टि

ओला वृष्टि एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका आकलन पूर्व में नहीं किया जा सकता। यह प्रकृति का प्रकोप है जो आँधी की तरह आती है एवं तूफान की तरह चली जाती है। इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता तथा यह हवा के रुख एवं उसकी गति के अनुसार उसी दिशा को क्षति ग्रस्त करते हुए निकलता है।

ओलावृष्टि के कारण व्यक्तियों, पशुधन एवं सर्वाधिक नुकसान फसलों व फलदार वृक्षों को होता है। जिले में ओलावृष्टि कभी भी किसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के रूप में प्रकट होती है। ओलावृष्टि से अनावश्यक व्यक्तिगत/पशुधन/फसलों की हानि का आँकलन करने हेतु उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को तत्काल निर्देशित करना प्रशासन का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है।

ओलावृष्टि से बचने के उपाय एवं व्यवस्थाएँ –

यद्यपि ओलावृष्टि आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप है, जो किसी भी क्षेत्र में कम-ज्यादा हो सकती है। इसके लिए तात्कालिक बचाव के उपाय किया जाना ही संभव हो सकता है। फसलों के नुकसान का आँकलन भी तात्कालिक ही सम्भव है। ऐसे क्षेत्र में जिला प्रशासन, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार दौरा कर क्षेत्रीय जनता से संपर्क कर जन/पशुधन की हानि पर तात्कालिक राहत उपलब्ध कराना तथा ओलावृष्टि से पीड़ित गाँवों को चिन्हित करते हुए फसलों को हुए नुकसान की बाबत किसानों को राहत पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं।

6.8 बांध टूटना

सामान्यतः वर्षा के जल प्रवाह को रोक कर जल का उपयोग कृषि सिंचाई, उद्योगों को जलापूर्ति एवं पेयजल हेतु बांधों का निर्माण किया जाता है। राजस्थान जैसे शुष्क एवं अर्द्धशुष्क जलवायु वाले राज्य में जल का अत्यधिक महत्व है। इस क्षेत्र में बूंद-बूंद जल संग्रहीत करने की परिपाटी रही है। इसी के फलस्वरूप प्रदेश की जनता, जो कि कृषि पर निर्भर है, अपनी आजीविका चलाती है। वहीं दूसरी ओर कभी-कभी अत्यधिक वर्षा की स्थिति में यही बांध इनकी आजीविका के साथ-साथ जान पर भी उतारु हो जाते हैं। जिसका कारण बांध के रख रखाव में लापरवाही बरतना होता है। बांधों के टूटने की स्थिति में निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

बांधों के रखरखाव के संबंध में आवश्यक है कि

- वर्षा पूर्व बांधों पर बने अतिजल विकास द्वारों की ग्रीसिंग की जानी चाहिए।
- जल निकास द्वारों को खोलने हेतु आवश्यक उपकरण जैसे: चैन, रस्सा, चाबी आदि की जाँच स्वयं अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए।
- बांधों पर तैनात चौकीदारों को सावधान कर दिया जाना चाहिए एवं ड्यूटी शिफ्ट में बांट देनी चाहिए।
- पूर्व चेतावनी हेतु नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए।
- बाँधों के क्षेत्र में आने वाली जनता को भी सम्भावित आपदा हेतु तैयार किया जाना आवश्यक है।
- बाँधों की दीवारों के कमजोर भागों की मरम्मत करवायी जानी चाहिए।

जिले में सिंचाई बांधों में से अधिकांश बांध स्टेट टाईम के निर्मित है। कई बांधों व नहरों की हालत जीर्ण क्षीर्ण है। इस खण्ड के अधीनस्थ बांधों के डाउन स्ट्रीम में आबादी क्षेत्र काफी विकसित है। साथ ही इन बांधों में पाईपिंग (गुल्ला) भी वर्षा सत्र में होती रहती है। जिससे बांध के टूटने का खतरा बना रहता है। इसी प्रकार जहां क्षारीय मिट्टी से नहर बनी होती है वहां भी नहर के टूटने का खतरा बना रहता है, जिससे जान व माल की हानि होने की संभावना बनी रहती है। वर्ष 2001 में जिले में 7 बांध टूटे एवं 92 बांध क्षतिग्रस्त हुए।

6.9 रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ

तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। कुछ बड़ी दुर्घटनाएँ जैसे : भोपाल गैस कांड और जयपुर में तेल कंपनी में लगी आग, अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएँ अहम हैं।

सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएँ भारत में होती हैं। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाएँ बननी चाहिए तथा साथ ही मॉक ड्रिल का होना भी आवश्यक है।

प्रभाव :—

औद्योगिक दुर्घटनाओं के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैं।

- जान की क्षति
- घाव होना अथवा आग से जलना
- जहरीले द्रवों/गैसों से बीमार होना
- माल की क्षति

साथ ही इससे रोडवेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभाव बड़े क्षेत्र में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर पर आपदा से निपटे।

भीलवाड़ा वस्त्र नगरी के रूप में विकसित हुआ है इसके अलावा तापरोधी ईटें, ए.सी.एस. आर कण्डक्टर्स, ट्रेक्टर कंप्रेसर, मिट्टी की ईटें, प्लास्टिक उत्पादन, चाईना क्ले, सेप स्ओन पाउडर, रासायनिक खाद मोजाइक टाईल्स, होजरी उत्पाद रस्से एवं निवार सम्बन्धित औद्योगिक इकाइयों स्थापित हैं। सामान्यतः इन उद्योगों में किसी आपदा की विशेष संभावना रहती है। दुर्घटना होने पर कर्मचारी का इलाज तुरन्त इकाई द्वारा किया जाता है एवं अन्य प्रकार की कोई दुर्घटना होने पर जिला प्रशासन से सहायता ली जाती है।

6.10 ताप (लू) एवं शीतघात

तापघात (लू)

राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनों प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएँ यहाँ की जलवायु के कारण देखी जाती है साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेषता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्रों का निर्माण करने के फलस्वरूप गर्म व तीव्र हवायें प्रवाहित होती हैं जिसे स्थानीय भाषा में 'लू' कहा जाता है वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक ठण्ड पाई जाती है।

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्ष का सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है। मई में माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 39.70 से. और माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 24.3° से. रहता है। जून में रात्रि का तापमान मई की अपेक्षा अधिक होता है। गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं जिससे बेचैनी बढ़ जाती है व गर्मी बहुत भीषण हो जाती है। मई, 2010 में अधिकतम तापमान 49° से0 रिकार्ड किया गया है।

तापघात के लक्षण

- अत्यधिक पसीना आना
- सिरदर्द होना
- उल्टी होना
- जी मिचलाना
- आलस्य और थकान
- शरीर के तापमान का बढ़ जाना

तापघात से बचाव के उपाय

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाये।
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्र लपेट लें।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखे पेट न निकलें।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारों तरफ गिली पट्टी लपेट दें व पंखा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियाँ करे या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।
- कम खाना खाये और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आंतरिक तापमान को बढ़ाता है। जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- यदि तबीयत ज्यादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें।
- अधिक प्रोटीन वाले खने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते हैं।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- लोगों को तापघात के लिए जागृत बनाने कि इसका प्रभाव क्या होता है तथा क्या करे, क्या ना करे की जानकारी प्रदान करें, जो ऊपर बतायी गयी है।
- चिकित्सा संस्थाओं को तापघात से निपटने के लिए पूर्व में तैयार रहने की चेतावनी देना।
- संचार माध्यम के जरिये जनता को शिक्षित करना।
- दोपहर के समय होने वाले समारोहों, जहाँ अधिक लोग एकत्रित हो, को रोका जाना चाहिए।
- तापघात में क्या करें, क्या ना करें हेतु लोगों को विद्यालयों, शैक्षणिक कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर जागृत करें।

शीत लहर

आधे नवम्बर के बाद जनवरी तक दिन और रात दोनों के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। जनवरी में, जो कि सबसे ठण्डा महीना होता है माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 22.0⁰ से. व माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 5.8⁰ से. रहता है। शीतकाल के दौरान जब उत्तरी भारत से होकर गुजरने वाले मौसम सम्बन्धी विक्षोभों के फलस्वरूप शीत लहरें इस जिले को प्रभावित करती हैं तो उस समय न्यूनतम तापमान पानी के जमाव बिन्दु से दो या तीन डिग्री नीचे तक भी चला जाता है।

लोगों को क्या जानकारी दी जानी चाहिए ?

- ज्यादा तहों के कपड़े पहने और अपने सिर को ढक कर रखें।
- पतले कपड़ों की ज्यादा परतें, एक गर्म कपड़े की बजाए ज्यादा गर्म होता है।

- गर्म करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सिर को ढककर रखना है। बाहर जाने पर यदि आप काँपने लगे या थकान महसूस करें, या आपकी नाक, अंगुलियाँ, एडियाँ ठंडी हो जाए तो जल्दी से भीतर चले जाएँ।
- मौसम की स्थिति से सवाधान रहें। मौसम एकदम से बदल सकता है। तापमान तेजी से गिर सकता है? ठंडी हवा बढ़ सकती है या बर्फ गिर सकती है।
- पशुओं को ढके हुए स्थान में रखें। पानी का इंतजाम करें। सर्दी में ज्यादातर पशुओं की मौतें संक्रमण से होती है।
- अनावश्यक भ्रमण को रोकें। घर के भीतर सर्वाधिक सुरक्षित स्थान रहता है।
- समय पर भोजन करें। भोजन शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है।
- संक्रमण रोकने के लिए पेय लें। गर्म पेय जैसे कि चावल का पानी या सन्तरे का जूस लें। केफिन व मदिरा से परहेज करें।
- अत्यधिक ठंडी श्वास से बचने के लिए मुँह को ढक कर रखें, गहरी सांस न लें और कम बोलें।
- सूखे रहें। गीले कपड़े तुरन्त बदल लें क्योंकि ये गर्मी को शरीर से जल्दी बाहर कर देते हैं।
- गर्म कंबल या चद्दर इस्तेमाल करें।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- जरूरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवदेनशील होते हैं उनको जिला प्रशासन शरण स्थल दें।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन बाजारो आदि खुले स्थानों पर शरण लेते हैं उन्हें गर्म स्थानों में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखें और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें।
- कंबल और भोजन बांटे।
- गश्त पर मोबाइल टीम लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सके।

अध्याय-7

प्राकृतिक आपदा के समय मीडिया प्रबंधन

किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में सूचनाओं के संप्रेषण, घटना एवं घटना के बाद की स्थिति का वास्तविक विवरण, आपदा से बचाव एवं नियंत्रण हेतु किये जाने वाले प्रयास व बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में पुख्ता जानकारी आम जनता तक समय पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रभावी मीडिया मैनेजमेन्ट आवश्यक है।

7.1 उद्देश्य

- घटित घटना की वास्तविक जानकारी आम जनता तक उपलब्ध करना।
- अन्य उपयोगी सूचनाएं एवं जानकारी आम जनता तक पहुंचाना।
- प्राकृतिक आपदा के दौरान मृत/घायलों के परिजनों व आश्रितों तक सूचना पहुंचाना।
- घटना के संदर्भ में पाजीटिव पब्लिक ऑपीनियन तैयार कराना।
- प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ स्वस्थ संबंध स्थापित करना।

7.2 जिला प्रशासन और नोडल विभाग के दायित्व

जिला प्रशासन, संबंधित नोडल विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संबंधित सूचनाएं संकलितकर यथाशीघ्र मीडिया को उपलब्ध कराना। सूचना सेल अथवा नियंत्रण कक्ष स्थापित करना और उसके टेलीफोन नम्बर का प्रचार पसार करना।

- घटनास्थल पर फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर को लेकर जाना।
- जरूरत के अनुसार जिम्मेदार अधिकारी को घटनास्थल पर लगाना ताकि समय-समय पर मीडिया तक सूचनाओं का संप्रेषण जारी रह सके।
- निर्धारित समय पर पी.आर.ओ. द्वारा प्रेस ब्रिफिंग करना।
- पी.आर.ओ. के माध्यम से सम्पूर्ण मीडिया चेनल्स पर मीडिया रिपोर्टिंग ट्रेक चलवाना तथा जरूरत के अनुसार आवश्यक संशोधन व स्पष्टीकरण जारी करना।

संवाददाता

- केवल संबंधित विभाग के मंत्री, संबंधित नोडल डिजास्टर मैनेजमेन्ट सचिव एवं जिला कलक्टर ही प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ चर्चा के लिए सक्षम हैं।
- इनके अलावा सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भी प्रेस व मीडिया को साक्षात्कार दे सकता है या जानकारी दे सकता है।
- यह सुनिश्चित करें कि वास्तविक, सही एवं प्रमाणित सूचना ही प्रसारित की जाए।
- घटना के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति द्वारा की गई आलोचना या व्यक्तिगत राय और विचार आदि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

7.3 प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सूचना का प्रसारण

मीडिया में दी जाने वाली सूचनाओं को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है।

आपदा की घटना

- घटना का स्वरूप जैसे तिथि, समय एवं घटनास्थल।
- घटित होने वाली आपदा की विस्तृत जानकारी, संभावित वजह एवं घटना के प्रदान कारणों के बारे में सक्षम एवं प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित जानकारी मीडिया को बताना।
- बचाना और सहायता कार्यों की प्रगति के बारे में रिपोर्टिंग करते रहना।
- पुनः सामान्य स्थिति कायम होने की संभावित तिथि एवं समय के बारे में जानकारी देना।

दुर्घटना में सुरक्षित बचने वाले व्यक्ति

- घटना में सुरक्षित बचने वाले व्यक्तियों के लिए रहने, खाने एवं प्राथमिक उपचार, चिकित्सा सुविधा, दवाइयाँ आदि की व्यवस्था हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी।
- प्रशासन द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी।

घटना में मृत एवं घायल व्यक्तियों से संबंधित जानकारी

- जिला प्रशासन द्वारा किये गये चिकित्सा प्रबंधों की जानकारी।
- बचाव कार्य एवं बचाये गये व्यक्तियों की संख्या।
- गंभीर एवं सामान्य घायलों की संख्या।
- हॉस्पिटल जहां घायलों का उपचार किया जा रहा हो।
- इन हॉस्पिटल में भर्ती व्यक्तियों की संख्या।
- घायलों में नामों की सूची।
- इन चिकित्सालयों में उपलब्ध संचार सुविधाएं फोन नम्बर आदि।
- अन्य सहायता राशि।
- घटना से प्रभावित व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को उपलब्ध सुविधा।
- घटनास्थल से प्राप्त मृत व्यक्तियों के शवों की संख्या और पहचान किये गये शवों की संख्या।

हेल्पलाइन पूछताछ केंद्र एवं नियंत्रण कक्ष

हेल्पलाइन पूछताछ केंद्र एवं नियंत्रण कक्ष की स्थापना का विस्तृत विवरण जैसे स्थान टेलिफोन नं. और फैक्स नं. आदि।

हतायत व्यक्तियों की संख्या

- अधिकांशतया सभी आपदा दुर्घटनाओं के समय जब तक बचाव और सहायता कार्य चालू रहते हैं उस दौरान जिला प्रशासन द्वारा बताये गये और मीडिया द्वारा प्रसारित किये गये हताहतों की संख्या में अंतर बना रहता है।
- इसका कारण यह है कि जिला प्रशासन जो आंकड़े देता है वो वास्तविक रूप से हतायत होने वालों की संख्या के हाते हैं जिनके शव प्राप्त किये जा चुके होते हैं जबकि मीडिया द्वारा हतायतों की संख्या का अनुमान दिखाई देने वाली क्षति के आधार पर लगाया जाता है।
- प्रेस ब्रिफिंग के दौरान यह बिन्दु भी स्पष्ट कर लिया जाना चाहिए कि वर्तमान समय तक इतने शव प्राप्त हो चुके हैं।
- साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि बचाव कार्य निरंतर जारी है फिर भी हतायतों का आंकड़ा बढ़ सकता है।

- हतायतो और घायलों की संभावित संख्या का ब्योरा यदि आवश्यक हो तभी दें।

7.4 प्रेस ब्रिफिंग

- जिला कलक्टर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि घटनास्थल से वास्तविक सूचनाएं संकलित कर मीडिया एवं राज्य मुख्यालय को उपलब्ध करायें।
- प्रेस ब्रिफिंग का समय निर्धारित हो ताकि अलग अलग व्यक्तव्य देने के बारे में किसी तरह का सशंय अलग-अलग चैनल्स को नहीं हो।
- घटनास्थल , जिला मुख्यालय एवं राज्य मुख्यालय पर समानान्तर रूप से यथासंभव एक ही समय प्रेस ब्रिफिंग की जाए ताकि सभी संबंधित द्वारा समान वक्तव्य दिया जा सके।
- विभिन्न मीडिया प्रतिनिधियों को प्रेस ब्रिफिंग में प्राथमिकता का कम निम्नानुसार रहना चाहिए—
 - टी. वी. चैनल्स
 - न्यूज एजेंसी
 - प्रिंट मीडिया

मीडिया को घटना स्थल पर ले जाने के लिए वाहन आदि की व्यवस्था में पी.आर.ओ. व जिला प्रशासन के प्रतिनिधि अधिकारी सहयोग करें तथा मीडिया को उन चिकित्सालयों का दौरा कराना जाये जहां घायलो का उपचार किया जा रहा हो।

7.5 भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन समय सारणी

01 जनवरी 2025 से लागू						
डाउन गाड़ियाँ (अजमेर की ओर)						
गाड़ी संख्या नया	कहाँ से	कहाँ तक	आने का समय	जाने का समय	दिबस	वाया
12720	हैदराबाद	जयपुर	00.35	00.40	बुध, शुक्र	अजमेर
17020	हैदराबाद	हिसार	00.35	00.40	सोमवार	अजमेर, सादुलपुर
07020	हैदराबाद	जयपुर	00.35	00.40	रविवार	अजमेर
20667	यशवंतपुर	जयपुर	00.58	01.00	शनिवार	अजमेर
19666	उदयपुर सिटी	खजुराहो	01.10	01.15	प्रतिदिन	भरतपुर, आगरा कैंट, झांसी
09724	बान्द्रा टर्मिनस	जयपुर	01.20	01.25	शुक्रवार	अजमेर
19337	इंदौर जंक्शन	दिल्ली सराय रोहिल्ला	02.05	02.10	सोमवार	जयपुर, अलवर
19607	कोलकाता	मदार जंक्शन	02.05	02.10	शनिवार	अजमेर
18009	संतरागाछी	अजमेर	02.05	02.10	रविवार	-
12982	असारवा	जयपुर	02.50	02.55	प्रतिदिन	अजमेर
22985	उदयपुर सिटी	दिल्ली सराय रोहिल्ला	03.20	03.25	रविवार	फुलेरा, रिंग्स, रेवाड़ी
12316	उदयपुर सिटी	कोलकाता	03.55	04.00	सोमवार	जयपुर, कानपुर सेंट्रल, पटना
19601	उदयपुर सिटी	न्यू जलपाईगुड़ी	03.55	04.00	शनिवार	जयपुर, दिल्ली, मुरादाबाद, गोरखपुर
19712	भोपाल जंक्शन	जयपुर	04.15	04.20	प्रतिदिन	अजमेर
09654	बान्द्रा टर्मिनस	अजमेर	04.40	04.45	सोमवार	-
22175	नागपुर	जयपुर	05.50	05.55	शुक्रवार	अजमेर
12995	बान्द्रा टर्मिनस	अजमेर	07.35	07.40	सोम, गुरु, शनि	-
12991	उदयपुर सिटी	जयपुर	08.55	09.00	प्रतिदिन	अजमेर
20979	उदयपुर सिटी	जयपुर	10.18	10.20	बुध, शुक्र, रवि	(बन्दे भारत एक्सप्रेस)
14802	इन्दौर	जोधपुर	11.20	11.25	प्रतिदिन	अजमेर, मारवाड़ जंक्शन
19606	उदयपुर सिटी	मदार	15.40	15.45	प्रतिदिन	अजमेर
19609	उदयपुर सिटी	योग नगरी ऋषिकेश	17.05	17.10	सोम, गुरु, शनि	जयपुर, बांदीकुई, दिल्ली, हरिद्वार
09722	उदयपुर सिटी	जयपुर	17.30	17.32	प्रतिदिन	अजमेर
19615	उदयपुर सिटी	कामाख्या	18.45	18.50	सोमवार	जयपुर, मथुरा, कानपुर, गोरखपुर
20474	उदयपुर सिटी	दिल्ली सराय रोहिल्ला	20.00	21.05	प्रतिदिन	फुलेरा, रिंग्स, रेवाड़ी
20497	मंडपम	फिरोजपुर छावनी	20.35	20.40	गुरुवार	जयपुर, रिंग्स, चुरू, बठिंडा
13423	भागलपुर	अजमेर	20.35	20.40	शुक्रवार	-
19333	इन्दौर	बीकानेर	20.35	20.40	शनिवार	रिंग्स, सीकर, चुरू
19345	रतलाम	भीलवाड़ा	00.25	-	प्रतिदिन	

अप गाड़ियाँ (चित्तौड़ की ओर)

12981	जयपुर	असारवा	00.25	00.30	प्रतिदिन	उदयपुर सिटी
19338	दिल्ली सराय रोहिल्ला	इन्दौर	00.40	00.45	मंगलवार	रतलाम
19334	बीकानेर	इन्दौर	00.40	00.45	सोमवार	रतलाम
18010	अजमेर	संतरागाछी	01.10	01.15	सोमवार	चन्देरिया, गुना, कटनी
19608	मदार जं.	कोलकाता	01.10	01.15	मंगलवार	चन्देरिया, गुना, कटनी
20668	जयपुर	यशवंतपुर	02.05	02.07	रविवार	रतलाम, सुरत, पुणे
19665	खजुराहो	उदयपुर सिटी	02.55	03.00	प्रतिदिन	चित्तौड़गढ़
19346	भीलवाड़ा	रतलाम	-	03.35	प्रतिदिन	-
20473	दिल्ली सराय रोहिल्ला	उदयपुर सिटी	03.55	04.00	प्रतिदिन	चित्तौड़गढ़
13424	अजमेर	भागलपुर	08.05	08.10	शनिवार	चन्देरिया, गुना, कटनी, पटना
09721	जयपुर	उदयपुर सिटी	10.00	10.02	प्रतिदिन	चन्देरिया
19610	योगनगरी ऋषिकेश	उदयपुर सिटी	11.10	11.15	सोम, बुध, शनि	चित्तौड़गढ़
19605	मदार जं.	उदयपुर सिटी	11.25	11.30	प्रतिदिन	चित्तौड़गढ़
09723	जयपुर	बान्द्रा टर्मिनस	12.45	12.50	बुधवार	रतलाम
14801	जोधपुर	इन्दौर	15.05	15.10	प्रतिदिन	रतलाम
12992	जयपुर	उदयपुर सिटी	18.02	18.07	प्रतिदिन	चित्तौड़गढ़
20980	जयपुर	उदयपुर सिटी	18.56	18.58	बुध, शुक, रवि	चित्तौड़गढ़ (वन्दे भारत एक्सप्रेस)
17019	हिसार	हैदराबाद	19.30	19.35	मंगलवार	रतलाम, भोपाल, खण्डवा, मनमाड
12719	जयपुर	हैदराबाद	19.30	19.35	बुध, शुक	रतलाम, भोपाल, खण्डवा, आकोल
09653	अजमेर	बान्द्रा टर्मिनस	19.30	19.35	शनिवार	रतलाम
07019	जयपुर	हैदराबाद	19.30	19.35	रविवार	रतलाम, भोपाल, आकोला, पूर्णा
12315	कोलकाता	उदयपुर सिटी	20.10	20.15	शुक्रवार	चन्देरिया
19616	कामाख्या	उदयपुर सिटी	20.10	20.15	शनिवार	चन्देरिया
22176	जयपुर	नागपुर	21.55	22.00	शुक्रवार	चन्देरिया, कोटा, उज्जैन, इटारसी
20498	फिरोजपुर कैंट	मंडपम	21.55	22.00	शनिवार	रतलाम, भोपाल, नागपुर, गुडूर जं.
12996	अजमेर	बान्द्रा टर्मिनस	22.25	22.30	मंगल, गुरु, शनि	रतलाम
19711	जयपुर	भोपाल	23.05	23.10	प्रतिदिन	रतलाम, उज्जैन
19602	न्यू जलपाईगुड़ी	उदयपुर सिटी	23.40	23.45	मंगलवार	चन्देरिया
22986	दिल्ली सराय रोहिल्ला	उदयपुर सिटी	23.40	23.45	रविवार	चन्देरिया

अध्याय 8

कोविड-19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम के लिये
जिले में उपलब्ध संसाधनों का विवरण

SDMs (दूरभाष सम्पर्क समस्त उपखण्ड अधिकारी, जिला-भीलवाड़ा)					
Sr. No.	Name of Officer	Designation	Office	Res.	Mobile No.
1	Shri Divyaraj Singh Chundawat	Bhilwara	01482-232612	01482-232612	94616-66516
2	Smt. Neha Chhipa	Hamirgarh	-	95303-20004	83062-16353
3	Shri Shrikant Vyas	Banera	01487-272038		93511-17312
4	Shri Chhotu Lal Sharma	Mandal	01486-266808		94609-47840
5	Shri Rajkesh Meena	Jahazpur	01485-230508		81271-85807
6	Shri Babu Lal (Addl. Charge)	Shahpura	01486-266808		94131-35633
7	Shri Babu Lal	Phuliakalan	01484-225007		94131-35633
8	Tanya Rinwa (UT RAS)	Kotri	01488-235232		94686-33648
9	Shri Jogendra Singh	Kareda	01486-262492	95303-20030	90799-75380
10	Shri Rohit Chouhan	Gulabpura	01483-223021		94149-88118
11	Sh Rajesh Kumar Vishnoi	Gangapur	01481-220043		95495-11147
12	Sh. Karuna Ladoti (UT RAS)	Raipur	01481-230230		93521-80042
13	Shri Manmohan Sharma	Mandalgarh	01489-230018		90797-23429
14	Shri Ajit Singh Rathore	Bijoliya	01489-236195		94602-01047
15	Tanya Rinwa (UT RAS) (Add. Charge)	Asind	01480-220146		94686-33648
16	Shri Arun Kumar Jain	ACM Bhilwara			94133-39599
17	Shri Chhotu Lal Sharma	ACM Mandal	01486-266808		94609-47840
18	Shri Rajkesh Meena (Add. Charge)	ACM Jahazpur	01485-230508		81271-85807
TDRs (समस्त तहसीलदार, जिला-भीलवाड़ा)					
Sr. No.	Name of Officer	Designation	Office	Res.	Mobile No.
1	Sh. Dinesh Kumar Sahu	TDR Bhilwara	01482-232614		99828-37129

2	Sh Bhanwar lal sen	TDR Hamirgarh	01482-286265		97996-52397
3	Suman Gurjar (UT RAS)	TDR Mandal			99281-32777
4	Smt Kanchan Chouhan NT	TDR Kareda	01486-262492		70112-96633
5	Sh Bhanwar lal Sen (Add. Charge)	TDR Raipur	01481-230031		97996-52397
6	Ku Shivanaya Gupta	TDR Sahada	01481-220041		84260-64888
7	Sh Ranveer Singh (Under Trans.)	TDR Hurda	01483-221030		75978-00397
8	Sh. Jai Singh NT (Add. Charge)	TDR Asind	01480-220115		90249-73636
9	Sh. Vishvajeet Singh (UT RAS)	TDR Shahpura			93521-70485
10	Shri Anil Choudhary	TDR Phuliakalan	01484-225013		94137-02911
11	Shri Narayan Prasad Sharma	TDR Banera	01487-272618		94612-67601
12	Shri Ravi Kumar Meena	TDR Jahazpur	01485-230037		94617-99606
13	Shri Ramkishor Meena	TDR Kotri	01488-235231		63775-03723
14	Sh. Basant Kumar Pandey	TDR Mandalgarh	01489-230019		94138-57241
15	Shri Lalit Kumar Didwaniya	TDR Bijoliya	01489-236248		97992-66464
16	Sh. Mahipal Kalal	TDR. (SR I)	01482-232621		75684-69985
17	Smt. Niraj Rawat	TDR UIT			98281-13090
18	Sh. Dinesh Kumar Sahu	TDR Bhilwara	01482-232614	95303 20208	99828-37129

8.2 कोविड-19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम जिले में उपलब्ध संसाधनों का विवरण						
क्र. सं.	संसाधन का प्रकार	नाम फर्म	स्थान	दूरभाष	मोबाईल नंबर	वि. वि.
1	आक्सीजन सिलेण्डर प्लान्ट	मैसर्स सांवरिया गैस ऐजेन्सी	जी-1-120-130, रिको ग्रोथ सेन्टर, स्वरूपगंज हमीरगढ़, भीलवाड़ा	—	95292-18686	ऑक्सीजन गैस जनेरेशन / रिफिल प्लांट
2	मास्क निर्माण फेक्ट्री	मैसर्स रोडास इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	इन्डस्ट्रीयल एरिया, पुर रोड़, भीलवाड़ा	01482-260152 01482-645152	97729-01242	मास्क निर्माण फेक्ट्री
3	मास्क निर्माण फेक्ट्री	मैसर्स केल्विनटेक्स वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड	चित्तोड़ रोड़, मंडपिया, भीलवाड़ा	—	—	मास्क निर्माण फेक्ट्री
4	मास्क निर्माण फेक्ट्री	मैसर्स समकित टेक्सटाइल	जी-81, रिको ग्रोथ सेन्टर, हमीरगढ़, भीलवाड़ा	—	—	मास्क निर्माण फेक्ट्री
5	मेडिकल उपकरण / दवाई विक्रेता	मैसर्स गेलेक्सी मार्केटिंग	भीलवाड़ा	—	94141-14909	मेडिकल उपकरण / दवाई विक्रेता
6	मेडिकल उपकरण / दवाई विक्रेता	मैसर्स तिरुपति मेडिकोज	भीलवाड़ा	—	96940-81723	मेडिकल उपकरण / दवाई विक्रेता
7	मेडिकल उपकरण / दवाई विक्रेता	मैसर्स उमा मेडिकल	भीलवाड़ा	—	99289-12959	मेडिकल उपकरण / दवाई विक्रेता
8	मेडिकल उपकरण / दवाई विक्रेता	मैसर्स बालाजी इन्टरप्राईजेज	भीलवाड़ा	—	96940-81723	मेडिकल उपकरण / दवाई विक्रेता

8.3 +++ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा (राज.) +++						
क्र. सं.	संस्था का नाम	कार्यरत अधिकारी का नाम	पदनाम	फोन नम्बर		
				कोड	ऑफिस	दूरभाष नंबर
1	कार्यालय मु.चि.एवं स्वा. अ. भीलवाड़ा	डॉ. चेतेंद्र पुरी गोस्वामी	मु.चि.एवं. स्वा.अ.	1482	232643	9982607181
2	कार्यालय अति. मु.चि.एवं स्वा.अ.प.क. भीलवाड़ा	डॉ. रामकेश गुर्जर	अति. मु. चि.एवं स्वा.अ.प. क.	1482	232645	9462670813
3	जिला आर.सी.एच. अधिकारी भीलवाड़ा	डॉ. संजीव कुमार शर्मा	जिला आर.सी. एच. अधिकारी	1482	232646	9983000213
4	उप.मु.चि.एवं स्वा.अ. (स्वा.) भीलवाड़ा	डॉ. प्रवीण कुमार झरवाल	उप मुख्य चि. एवं स्वा. अ.(स्वा.)	1482	232643	9414061119
5	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुवाणा	डॉ. अंकित शर्मा, चि.अ. अतिरिक्त कार्यभार	बी.सी.एम. ओ.	1482	297097	9166108832
6	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, माण्डल	डॉ. मनोज कुमार अतिरिक्त कार्यभार	बी.सी.एम. ओ.	1486	266030	8239621310
7	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, माण्डलगढ़	डॉ. गोपाल लाल यादव अतिरिक्त कार्यभार	बी.सी.एम. ओ.	1489	230456	9414576960
8	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहाड़ा	डॉ. विपिन शर्मा अतिरिक्त कार्यभार	बी.सी.एम. ओ.	1481	220592	9460356904
9	ब्लॉक मु.चि.अ.रायपुर	डॉ. भवानी सिंह अतिरिक्त कार्यभार	बी.सी.एम. ओ.	1481	230036	7976969998
10	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गुलाबपुरा	डॉ. सोरभ कुमार गुप्ता अतिरिक्त कार्यभार	बी.सी.एम. ओ.	1483	224277	8741970391
11	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आसीन्द	डॉ. प्रीतम चन्द गुप्ता, अतिरिक्त कार्यभार	बी.सी.एम. ओ.	1480	221319	9782626384
12	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, करेड़ा	डॉ. मनोज कुमार अतिरिक्त कार्यभार	बी.सी.एम. ओ.	1486	—	8239621310
13	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा	डॉ० बनवारी लाल	बी.सी.एम.			8058497608

	अधिकारी, बनेडा	अतिरिक्त कार्यभार	ओ.			
14	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, शाहपुरा	डॉ० एस एन शर्मा अतिरिक्त कार्यभार	बी.सी.एम. ओ.			9799355946
15	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जहाजपुर	डॉ० अशोक जाट अतिरिक्त कार्यभार	बी.सी.एम. ओ.			8949818296
16	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कोटडी	डॉ० भागीरथ मीणा अतिरिक्त कार्यभार	बी.सी.एम. ओ.			9001528770
17	ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजौलिया	डॉ० गोपाल लाल यादव अतिरिक्त कार्यभार	बी.सी.एम. ओ.			9414576960
18	उप जिला चिकित्सालय, माण्डल	डॉ. सुरेश कुमार गजराज	क.वि. मेडिसन	1486	266951	9460841053
19	सा.स्वा.केन्द्र हमीरगढ़	डॉ. संजय कनवाडीया	चि.अ.	1482	286443	8941075095
20	सा.स्वा. केन्द्र, सुवाणा	डॉ. अंकित शर्मा, चि.अ. अतिरिक्त कार्यभार	चि.अ.	1482	329987	9166108832
21	सा.स्वा. केन्द्र, ज्ञानगढ़	डॉ. विनोद चौधरी	चि.अ.	—	—	9782459197
22	सा.स्वा. केन्द्र, करेडा	डॉ. दिनेश कुमार बुनकर	चि.अ.	1486	262268	9660604848
23	सा.स्वा. केन्द्र, बागौर	डॉ. रामनारायण तिवाडी अतिरिक्त कार्यभार	चि.अ. यूटीबी	1486	265092	8209016198
24	सा.स्वा.केन्द्र, माण्डलगढ़	डॉ. गोपाल लाल यादव	चि.अ.	1489	230040	9414576960
25	सा.स्वा.केन्द्र भगवानपुरा	डॉ. मुस्लिम मुजाहिद हुरैराह फानी	चि.अ.	—	—	9414645670
26	सा.स्वा.केन्द्र, बिजौलिया	डॉ. अंसार खान	चि.अ.	1489	236065	9828498753
27	सा.स्वा.केन्द्र, मोखुन्दा	डॉ. महेन्द्र शर्मा	चि.अ.	1481	239316	8896400438
28	सा.स्वा.केन्द्र, बीगोद	डॉ. श्रीराम वर्मा	चि.अ.	1489	232252	9664477185
29	सा.स्वा.केन्द्र, अन्टाली	डॉ. रामावतार देगड़ा	चि.अ.	1480	236960	9116777582
30	सा.स्वा.केन्द्र, गंगापुर	डॉ. श्याम स्वरूप शर्मा	व.चि.अ.	1481	220550	8005794987
31	सा.स्वा.केन्द्र, कोशीथल	डॉ. हेमेन्द्र सिंह राव	चि.अ.	1481	223100	9413704376
32	सा.स्वा.केन्द्र, सहाडा	डॉ. बबीता जोया	चि.अ.	1481	220450	8003539465
33	सा.स्वा.केन्द्र, पोटलां	डॉ. हर्षित	चि.अ.	1481	224217	7597789927

		लक्षकार				
34	सा.स्वा.केन्द्र, रायपुर	डॉ. भवानी सिंह	चि.अ.	1481	230035	7276969998
35	सा.स्वा.केन्द्र, गुलाबपुरा	डॉ. विजय सिंह राठौड़	चि.अ.	1483	223099	9414371580
36	सा.स्वा.केन्द्र, आसीन्द	डॉ. भंवर लाल शर्मा	उप निदे.	1480	220878	9549366667
37	प्रा.स्वा. केन्द्र, गूरलां	रिक्त	चि.अ.	1482	—	
38	प्रा.स्वा. केन्द्र, स्वरूपगंज	रिक्त	चि.अ.	1482	222113	
39	प्रा.स्वा. केन्द्र, मंगरोप	डॉ. दिव्या जीनगर	चि.अ.	1482	—	9462700422
40	प्रा.स्वा.केन्द्र कारोई	रिक्त	चि.अ.	—	—	
41	प्रा.स्वा.केन्द्र आमलीगढ़ पाछली	डॉ. मधु कुमारी	चि.अ.	—	—	9119346874
42	प्रा.स्वा.केन्द्र भोपालगढ़/गाडरमाला	रिक्त	चि.अ.	—	—	
43	प्रा.स्वा.केन्द्र आटूण	डॉ. शालिनि खटीक	चि.अ.	—	—	7073768459
44	प्रा.स्वा.केन्द्र बडा महुंआ	रिक्त	चि.अ.	—	—	
45	प्रा.स्वा.केन्द्र खेराबाद	रिक्त	चि.अ.	—	—	
46	प्रा.स्वा.केन्द्र बरडोद	डॉ. अंकित शर्मा	चि.अ.	—	—	9166108832
47	प्रा.स्वा. केन्द्र, बेमाली	डॉ. मालू राम जांखड	चि.अ.	—	—	8209215263
48	प्रा.स्वा. केन्द्र, चान्दरास	डॉ. श्रीराम सेनी	चि.अ.	—	—	8278617175
49	प्रा.स्वा. केन्द्र, निम्बा. जाटान	डॉ. धर्मराज जाट	चि.अ.	—	—	9664018347
50	प्रा.स्वा.केन्द्र चिताम्बा	डॉ. श्री किशन यादव	चि.अ.	—	—	9521367353
51	प्रा.स्वा.केन्द्र लुहारिया	डॉ. रामनारायण तिवाडी	चि.अ. यूटीबी	—	—	8209016198
52	प्रा.स्वा.केन्द्र रामपुरिया (नारेली)	डॉ. सीताराम जाट	चि.अ.	—	—	7725968464
53	प्रा.स्वा. केन्द्र रूपाहेली खुर्द	रिक्त	चि.अ.	1487	291303	
54	सा.स्वा. केन्द्र महुआ	डॉ. अविनाश लाखिवाल	चि.अ.	1489	234460	9261152860
55	प्रा.स्वा.केन्द्र, सिंगोली	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद भूखरिया	चि.अ.	1489	235105	8118824713

56	प्रा.स्वा.केन्द्र, बरुन्दनी	डॉ. देवेन्द्र सिंह	चि.अ.	1489	235460	7062259331
57	प्रा.स्वा.केन्द्र, लाडपुरा	डॉ. राहुल चौधरी	चि.अ.	1489	235615	9660699481
58	प्रा.स्वा.केन्द्र, सलावटिया	डॉ. नरेन्द्र कुमार पारेता	चि.अ.	1489	238760	9680803507
59	प्रा.स्वा.केन्द्र, श्यामपुरा	डॉ. रितेश चौधरी	चि.अ.	1489	238516	8005572901
60	प्रा.स्वा.केन्द्र कास्या	डॉ. बुद्धी प्रकाश मीणा	चि.अ.	—	—	8905043086
61	प्रा.स्वा.केन्द्र मानपुरा	डॉ. विष्णु कुमार मीणा	चि.अ.	—	—	7877061146
62	प्रा.स्वा.केन्द्र धामनिया	डॉ. यासमिन रहमानी	चि.अ.	—	—	7073399456
63	प्रा.स्वा.केन्द्र, सवाईपुर	डॉ. दिव्या गुर्जर	चि.अ.	1488	232590	9660037317
64	प्रा.स्वा.केन्द्र, सुठेपा	डॉ. अजय कुमार काटवा	चि.अ.	1488	290091	9414636925
65	प्रा.स्वा.केन्द्र, आमां	डॉ. योगेन्द्र कुमार नागर	चि.अ.	1488	—	8529566631
66	प्रा.स्वा.केन्द्र, बड़लियास	डॉ. ललित कुमार	चि.अ.	1488	234746	9667508040
67	प्रा.स्वा.केन्द्र, आकोला	डॉ. राजवीर कंजर	चि.अ.	1488	—	8769658711
68	प्रा.स्वा.केन्द्र लाखोला	रिक्त	चि.अ.	1481	220879	
69	प्रा.स्वा.केन्द्र, आमली	रिक्त	चि.अ.	1481	—	
70	प्रा.स्वा.केन्द्र, महेन्द्रगढ	रिक्त	चि.अ.	1481	225143	
71	प्रा.स्वा.केन्द्र खांखला	डॉ. कृष्ण गोपाल चौधरी	चि.अ.	—	—	7665886611
72	प्रा.स्वा.केन्द्र भूणास	डॉ. चन्दन सिंह राठौड	चि.अ.	—	—	9873404185
73	प्रा.स्वा.केन्द्र सोनियाणा	डॉ. रोहन सोमाणी	चि.अ.	—	—	8769079277
74	प्रा.स्वा.केन्द्र, कोट	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सैनी	चि.अ.	1481	291212	8239408686
75	प्रा.स्वा.केन्द्र, झडोल	डॉ. मुकेश गढवाल	चि.अ.	1481	229318	8005650775
76	प्रा.स्वा.केन्द्र, आशाहोली	डॉ. राही गुप्ता	चि.अ.	1481	228330	9782760239
77	प्रा.स्वा.केन्द्र देवरिया	डॉ. आदित्य नारायण दाधीच	चि.अ.	—	—	9900000004
78	प्रा.स्वा.केन्द्र, हुरडा	डॉ. बुधराज रायका	चि.अ.	1483	224799	7727083877
79	प्रा.स्वा.केन्द्र, आगुचा	डॉ. राकेश सिंह बडवा	चि.अ.	1483	225654	9694565307
80	प्रा.स्वा.केन्द्र, रूपाहेली	डॉ. हिम्मत सिंह	चि.अ.	1483	228828	8209031976

	कलां					
81	प्रा.स्वा.केन्द्र, कंवलियास	डॉ. राकेश कुमार चलवारिया	चि.अ.	1483	290506	8118874665
82	प्रा.स्वा.केन्द्र सरेंरी	डॉ. सोरभ कुमार गुप्ता	चि.अ.	—	—	8741970391
83	प्रा.स्वा.केन्द्र, दौलतगढ	डॉ. अक्षय दिक्षीत	चि.अ.	1480	227328	7062457271
84	प्रा.स्वा.केन्द्र, बी.के.सरेंरी	डॉ. कानाराम यादव	चि.अ.	1480	228919	9571416879
85	प्रा.स्वा.केन्द्र, शम्भुगढ	डॉ. भुपेन्द्र यादव	चि.अ.	1480	223845	7297828828
86	प्रा.स्वा.केन्द्र, कालियास	डॉ. सत्यनारायण मीणा	चि.अ.	1480	228192	9667730309
87	प्रा.स्वा.केन्द्र, मोटरास	रिक्त	चि.अ.	—	—	
88	प्रा.स्वा.केन्द्र, दांथल	डॉ. वैभव पवार	चि.अ.	—	—	9782882804 7597131488
89	प्रा.स्वा.केन्द्र, भादू	डॉ. आयुष तिवारी	चि.अ. यूटीबी	—	—	8005505100
90	प्रा.स्वा.केन्द्र, उमरी	डॉ. सुरज सिंह भाटी	चि.अ. यूटीबी	—	—	9352202747
91	प्रा.स्वा.केन्द्र, मोड का निम्बाहेड़ा	डॉ. जलज शर्मा	चि.अ.	—	—	9643844685
92	प्रा.स्वा.केन्द्र, कान्या	डॉ. प्रियका चौधरी	चि.अ. यूटीबी	—	—	7073216553
93	प्रा.स्वा.केन्द्र, नाथडियास	रिक्त	चि.अ.	—	—	

8.4 District Bhilwara Ambulance Contact Details 108

Sr. No.	District name	Name of Constituency (Vidhan Sabha Area)	Name of Block	Reg. no. of amb.	ALS /BLS/Bike	Base Location
1	Bhilwara	Mandalgarh	Kotdi	RJ14PG3960	BLS	PHC Aama
2	Bhilwara	Shahpura	Shahpura	RJ14PE8038	BLS	District Hospital Shahpura
3	Bhilwara	Shahpura	Shahpura	RJ14PE7681	ALS	District Hospital Shahpura
4	Bhilwara	Shahpura	Baneda	RJ14PF6313	BLS	CHC Baneda
5	Bhilwara	Shahpura	Baneda	RJ14PF5779	BLS	PHC Rayala
6	Bhilwara	Shahpura	Baneda	RJ14KP7601	bike	PHC Rayala
7	Bhilwara	Asind	Asind	RJ14PE7555	BLS	CHC ASIND
8	Bhilwara	Asind	Gulabpura	RJ14PG5450	BLS	CHC Gulabpura
9	Bhilwara	Asind	Gulabpura	RJ14PE7722	ALS	CHC Gulabpura

10	Bhilwara	Asind	Gulabpura	RJ14KP7604	bike	CHC Gulabpura
11	Byawar	Asind	Badnor	RJ14PE8041	BLS	CHC Badnor
12	Bhilwara	Bhilwara	Bhilwara	RJ14PD7015	BLS	Pratapnagar, Bhilwara
13	Bhilwara	Bhilwara	Bhilwara	RJ14PD7017	BLS	Subhash Nagar Mahatma Gandhi District Hospital Bhilwara
14	Bhilwara	Bhilwara	Bhilwara	RJ14PD7108	ALS	Mahatma Gandhi District Hospital Bhilwara
15	Bhilwara	Jahazpur	Jahazpur	RJ14PF6314	BLS	SDH Jahazpur
16	Bhilwara	Jahazpur	Jahazpur	RJ14PF5794	BLS	CHC Pander
17	Bhilwara	Jahazpur	Kotdi	RJ14PF5778	BLS	CHC Kotdi
18	Bhilwara	Jahazpur	Kotdi	RJ14PF6316	BLS	PHC Sawaipur
19	Bhilwara	Mandal	Kareda	RJ14PF5800	BLS	CHC Kareda
20	Bhilwara	Mandal	Mandal	RJ14PC7551	BLS	CHC Bhagwanpura
21	Bhilwara	Mandal	Mandal	RJ14PE8040	BLS	SDH Mandal
22	Bhilwara	Mandalgarh	Mandalgarh	RJ14PD0003	BLS	CHC Kachola
23	Bhilwara	Mandalgarh	Bijoliya	RJ06PA6769	BLS	SDH Bijoliya
24	Bhilwara	Mandalgarh	Mandalgarh	RJ14PE8039	BLS	SDH Mandalgarh
25	Bhilwara	Sahada	Raipur	RJ14PF6317	BLS	PHC Ashaholi
26	Bhilwara	Sahada	Raipur	RJ14PF5780	BLS	CHC Raipur
27	Bhilwara	Sahada	Sahada	RJ14PF5809	BLS	CHC Sahada
28	Bhilwara	Sahada	Sahada	RJ14PF6312	BLS	SH Gangapur
29	Bhilwara	Sahada	Sahada	RJ14PE7623	ALS	SH Gangapur
30	Bhilwara	Sahada	suwana	RJ14PD0375	BLS	PHC Karoi
31	Bhilwara	Sahada	suwana	RJ14PF6592	BLS	SDH Hammirgarh
	Bhilwara	Shahpura	Shahpura	RJ14PF5781	BLS	CHC Phuliankala

104					
1	Bhilwara	Shahpura	Shahpura	RJ14PF6785	PHC Kotiya

2	Bhilwara	Shahpura	Baneda	RJ14PF6689	PHC Dabla
3	Bhilwara	Jahazpur	Jahazpur	RJ14PF6774	SDH Jahazpur
4	Bhilwara	Mandalgarh	Mandalgarh	RJ14PE6660	CHC Kachola
5	Bhilwara	Jahazpur	Kotdi	RJ14PF7442	CHC Paroli
6	Bhilwara	Asind	Asind	RJ14PF6783	PHC Shambhugarh
7	Bhilwara	Asind	Asind	RJ14PF6789	CHC Asind
8	Bhilwara	Mandalgarh	Bijoliya	RJ14PF6781	PHC Salavatiya
9	Bhilwara	Asind	Gulabpura	RJ14PE6536	PHC Hurda
10	Bhilwara	Shahpura	baneda	Rj14PF6735	PHC Rupahelikhurd
11	Bhilwara	Mandal	Mandal	RJ06PA3528	CHC Bagaur
12	Bhilwara	Mandal	Mandal	RJ14PF6780	SDH Mandal
13	Bhilwara	Mandalgarh	Kotdi	RJ14PF7433	PHC Badaliyas
14	Bhilwara	Mandalgarh	Mandalgarh	RJ14PF6742	CHC Mahua
15	Bhilwara	Mandalgarh	Mandalgarh	RJ06PA5215	PHC Singoli
16	Bhilwara	Mandalgarh	Kotdi	RJ14PE6662	PHC Aama
17	Bhilwara	Sahada	Raipur	RJ06PA7603	CHC Mokhunda
18	Bhilwara	Sahada	Sahada	RJ14PF7544	CHC Koshithal
19	Bhilwara	Sahada	Sahada	RJ14PF7398	PHC Mahendragarh
20	Bhilwara	Sahada	suwana	RJ14PF7401	PHC Gurla
21	Bhilwara	Shahpura	Shahpura	RJ14PF6785	PHC Kotiya
22	Bhilwara	Shahpura	Baneda	RJ14PF6689	PHC Dabla
23	Bhilwara	Jahazpur	Jahazpur	RJ14PF6774	SDH Jahazpur

भीलवाडा शहर के निजी हॉस्पिटलों की सूची मय मोबाइल नंबर

S.No.	Centre Name	Contact Person	Centre Address	E mail	Mob. No.
1	Akshat Hospital	Dr.Atul Soni	Somila Tower Azad Nagar Choraha Near Hanuman Mandir Bhilwara	atulsoni2111@gmail.com	9928729323
2	Aravali Pathlabs, Bhilwara	Dr. Anand Gupta	Seva Sadan Road, Bhilwara	apl_bhl@aravalihospital.in	9829044155
3	Arihant Hospital & Research Sansthan	U. S. Sethi	Arihant Marg, Shastri Nagar Bhilwara(Rajasthan)-311001	ahrs.bhl@gmail.com	9887644776
4	Atishya Heart & Super Speciality Hospital, Bhilwara	Dr. Anurag Jain	Surana Sadan Opp. Ramsnehi Hospital, Nehru Road, Bhilwara	dmanuragjain@gmail.com	9829157069
5	Bhardwaj Ultrasound & Imaging Centre	Dr. Meghaj Bhardwaj	Sitaram Ji Ki Bawri Ke Pass Bhilwara	meghajb@gmail.com	9414447777
6	Bhilwara Clinical Laboratory	Dr.B.M.Bhardwaj	32 Ashok Nagar In Front Of Hari Sheva Dham Bhilwara(Rajasthan)-311001	BHARDWAJBM@GMAIL.COM	9414112008
7	Bohra Clinic		Hospital Road Bhilwara		9413864427
8	Devasthali Hospital	Dr.Preeti Devasthali	592,A Vijay Singh Pathik Nagar Bhilwara (Raj.) 311001	preetidevasthali69@gmail.com	9587662240
9	Dr Arvind Bansal		Qtr. No. 2 Soni Hospital New Housing Board Shastri Nager Bhilwara		7410000000
10	Dr Garg Imaging Centre	Dr.Mahesh Kumar Garg	356, Lower Ground Floor, Gambhir Hospital, Sita Ram Ji Ki Bawri Ke Paas, Bhilwara	drgargbhl2010@gmail.com	9314569900
11	Dr. Bandna Usg Center	Dr. Bandana	A-532, Pathik Nagar, Sanganer Road, Bhilwara (Raj.)	drbansalvandana@gmail.com	9828269972
12	Dr. Bhopal Singh Dangi		251/A, R.K. Colony, Bhilwara		7861230000
13	Dr. Dhakar Sonography & Imaging Center	Dr. Gopal Dhakar	8-B-11/1, R.C. Vyas Colony, Back Side Gupta Hospital, Majdoor Choraha, Love Gardan Road, Bhilwara	gld444@gmail.com	9414617506
14	Dr. Nidhi's Imaging & Diagnostic Centre	Dr. Nidhi Bolia Choudhary	Doctor's House, Seva Sadan Road, Bhilwara, Rajasthan 311001	nidhibc@yahoo.co.in	9829935399
15	Esi Hospital	Esi Hospital	Esi Hospital Bapu	ms-bhilwara.rj@esic.in	9414574384

	Bapu Nagar Bhilwara	Bapu Nagar Bhilwara	Nagar Bhilwara		
16	Ganapati Sonography Centre	Dr. Jaywant R. Akolkar	318-A Vijay Singh Pathik Nagar Bhilwara, Rajasthan	jaywantakolkar@gmail.com	9829467275
17	Gargi Hospital And Fertility Research Center	Dr. Arun Chauhan	Gargi Diagnostic Center Manakiya Nagar Road Bhilwara	arunchauhan0123@gmail.com	9460354072
18	Gupta Hospital & Fertility Centre	Dr. Anita Gupta	7,38 Old R.T.O. Road Gandhi Nagar Bhilwara	gupta.hospital43@yahoo.com	9829156701
19	Ishita Ultrasound & Imaging Centre Bhilwara	Dr. Pinki Sharma	A-252, R.K. Colony Bhilwara	dr.pinki.rd@gmail.com	9414971626
20	Jain Clinic		5-C-1, Shahtri Nager, Bhilwara		9414112078
21	Kabra Sonography Centre	Dr.Sangeeta Kabra	Kabra Sonography Centre Kabra Hospital R.K.Colony Bhilwara (Raj)	medihub.hr@gmail.com	9414115700
22	Kabra Hospital (A Unit Of Jeevan Jyoti Seva Sociaty)	Dr. K.C. Kabra	Sector 8 R. C. Vyas Colony Bhilwara	medihub.hr@gmail.com	9414115700
23	Kabra Sonography Centre	Dr. Sangeeta Kabra	Room No. 101, 1St Floor Krishna Hospital Dewriya Balaji Road Bhilwara Rajasthan	krishnahospital100@gmail.com	9414115700
24	Kiran Hospital		8-R-4-5, Love Garden Choraha Bhilwara		7861234567
25	Kp Diagnostics	Dr Naresh Porwal	8 F 6, Near Rajeev Gandhi Auditorium, R.C. Vyas Colony, Bhilwara - 311001	kpdiag16@gmail.com	9829047350
26	Krishna Hospital	Dr.K.C.Kabra	Krishna Hospital, 4 Doctors House, Seva Sadan Road , Bhilwara	krishnahospital100@gmail.com	9414115700
27	Krishna Hospital	Dr. K.C. Kabra	Dvriya Balaji Road Bhilwara	krishnahospital100@gmail.com	9414115700
28	Krishna Hospital (Mobile Unit)		Devriya Bajaji Road Near Pvt. Bus Stand Bhilwara		9414115700
29	M/S Ramsnehi Chikitsalaya Sonography Kendra	Purushottam Gagrani, Chief Administrator, Ramsnehi Chikitsalaya, Bhilwara (Raj.)	M/S Ramsnehi Chikitsalaya Sonography Kendra, Swami Ramcharan Marg, Ramdwara, Bhilwara (Raj.)	ramsnehi11@gmail.com	9461530806
30	Mahatma Gandhi Hospital		Bhilwara	mghbhl.pmo@gmail.com	9482232641
31	Mahatma Gandhi		Bhilwara	mghbhl_pmo@gmail.com	9100000000

	Hospital				
32	Mahatma Gandhi Hospital Bhilwara	Prinicipal Medical Officer	Mahatma Gandhi Hospital Bhilwara	mghbhlpmo@gmail.com	9829067647
33	Mahesh Health Care Centre	Dr Pragya Somani	Mesh Health Care Centre, Community Hall Chouraha, Vijay Singh Pathik Nagar Bhilwara	drsomanideepak@rediffmail.com	9828089133
34	Medical Mobile Unit, Bhilwara		Cm&Ho Office, Bhilwara	pcpndt.bhilwara@gmail.com	9982556991
35	Porwal Hospital Pvt. Ltd.	Dr. Naresh Porwal	Prwal Hospital Pvt. Ltd. Love Garden Road R.C. Vyas Colony Bhilwara	bakliwalravi@gamil.com	9829047350
36	Prakash Clinic Bhilwara	Dr Avdhesh Mathur	Mankiya Nagar Road Near. M.G. Hospital Bhilwara Rajasthan	avdheshmathur1945@gmail.com	9829047622
37	Queen's Hospital	Dr Kumud Mehta	¶ L 15-16 R. C. Vyas Colony, Bhilwara, Rajasthan-311001	premsumitra@yahoo.com	9468656597
38	Ramsnehi Chikitsalaya Awam Anusandhan Kendra	Purshottam Gagrani, Chief Administrator, Ramsnehi Chikitsalaya Awam Anusandhan Kendra, Bhilwara (Raj.)	Ramsnehi Chikitsalaya Awam Anusandhan Kendra, Swami Ramcharan Marg, Bhilwara (Raj.)	ramsnehi11@gmail.com	9461530806
39	Ramsnehi Chikitsalaya Awam Anusandhan Kendra	Purshottam Gagrani, Chief Administrator, Ramsnehi Chikitsalaya Awam Anusandhan Kendra, Bhilwara (Raj.)	Ramsnehi Chikitsalaya & Anusandhan Kendra, Sonography Machine-Dwitiya Swami Ramcharan Marg, Ramdwara Road, Bhilwara	ramsnehi11@gmail.com	9461530806
40	Rathi Clinic		Seva Sadan Road Bhilwara		7681200000
41	Rathi Clinic Seva Sadan Road Bhilwara	Dr Ram Pal Rathi	Seva Sadan Road Bhilwara	ashishsaraswatk2k@gmail.com	9414112385
42	Sagar Diagnostic & Imaging Centre		Shop No. 1 Sita Ram Ji Ki Bawadi, Bhilwara		9414662100
43	Sh Ambesh Jain Hospital		Near Compunity Hall Ajad Nager Bhilwara		8641230000
44	Shree Siddhi Vinayak Hospital	Dr. Rekha Sharma	11-E,17-18, Tilak Nagar , Bhilwara	SSVHOSPITAL@GMAIL.COM	9414302723
45	Smt. Keshar Bai Soni Hospital	Vinod Kumar Sodani	Soni Hospital Road, Shastri Nagar, Bhilwara	shyambirla@sonihospital.com	9950995573

46	Smt.Vidhya Devi Sharma Charitable Trust	Smt.Vidhya Devi Sharma Charitable Trust	Sarma Hospital, Kumharo Ka Mohalla, Manikya Nagar, Bhilwara, Rajasthan	drssharma46@gmail.com	9414022446
47	Subhash Ultrasound Imaging Centre	Prateeksha Tolambia	Subhash Ultrasound Imaging Centre Sitaram Ji Ki Bawari Dwarkadish Temple Lane, Bhilwara	dr.subhashtailor@gmail.com	9001301144
48	Veterinary Poly Clinic, Bhilwara		Sindhu Nagar, Nagori Garden, Bhilwara		9829930791
49	Well Cure Path Lab & Diagnostic Center	Mohit Jethaliya	Toshniwal Bhawan, Sewa Sadan Road, House No.1, Ward No.20, Bhilwara. Pin-311001	well_cure@yahoo.com	9413317616
50	Wellness Path Lab & Diagnostics	Simple Lathi	9-A-32,33 R.C. Vyas Colony Bhilwara (Raj.)	drmohit9192@gmail.com	7597859493

8.6 आपदा की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों से निकालने हेतु खोज एवं बचाव उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है जिनकी सूची तहसीलवार निम्नानुसार है—

 जिला कार्यालय नियन्त्रण कक्ष (दूरभाष सम्पर्क 01482-232671) 		
क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा
1	Drone (UAV-Unmanned Aerial Vehicle)	01
2	Industrial Safety Belt & Harnesses	04
3	Poly Carbonate Lathi	250
4	Fire Breathing Apparatus	01
5	Dragon Light	60
6	Inflatable Rescue Boat with OBM	2
7	Search & Rescue Camera	1
8	Thermal Imaging Camera	1
9	Carabiner	5
10	BOB Rope	4000 Mtrs.
11	Gas Cutter	1
12	Hand Gloves	50
13	Gum Boot	25
14	Helmet with Torch	32
15	Multi Gas Detector	1
16	Gas Mask	3
17	Full Body Harness	4
18	Descender	2
19	Jumer/Ascender	2
20	Auto Locking Device	1
21	Mittens	4
22	Rappelling & Climbing Rope	1000 Mtrs.
23	Manila Rope	4000 Mtrs.
24	Twin Pulley	5
25	Single Pulley	3
26	Padded Seat Harness	4
27	Safety Goggles	100
28	Caramental Rope	2000 Mtrs.
29	Fiber Spine Board Full with Velcro	2
30	Half Fiber Spine Board with Velcro	1
31	Chemical Suit	2
32	Chemical Gloves	4
33	Chemical Masks	2

34	Smoke Blower/Exhauster	1
35	Fire Extinguishers various type	50
36	Pocket Mask (CPR)	5
37	Body Bag	5
38	Padded Board Splint Wooden Short/Medium/Large	2
39	Mannequin Face Shield Packets	1
40	Flexible Splints Large/Med/Small	1
41	Pneumatic Splints Set	1
42	Emergency Rescue Stretcher	1
43	Bandage Triangular	5
44	बलाई (पानी से वस्तु निकालने का हुक)	01
45	लाइफ जैकेट	1
46	इमरजेन्सी लाइट	1 (खराब)
47	फेस मास्क	1
48	फावड़ा	1
49	गेती	1
50	सीढ़ी	1
51	कम्बल	1
52	चैन पुली	3
53	सेफटी हेलमेट	1
54	लाईफ बॉय (ट्यूब)	1
55	गम बूट	1 जोड़ा
56	हेन्ड ग्लफस	1 जोड़ा
57	चैन (3 मीटर हेवी मय ताला)	1
58	मेगा फोन	1
59	टेन्ट	1
60	ड्रेगन लाईट	1
61	फुलबॉडी हारनेस	1
62	स्ट्रेचर फोल्डिंग	1
63	स्ट्रेचर बोर्ड	1
64	कारबीनर	1
65	रस्सी (12एमएम 50मीटर)	1
66	रस्सी (14एमएम 60मीटर)	1
67	हथोडा	1

तहसील-रायपुर (दूरभाष सम्पर्क 01481-230230)		
क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा
1	लाइफ जैकेट	2
2	इमरजेन्सी लाइट	2
3	फेस मास्क	2
4	फावड़ा	2
5	गेती	1
6	स्ट्रेचर	3
7	कम्बल	3
8	फस्ट एड बॉक्स	3
9	सेफटी हेलमेट	5
10	रबर ट्यूब	1
11	गम बूट	1 जोड़ा
12	हेन्ड ग्लफस	5 जोड़ा
तहसील-शाहपुरा (दूरभाष सम्पर्क 01484-222239)		
क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा
1	लाइफ जैकेट	2
2	टॉर्च	2
3	रस्सा	5
4	फावड़ा	10
5	गेती	5
6	नाव	4
7	ट्रैक्टर	2
8	सेफटी हेलमेट	2
9	रबर ट्यूब	4
तहसील- माण्डल (दूरभाष सम्पर्क 01486-266624)		
क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा
1	खाली सीमेन्ट के कट्टे	3000 नग
2	गेंती	10
3	फावड़ा	04
4	तगारी	13

5	टॉर्च	01
6	सुआ	02
7	रस्सी	200 फीट
8	सूतली	01 किलो
तहसील-माण्डलगढ़ (दूरभाष सम्पर्क 01489-230019)		
क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा
1	लाइफ जैकेट	2
2	इमरजेन्सी लाइट	2
3	फेस मास्क	2
4	फावड़ा	2
5	गेती	1
6	स्ट्रेचर	3
7	कम्बल	3
8	फर्स्ट एड बॉक्स	3
9	सेफटी हेलमेट	5
10	रबर ट्यूब	1
11	गम बूट	1 जोड़ा
12	हेन्ड ग्लफस	5 जोड़ा
13	रस्सी	1
14	तगारी	5
15	बेलचे	2
तहसील-बिजौलिया (दूरभाष सम्पर्क 01489-236248)		
क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा
1	लाइफ जैकेट	1
2	इमरजेन्सी लाइट	1
3	फेस मास्क	1
4	फावड़ा	1
5	स्ट्रेचर	3
6	कम्बल	3
7	फर्स्ट एड बॉक्स	3
8	सेफटी हेलमेट	5
9	हेन्ड ग्लफस	5 जोड़ा
तहसील-भीलवाडा (दूरभाष सम्पर्क 01482-232614)		
क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा

1	लाइफ जैकेट	4
2	फेस मास्क	1
3	स्ट्रेचर फोल्डिंग	1
4	स्ट्रेचर बोर्ड	1
5	कम्बल	5
6	फुलबॉडी हारनेस	1
7	सेफटी हेलमेट	5
8	हेन्ड ग्लफस	1 जोड़ा
9	रस्सी (12एमएम 50मीटर)	1
10	गमबूट	2
11	कारबीनर	1
12	मेगा फोन	1
13	हेवीचैन (3 मीटर मय ताला)	1
14	पुली	1
15	लाईफबॉय (ट्यूब)	2
16	टूल किट सेट	1

तहसील-कोटडी (दूरभाष सम्पर्क 01488-235231)

क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा
1	लाइफ जैकेट	3
2	कम्बल	1
3	सेफटी हेलमेट	4
4	गमबूट	2
5	मेगा फोन	1

तहसील-जहाजपुर (दूरभाष सम्पर्क 01485-230037)

क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा
1	लाइफ जैकेट	3
2	फेस मास्क	1
3	कम्बल	2
4	सेफटी हेलमेट	4
5	रस्सी (14एमएम 60मीटर)	1
6	गमबूट	2 जोड़ा
7	मेगा फोन	1
8	हेवीचैन (3 मीटर मय ताला)	1
9	पुली	1

10	लाईफबॉय (टयूब)	1
तहसील – हुरड़ा		
	सामग्री का नाम	मात्रा
1	लाइफ जैकेट	3
2	कम्बल	2
3	सेफटी हेलमेट	4
4	हेन्ड ग्लफस	1 जोडा
5	गमबूट	2 जोडा
6	लाईफबॉय (टयूब)	1
तहसील-आसीन्द (दूरभाष सम्पर्क 01480-220115)		
क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा
1.	लाइफ जैकेट	4
2.	कम्बल	2
3.	सेफटी हेलमेट	5
4.	हेन्ड ग्लव्स	1 जोडा
5.	रस्सी (14एमएम 60मीटर)	1
6.	गमबूट	2 जोडा
7.	लाईफबॉय (टयूब)	1
तहसील- फुलियाकलां (दूरभाष सम्पर्क 01484-225013)		
क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा
1.	लाइफ जैकेट	3
2.	सेफटी हेलमेट	4
3.	रस्सी (12एमएम 50मीटर)	1
4.	गमबूट	2
5.	लाईफबॉय (टयूब)	1

स्काउट आपदा प्रबंधन दल		
1. रा.उ.मा.वि. आकोला, कोटड़ी (CBEO कार्यालय दूरभाष नंबर- 9821396427) 2. रा.उ.मा.वि. मोखुन्दा, रायपुर (CBEO कार्यालय दूरभाष नंबर- 8118814452) 3. रा.उ.मा.वि. श्यामपुरा, माण्डलगढ़ (CBEO कार्यालय दूरभाष नंबर- 9636417352) 4. रा.उ.मा.वि. राजेन्द्रमार्ग, भीलवाड़ा (CBEO कार्यालय दूरभाष नंबर-) 5. रा.उ.मा.वि. बेमाली, माण्डल (CBEO कार्यालय दूरभाष नंबर- 9414313675) 6. रा.उ.मा.वि. गागेड़ा, हुरड़ा (CBEO कार्यालय दूरभाष नंबर- 9460816962 / 99291-64545)		
क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा
1	लाइफ जैकेट	4

2	इमरजेन्सी लाइट	10
3	टूल सेट	1
4	टॉर्च लाइट	10
5	स्ट्रेचर	4
6	सीढ़ी	2
7	कम्बल	10
8	चैन पुली (डबल)	2
9	सेफटी हेलमेट	10
10	रबर ट्यूब	10
11	गम बूट	5 जोड़ा
12	हेन्ड ग्लफ्स	5 जोड़ा
13	चैन (3 मीटर हेवी)	1
14	बाल्टी	10
15	कुल्हाड़ी	10
16	स्टील बॉक्स	2
17	चैन पुली (सिंगल)	2

नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा

क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा
1	सीमेन्ट के खाली कट्टे	1000
2	पेट्रो मेक्स	5
3	बाल्टी	5
4	फावड़ा	5
5	गेती	4
6	रस्सा	1
7	बरसाती	10
8	बांस	5

नगर परिषद, भीलवाड़ा

क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा
1	लाइफ जैकेट	40
2	ड्रेगन टॉर्च	4
3	फायर वाहन	6
4	फावड़ा	10
5	गेती	10
6	नाव	1

7	लाईट जनरेटर 5HP	2
8	रस्सा	100 फीट
9	तगारी	10
10	रबर ट्यूब	10
11	मड पम्प	7
12	सबल	2
13	लाइफ बॉय	40
14	चैन सॉ	2
नगर पालिका, जहाजपुर		
क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा
1	रबर ट्यूब	2
2	रस्से	2
3	गेती	2
4	टॉर्च लाइट	2
5	फावड़ा	2
नगर पालिका, आसीन्द		
क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा
1	ट्रेक्टर	2
2	पेट्रोमेक्स गैस	2
3	लालटेन	5
4	फावड़ा	10
5	गेती	4
6	ट्रेक्टर मय टेन्कर	1
7	रस्सा	2 बन्डल
8	तगारी	10
9	सबल	4
पंचायत समिति, आसीन्द		
क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा
1	टॉर्च	5
2	पेट्रोमेक्स गैस	9
3	फावड़ा	10
4	गेती	10
5	रस्सा	5 (प्रत्येक 50 मीटर)
6	तगारी	10
पंचायत समिति, शाहपुरा		

क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा
1	टॉर्च	2
2	खाली सीमेन्ट बैग	2000
3	फावड़ा	05
4	गेती	05
5	रस्सा	01
6	जेलिया	05
7	साबल	01
8	ट्यूब	02
9	ऑटो टिप्पर	06
10	गण (हथोड़ा)	01
पंचायत समिति, माण्डल		
क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा
1	टॉर्च	1
2	खाली सीमेन्ट कट्टे	3000
3	फावड़ा	4
4	गेती	10
5	रस्सी (200फिट)	1
6	तगारी	13
7	सुआ	1
8	सुतली	1 किलो

8.7 आपदा की स्थिति में प्रभावितों के लिये अनाज/सब्जी/फल/दालें इत्यादि खाद्य सामग्री की निर्बाध सप्लाई के लिये आवश्यक विवरण

समस्त थोक विक्रेता खाद्य सामग्री/फल/सब्जी/अन्य सामान की सूची				
क्र. सं.	नाम थोक विक्रेता	दूरभाष नंबर	स्थायी पता	सामग्री का नाम
1	मै. नेशनल फूट कम्पनी	9413355567	मुख्य मण्डी	फल
2	मै. देवचंद भैरूलाल	9829168506	मुख्य मण्डी	फल
3	मै. भगवानदास ताराचंद	9460966697	मुख्य मण्डी	फल
4	मै. हर्ष एण्ड कम्पनी	9414111562	मुख्य मण्डी	फल
5	मै. नथरानी ब्रदर्स	9414111770	मुख्य मण्डी	फल
6	मै. संजीवकुमार कैशवदास	9829049303	मुख्य मण्डी	फल
7	मै. शमशुद्दीन ब्रदर्स	9251567667	मुख्य मण्डी	फल
8	मै. साई फूट कम्पनी	9414112626	मुख्य मण्डी	फल
9	मै. वैष्णो फूट्स	9413864074	मुख्य मण्डी	फल
10	मै. वासुदेव एण्ड संस	8696611800	मुख्य मण्डी	फल
11	मै. गोपाललाल लादुलाल	9829045099	मुख्य मण्डी	सब्जी
12	मै. हेमन्तदास महादेवमल	9414111753	मुख्य मण्डी	सब्जी
13	मै. बागवान एण्ड संस	9829284775	मुख्य मण्डी	सब्जी
14	मै. महाकाल वेजीटेबल कम्पनी	9809030157	मुख्य मण्डी	सब्जी
15	मै. गणेश सब्जी भण्डार	9414112759	मुख्य मण्डी	सब्जी
16	मै. अजयकुमार दौलतराम	9829108300	मुख्य मण्डी	सब्जी
17	मै. मुरलीधर भगवानदास	9414111302	मुख्य मण्डी	सब्जी
18	मै. नवीन आलू भण्डार	9829020727	मुख्य मण्डी	सब्जी
19	मै. माताराणी आलू भण्डार	9950613347	मुख्य मण्डी	सब्जी
20	मै. फ्रेश फूट्स कम्पनी	9829031109	मुख्य मण्डी	सब्जी
21	मै. अशोककुमार-रामचन्द्र	01482-238757		जौ, मक्का, गेहूँ
22	मै. खेमचन्द-प्रभुलाल	9829410884		जौ, गेहूँ
23	मै. बसन्त दाल मिल	9829114725	रेल्वे स्टेशन के पास, भीलवाड़ा	दाल
24	मै. साईबाबा दाल मिल	9829031832	उद्योग विभाग के पीछे, प्रतापनगर, भीलवाड़ा	दाल
25	मै. श्री दाल मिल	9414569435	प्लॉट नं. जी-44 रिको एरिया-1 औद्योगिक क्षेत्र, भीलवाड़ा	दाल मिल
26	मै. श्याम स्पाईसेस प्रा.लि.	9462239211	एफ-61 रिको ग्रोथ सेंटर, स्वरूपगंज, भीलवाड़ा	जीरा, अजवाइन
27	मै. आर्गेनिक एग्रो फूड इन्डस्ट्रीज	9829045436	जी-53, बी रिको, बिलिया, भीलवाड़ा	जीरा, अजवाइन
28	मै. शिवम उद्योग	9414110779	कोटा रोड, सुवाणा	दाल मिल
29	मै. गोविन्दम एक्सपोर्ट्स प्रा.लि.	9414112741	108 महालक्ष्मी चैम्बर राजेन्द्रमार्ग, भीलवाड़ा	जीरा, अजवाइन
30	मै. चारभुजा दाल मिल		पुराना बस स्टेण्ड, कोटड़ी	दाल
31	मै. दीपक मिल्स	01488-234725	बड़लियास, तह. कोटड़ी	तेल
32	मै. दीपक फ्लोर एण्ड		बस स्टेण्ड, बड़लियास	तेल

	आयल मिल			
33	मै. बिड़ला आयल एण्ड दाल मिल	9414111748	बस स्टेण्ड, माण्डल	आयल मिल
34	मै. चारभुजा आयल मिल	9414112564	बस स्टेण्ड, माण्डल	आयल मिल
35	मै. नाकोडा घाणी उद्योग	9983547243	भगवानपुरा, माण्डल	आयल मिल
36	मै. वर्धमान घाणी उद्योग		भगवानपुरा, माण्डल	आयल मिल
37	मै. भैरुनाथ पलोर मिल		हरीपुरा चौराहा, माण्डल	आटा मिल
38	मै. बरदीचन्द— फतहलाल	9413980849	गोपालपुरा, माण्डल	जीरा फैक्ट्री
39	मै. झंवर ट्रेडर्स		तालाब की पाल के पास, माण्डल	जीरा फैक्ट्री
40	मै. रामपाल— सत्यनारायण	9772861693	मेजा रोड़, माण्डल	जीरा फैक्ट्री
41	मै. शांतिनाथ आयल मिल	01486—262060	बस स्टेण्ड, करेड़ा	आयल मिल
42	मै. अरिहन्त आयल मिल	01486—262037	बस स्टेण्ड, करेड़ा	आयल मिल
43	मै. पारस आयल मिल		हायर सैकण्डरी स्कूल के पीछे, दौलतगढ़, आसीन्द	आयल मिल
44	मै. लादूराम काबरा		1/17 सरकारी दरवाजा, भूपालगंज, भीलवाड़ा	गुड़—चीनी
45	मै. अशोककुमार—अनिलकुमार सोमाणी		बाजार नं. 3 भूपालगंज, भीलवाड़ा	गुड़—चीनी
46	मै. नरेश ट्रेडिंग कम्पनी		बाजार नं. 3 भूपालगंज, भीलवाड़ा	गुड़—चीनी
47	मै. वर्धमान ट्रेडर्स		सदर बाजार, भीलवाड़ा	गुड़—चीनी
48	मै. चारभुजा ट्रेडर्स		बाजार नं. 2 भीलवाड़ा	गुड़—चीनी
49	मै. सोमाणी ट्रेडिंग कम्पनी		काबरा गली में, भूपालगंज, भीलवाड़ा	गुड़—चीनी
50	मै. जम्मूल एण्ड सन्स		बाजार नं. 2 भीलवाड़ा	गुड़—चीनी
51	मै. हीरा ट्रेडर्स		बाजार नं. 2 भीलवाड़ा	गुड़—चीनी
52	मै. विमल ट्रेडिंग कम्पनी		बाजार नं. 2 भीलवाड़ा	गुड़—चीनी
53	मै. रमेशचन्द्र—जितेन्द्रकुमार		बाजार नं. 3 भीलवाड़ा	गुड़—चीनी
54	मै. रामविलास—मथुरालाल एण्ड कम्पनी		22 सदर बाजार, भीलवाड़ा	गुड़—चीनी
55	मै. लादूलाल—देवीलाल एण्ड कम्पनी		बाजार नं. 2 भीलवाड़ा	चीनी
56	मै. राणी ट्रेडिंग कम्पनी		1—एच—10 हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा	चीनी
57	मै. बी.आर. ट्रेडिंग कम्पनी		बाजार नं. 2 भीलवाड़ा (जे.आर. भण्डारी के पास)	चीनी
58	मै. श्याम ही श्याम		बाजार नं. 3 भीलवाड़ा	चीनी
59	मै. कृष्णा एण्ड कम्पनी		बाजार नं. 2 भीलवाड़ा	चीनी
60	मै. अमित कन्फैक्सनरी वर्क्स		एफ—107 रिको एरिया, बिलिया, भीलवाड़ा	चीनी
61	मै. अदिति सैल्स कॉर्पोरेशन		116—ई, इंदिरा मार्केट, होटल बंजारा के पास, भीलवाड़ा	चीनी
62	मै. कन्हैयालाल—लक्ष्मणदास		बाजार नं. 2 भूपालगंज, भीलवाड़ा	चीनी
63	मै. बजरंग पलोर मिल		एफ—172 रिको इन्डस्ट्रीयल	आटा मिल

			एरिया, 3 फेज बिलिया, भीलवाड़ा	
64	मै. शम्भूलाल-गौरवकुमार		67 इंदिरा मार्केट, शंकर स्टोर के पास, भीलवाड़ा	चीनी
65	मै. सांवलिया ट्रेडर्स		मु.पो. गाडरमाला, भीलवाड़ा	चीनी
66	मै. आशा कन्फैक्सनरी वर्क्स		मु.पो. पांसल, भीलवाड़ा	चीनी
67	मै. सोडानी फूड इन्डस्ट्रीज		जी-177 रीको 4, पुर रोड़, भीलवाड़ा	आटा मिल
68	मै. मोहनी एन्टरप्राइजेज		13 किलोमीटर स्टोन, चित्तौड़ रोड़, गुवारडी	आटा मिल
69	मै. गायत्री ट्रेडर्स		155 मुख्य शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा	चीनी
70	मै. गौरवकुमार-जयदीपकुमार सुवालका		ए-513 श्री गेस्ट हाउस वाली गली, संजय कॉलोनी, प्राईवेट बस स्टेण्ड के पीछे, भीलवाड़ा	गुड़
71	मै. गोवर्धनदास-गोविन्ददास कापड़िया		बाजार नं. 2 अनुकम्पा कोम्पलेक्स में, भूपालगंज, भीलवाड़ा	चीनी
72	मै. महालक्ष्मी गजक भण्डार		मु.पो. आरजिया, भीलवाड़ा	गुड़-चीनी
73	मै. राघव ट्रेडर्स		के-9 इंदिरा मार्केट, भीलवाड़ा	गुड़-चीनी
74	मै. बिड़ला ट्रेडर्स		लक्ष्मीनारायण मंदिर रोड़, दूध डेयरी के सामने, भीलवाड़ा	चीनी
75	मै. इलफिन एग्री इण्डिया प्रा0लि0		एफ 250-251 ग्रोथ सेंटर, हमीरगढ़, भीलवाड़ा	आटा मिल
76	मै. पावर प्लस फूड इन्डस्ट्रीज		जी-2-178 रीको इन्डस्ट्रीयल एरिया, पुर रोड़, भीलवाड़ा	आटा मिल
77	मै. संचेती फूड इन्डस्ट्रीज		जी-85 ग्रोथ सेंटर, हमीरगढ़, भीलवाड़ा	आटा मिल
78	मै. अनिल कुमार-मनोज कुमार		बाजार नं. 3 भीलवाड़ा	गुड़-चीनी
79	मै. बिड़ला एण्ड कम्पनी		दुकान नं. 66 मुख्य मण्डी यार्ड भीलवाड़ा	गुड़-चीनी
80	मै. बंशीलाल-राजेन्द्रकुमार		बाजार नं. 2 भीलवाड़ा	गुड़-चीनी
81	मै. कैलाश चन्द्र-गोपाल कृष्ण		दुकान नं. 22 मुख्य मण्डी यार्ड भीलवाड़ा	गुड़-चीनी
82	मै. माहेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी		गोकुल गेस्ट हाउस के पास, बाजार नं. 2 भीलवाड़ा	गुड़-चीनी
83	मै. सत्यनारायण-राकेश कुमार		16 अशोकनगर, भीलवाड़ा	गुड़-चीनी
84	मै. विजयसिंह-मीठालाल		राजस्थान बैंक के सामने, स्टेशन रोड़, भीलवाड़ा	गुड़-चीनी
85	मै. महेश ट्रेडिंग कम्पनी		दुकान नं. 19, मुख्य मण्डी प्रांगण भीलवाड़ा	गुड़-चीनी
86	मै. चारभुजा एन्टरप्राइजेज		मुख्य मण्डी यार्ड भीलवाड़ा	गुड़-चीनी

87	मै. चुन्नीलाल-शंकरलाल		बाजार नं. 3 भीलवाड़ा	गुड़-चीनी
88	मै. भीलवाड़ा कृषि सेवा केन्द्र		दुकान नं. 14 मण्डी प्रांगण भीलवाड़ा	गुड़-चीनी
89	मै. श्यामलाल-राजेन्द्रकुमार		पुरानी शाम की सब्जी मण्डी, भीलवाड़ा	गुड़
90	मै. राजेश ट्रेडिंग कम्पनी		गोकुल टावर के पास, बाजार नं. 2 भीलवाड़ा	गुड़-चीनी
91	मै. मोगरिया ब्रदर्स		गौतम गारमेंट्स के पास, स्टेशन रोड़, भीलवाड़ा	गुड़-चीनी
92	मै. बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी		गुर्जर मोहल्ला, भीलवाड़ा	गुड़-चीनी
93	मै. बी.आर. ट्रेडर्स		प्रताप टाकीज के सामने, भीलवाड़ा	गुड़-चीनी
94	मै. कन्हैयालाल -केवलचन्द		गौण मण्डी आसीन्द में दुकान नं. 6 एवं बसस्टेण्ड के पास, आसीन्द	गुड़-चीनी
95	मै. जोरावेरमल-नानालाल		गौण मण्डी आसीन्द में दुकान नं. 9 एवं गांधी मार्केट, आसीन्द	गुड़-चीनी
96	मै. तेजमल-मुकेशकुमार		गौण मण्डी आसीन्द में दुकान नं. 7 एवं गांधी मार्केट, आसीन्द	गुड़-चीनी
97	मै. रामविलास-मोहनलाल		सदर बाजार, माण्डल	गुड़-चीनी
98	मै. लादूलाल-देवीलाल एण्ड कम्पनी		सदर बाजार, माण्डल	गुड़-चीनी
99	मै. रोशनलाल-संजयकुमार		सदर बाजार, भगवानपुरा	गुड़-चीनी
100	मै. नाकोडा ट्रेडर्स		सदर बाजार, भगवानपुरा	गुड़-चीनी
101	मै. रामजस-जमनालाल		सदर बाजार, बागौर	गुड़-चीनी
102	मै. अरिहन्त ऑयल मिल		बस स्टेण्ड, करेड़ा	गुड़-चीनी
103	मै. पंकज ट्रेडिंग कम्पनी		बस स्टेण्ड, करेड़ा	गुड़-चीनी
104	मै. मुकेश एन्टरप्राइजेज		तालाब की पाल के पास, माण्डल	आटा मिल
105	मै. भैरुनाथ पलोर मिल		हरिपुरा चौराहा	आटा मिल

8.8 कोविड-19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु डेडिकेटेड अस्पतालों का विवरण

Dedicated Covid-19 Hospitals List with Bed Details						
S. No.	Hospital Name	General Beds	Oxygen Beds	ICU Beds Without ventilator	ICU Beds With ventilator	Hospital Helpline No.
1	AGARWAL BHAWAN, KESHAV HOSPITAL KE PASS, BHILWARA	80	0	0	0	1482232643
2	AYUSH	0	80	0	0	1482232643
3	Arihant Hospital and Research Sansthan	13	51	0	5	1482253101
4	Brijesh Banger Memorial Hospital	0	70	16	4	7300151515
5	C.H.C. ASIND	0	25	0	0	01480 220 878
6	C.H.C. BIJOLIYA	4	15	0	0	8003422748
7	C.H.C. GANGAPUR	0	30	0	0	1481220550
8	C.H.C. MANDALGARH	8	30	0	0	01489-230040
9	C.H.C. RAIPUR	7	8	0	0	7976969998
10	C.H.C. JHAZPUR	10	15	0	0	1485230102
11	CHC BADNOR	0	20	0	0	1480226039
12	CHC BANERA	14	6	0	0	
13	CHC GULABPURA	0	20	0	0	1483223099
14	CHC KAREDA	5	7	0	0	9414575637
15	CHC KOSHITHAL	0	0	0	0	
16	CHC KOTRI	10	10	0	0	
17	CHC MANDAL	5	10	0	0	
18	CHC POTLA	0	0	0	0	7597789927
19	ESI HOSPITAL BAPU NAGAR	50	0	0	0	6377443127
20	Krishna Hospital	0	34	15	2	8432535169
21	MAHAPRAGYA BHAWAN, PRAGYA CIRCLE KE PASS, AZAD NAGAR	70	0	0	0	1482232643
22	MAHESHWARI BHAWAN, KESHAV HOSPITAL KE PASS, BHILWARA	70	0	0	0	9887700772
23	MGH hospital Bhilwara	20	170	34	16	9664454017
24	Porwal Hospital Pvt Ltd	0	54	5	1	9829946350
25	RAMSNEHI CHIKITSALAYA and ANUSANDHAN KENDRA, BHILWARA	17	73	34	2	1482234100
26	SHRI SIDHI VINAYAK HOSPITAL BHILWARA	0	21	4	0	1482231900
27	Satellite Hospital Shahpura	0	25	0	0	1484222203
28	Shri Ambesh Hospital	46	24	0	0	9460382058
29	Smt Kesar Bai Soni Hospital	0	25	4	0	7791064556
30	Swastik Hospital	16	54	12	4	8696924703
31	TB HOSPITAL	0	24	0	0	
	Total	445	901	124	34	

अध्याय 9 टिड्डी दल नियंत्रण

टिड्डी दल नियंत्रण गतिविधियों यथा वाहनों, ट्रेक्टरों मय स्प्रेयर्स, वाहन टैंकरों को किराये पर लेकर संचालन करने तथा पौध संरक्षण रसायनों के क्रय करने के लिये जिले में उपलब्ध संसाधनों का विवरण						
क्र. सं.	संसाधन का प्रकार	नाम फर्म	स्थान	दूरभाष	मोबाईल नंबर	वि. वि.
1	कीटनाशी रसायन	हिन्दुस्तान सीड्स एवं पेस्टीसाइड्स	कृषि मण्डी चौराया, भीलवाड़ा	01482-221722	94141-10752	पौध संरक्षण / कीटनाशी रसायन क्रय के लिये
2	टिड्डी दल नियंत्रण हेतु वाहन किराया	कस्टम हायरिंग सेन्टर आरजिया	आरजिया, भीलवाड़ा	—	94131-49010	ट्रेक्टर मय स्प्रेयर, वाहन टैंकर को किराये पर लेकर संचालन करने के लिये
3	टिड्डी दल नियंत्रण हेतु किराया वाहन	सांवरमल जोशी (वाहन)	कंकरोलिया माफी, तह. कोटड़ी, भीलवाड़ा	—	90248-30861	सर्वे वाहन किराये पर लेकर संचालन करने के लिये
4	टिड्डी दल नियंत्रण हेतु किराया वाहन	दिनेश कुमार सालवी (वाहन)	पुलिस लाईन, भीलवाड़ा	—	63752-95314	सर्वे वाहन किराये पर लेकर संचालन करने के लिये
5	टिड्डी दल नियंत्रण हेतु वाहन किराया	राधे मोटर्स एवं सर्विस, बिजयनगर (वाहन)	27 मील चौराया, अजमेर रोड़, बिजयनगर	—	99295-92537	सर्वे वाहन किराये पर लेकर संचालन करने के लिये

- उक्त समस्त फर्म का विवरण कृषि विभाग, भीलवाड़ा (कार्यकारी एजेन्सी), के द्वारा वर्ष 2020-21 में टिड्डी नियंत्रण के लिये उपयोग में लिये गये टेण्डर अनुसार उपलब्ध संसाधनों में से लिया गया है।